



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार
2024 का प्रतिवेदन संख्या 5
(अनुपालन लेखापरीक्षा- सिविल एवं वाणिज्यिक)

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii
भाग-I: राज्य सरकार के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप		
अध्याय-I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रालेख	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.4	3
लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.6	7
प्रतिवेदन के इस भाग की व्यापकता	1.7	8
अध्याय-II : अनुपालन लेखापरीक्षा		
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग		
कारखाना श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों का क्रियान्वयन	2.1	9
वाहनों पर कर		
कर प्रशासन और लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	27
एकमुश्त कर की अवसूली/कम वसूली	2.3	29
मोटर वाहनों पर कर की अवसूली	2.4	30
खान विभाग		
परिचय	2.5	32
अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन	2.6	33

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
भाग-II: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप		
1. सामान्य		
परिचय	1.1	35
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	35
लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र	1.3	35
अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	1.4	35
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.5	36
लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर वसूली	1.6	37
राज्य विधायिका में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.7	37
राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	1.8	37
2. अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप		
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड		
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली	2.1	38
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में ईंधन अधिभार को सम्मिलित करने में कमियां	2.2	55
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करना	2.3	59
राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		
नकली बैंक गारंटियों को स्वीकार किया जाना	2.4	61

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ
1	विभागों का संक्षिप्त प्रालेख	65
2	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र	68
3	60 कारखानों की सूची जिनका कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ सयुंक्त निरीक्षण किया गया	70
4	उन कारखानों की सूची जिनमें मशीनरी के गतिशील भागों की सुरक्षा घेराबंदी नहीं की गयी	73
5	उन कारखानों की सूची जिनमें गड्ढों और खुले स्थानों को सुरक्षित रूप से नहीं ढका गया	74
6	उन कारखानों की सूची जिनमें उठाने वाली मशीनों/दबाव पात्रों की जांच सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं की गयी	75
7	उन कारखानों की सूची जिनमें श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे	76
8	उन कारखानों की सूची जिनमें अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी	78
9	उन कारखानों की सूची जिनमें अग्निशामक यंत्रों की अवधि समयपार हो चुकी थी	79
10	उन कारखानों की सूची जिन्होंने कारखाना परिसर में सुरक्षा सावधानी बोर्ड प्रदर्शित नहीं किये	80
11	उन कारखानों की सूची जिनमें कार्यस्थल के प्रत्येक स्थान तक सुरक्षित पहुंच के उचित साधनों की कमी थी	82
12	उन कारखानों की सूची जिनमें कार्यस्थल की सफाई की स्थिति खराब थी/सुधार की आवश्यकता थी	83
13	उन कारखानों की सूची जिनमें धूल और धुएं के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए थे	85
14	उन कारखानों की सूची जिनमें श्रमिकों की स्वास्थ्य पंजिका का संधारण नहीं किया गया था	86

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ
15	विभाग द्वारा अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान किये गये निरीक्षणों तथा श्रमिकों की चिकित्सा जांच कराने के निर्देशों का विवरण	87
16	कारखानों की सूची जिन्होंने फार्म संख्या 23 में वार्षिक विवरणी प्रेषित नहीं की	88
17	कारखानों की सूची जिन्होंने फार्म संख्या 29 में दुर्घटना पंजिका का संधारण नहीं किया	90
18	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों की सूची	91
19	निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण पत्र	93
20	सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के तहत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों के सौंपे गए कार्यों की समीक्षा पर वार्षिक विवरणी	97
21	31 मार्च 2022 को राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालयों, संयंत्र कार्यालयों एवं स्पेतों का स्थान दर्शाने वाला विवरण	98
22	वर्ष 2017-22 के दौरान प्रजनक बीजों और आधार बीजों के आवंटन, खरीद एवं वितरण का वर्षवार विवरण दर्शाने वाला विवरण	100
23	वर्ष 2017-22 के दौरान वितरण किए गये प्रजनक बीजों एवं आधार बीजों से उपज की वर्षवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	102
24	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के समक्ष बीजों के वितरण में कमी का मौसम-वार फसल-वार विवरण	104
25	अ. समीक्षा के लिए चयनित कार्यालयों का डिस्कॉम-वार विवरण ब. 2020-21 के दौरान चयनित कार्यालयों द्वारा दर्ज सतर्कता जाँच प्रतिवेदनों (वीसीआर) का डिस्कॉम-वार विवरण	106
संक्षिप्त शब्दावली		108

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। प्रतिवेदन के भाग-I में राज्य सरकार के 30 विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष समाहित हैं तथा भाग-II राज्य के 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों) एवं चार स्वायत्तशासी निकायों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा उसके अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा तथा लेखों के विनियमन, 2020 के अंतर्गत की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2021-22 के दौरान अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2021-22 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक, 2017 के अनुरूप की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। **भाग-I** में राज्य सरकार के विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है तथा **भाग-II** में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में ₹ 53.25 करोड़ की राशि के आठ अनुच्छेद हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं:

भाग-I: राज्य सरकार के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप

इस भाग में ₹ 8.74 करोड़ की राशि के चार अनुच्छेद शामिल हैं जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा, 'कारखाना श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों का क्रियान्वयन', तथा परिवहन विभाग और खान विभाग के अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

कारखाना श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों का क्रियान्वयन

कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए 'कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग' उत्तरदायी है। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए 'कारखाना श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों का क्रियान्वयन' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा के अलावा, चयनित 60 कारखानों का विभाग के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों का पालन न करने जैसे तथ्य सामने आए, जैसे मशीनों के गतिशील भागों की घेराबंदी नहीं करना, श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं करना, अग्निशमन सुविधाओं की अनुपलब्धता, धूल और धुएं के लिए निकास की व्यवस्था न करना, श्रमिकों की चिकित्सा परीक्षण/जांच नहीं करना, कारखानों में शिशुगृह, शौचालयों और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता, जोकि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है। विभाग ने अधिनियम की अनुपालना को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की

और सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों के उल्लंघन के लिए कारखानों के खिलाफ अभियोजन मामले दायर करने में भी विफल रहा।

विभाग के पास कारखाना मालिकों द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं था।

ऑनलाइन प्रणाली 'केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली' द्वारा आवंटित निरीक्षण नहीं किए गए, जो कि इस बात से स्पष्ट है कि किए गए निरीक्षणों में 32 प्रतिशत की कमी थी। निरीक्षण के दौरान जारी निर्देशों की अनुपालना हेतु विभाग के पास निगरानी तंत्र नहीं था तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई। कारखानों द्वारा वार्षिक विवरणियों की प्रस्तुति नहीं की गयी और दुर्घटना पंजिकाओं का रखरखाव भी नहीं किया जा रहा था। विभाग श्रमिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। निरीक्षण के दौरान प्रकाश की तीव्रता और ध्वनि दबाव के स्तर की जांच करने के लिए कार्मिकों के पास आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। यह भी पाया गया कि रासायनिक दुर्घटनाओं के मामले में आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन के लिए गठित विभिन्न संकट समूहों की बैठकें न तो निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आयोजित की गईं और न ही विभाग ने बैठकें आयोजित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए।

कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि सरकार/विभाग इन पर विचार कर सकता है:

- कि वार्षिक विवरणी में सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कारखाना श्रमिकों की संख्या को दिखाने का प्रावधान किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह कारखाना मालिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
- कि केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली में एक मॉड्यूल लागू करने पर विचार करना चाहिए जो निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नहीं किए गए निरीक्षणों को रेड फ्लैग करे और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे।
- कि राज्य संकट समूह, जिला संकट समूह और स्थानीय संकट समूह की बैठकों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर सकती है।

परिवहन विभाग

वर्ष के दौरान परिवहन विभाग की 16 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। ध्यान में आई प्रमुख अनियमितताएँ इस प्रकार हैं:

- राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी के उल्लंघन में विभाग द्वारा 183 वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.42 करोड़ के एकमुश्त कर एव अधिभार की कम वसूली/अवसूली हुई।

- वाहन स्वामियों द्वारा 781 वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राशि ₹ 6.49 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।

खान विभाग

वर्ष के दौरान खान विभाग की 10 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के ध्यान में आये निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

- विभाग ने खनन पट्टे की खनन योजना में उल्लेखित अनुमत्य मात्रा से अधिक उत्खनित एवं निर्गमित खनिज की मात्रा के लिए मांग कायम नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 83 लाख की अवसूली रही।

भाग-II: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन के इस भाग में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवहारों की नमूना जांच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उजागर करने वाले 'राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित चार अनुच्छेद सम्मिलित हैं, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 44.51 करोड़ है।

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना मार्च 1978 में प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं किसानों को उचित मूल्य पर विपणन करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। इसके लिए यह बीज उत्पादकों के माध्यम से अनाज, तिलहन, दलहन, नकदी फसल आदि की 25 से अधिक फसलों हेतु बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करती है।

प्रजनक बीजों एवं आधार बीजों के वितरण के संबंध में कम्पनी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था क्योंकि यह 2017-22 के दौरान उपलब्ध बीजों की सम्पूर्ण मात्रा को प्रजनन के लिए वितरित नहीं कर सकी थी। साथ ही, प्रमाणित बीज का उत्पादन, जैसा कि बीज आवृत्ति योजना एवं स्वयं के लक्ष्यों में परिकल्पित किया गया था, किसी भी मौसम में सुनिश्चित नहीं किया गया था।

कम्पनी ने बीज उत्पादकों द्वारा अपेक्षित उपज की सुपुर्दगी की निगरानी हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बीज उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार बुआई सुनिश्चित नहीं की थी।

कम्पनी अपने प्रसंस्करण संयंत्रों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सकी जैसाकि वर्ष 2017-22 के दौरान उपयोग 28.74 प्रतिशत एवं 46.09 प्रतिशत के मध्य सीमा में था। साथ ही, कम्पनी बीजों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसके कारण बीज प्रारंभिक प्रमाणीकरण के नौ माह के भीतर ही खराब हो गए।

बीजों के विक्रय हेतु कम्पनी द्वारा निर्धारित किए गये लक्ष्य तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि निर्धारित किए गये वार्षिक लक्ष्य संबंधित वर्ष हेतु बीजों की वास्तविक उपलब्धता से अधिक थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी 2017-22 के दौरान बीजों के विक्रय हेतु अपने स्वयं के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं कर सकी।

कम्पनी बीज ग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत आधार/प्रमाणित बीजों की सम्पूर्ण लक्षित मात्रा वितरित नहीं कर सकी जिससे न केवल योजना का मूलभूत उद्देश्य विफल हुआ अपितु किसान योजना के लाभों से भी वंचित हो गए।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि कम्पनी को

- उपलब्ध बीजों के वितरण हेतु कार्य योजना तैयार करने;
- प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु एवं बीज उत्पादकों से सम्पूर्ण उपज की प्राप्ति हेतु निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने;
- प्रसंस्करण संयंत्रों का इष्टतम उपयोग एवं पुनर्वैधीकरण के दौरान बीजों की विफलता को नियंत्रित किए जाने हेतु बीजों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने;
- बीजों की आपूर्ति के पेटे बकाया देयताओं की वसूली सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में कमियों के कारण ईंधन अधिभार का गैर-निर्धारण/कम-निर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि डिस्कॉम्स को, अशुद्धियों से बचने एवं आवश्यक नियंत्रण रखने हेतु; सतर्कता प्रकरणों में स्वचालित निर्धारण प्रक्रिया को अपनाना एवं इसे उनकी बिलिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करना चाहिए।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कम्पनी ने सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था एवं इसलिए इसे 100 डब्ल्यूपी क्षमता वाले एसपीवी की स्थापना पर ₹ 12 करोड़ की संपूर्ण लागत वहन करनी पड़ी थी।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव की परिणति ₹ 6.86 करोड़ मूल्य की नकली बैंक गारंटियों को स्वीकार किए जाने में हुई। परिणामस्वरूप, कम्पनी इसके टोल के बकाया ₹ 6.72 करोड़ की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकी।

भाग-I

राज्य सरकार के विभागों से संबंधित
अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप

अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 परिचय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का यह भाग राजस्थान सरकार के 30 विभागों¹ की अनुपालन लेखापरीक्षा से प्रकट हुये प्रकरणों से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों, प्राप्तियों के साथ-साथ संपत्तियों तथा दायित्वों से संबंधित संव्यवहारों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है।

इस प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधायिका के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रतिवेदित की जाने वाली सामग्री का स्तर, संव्यवहारों की प्रकृति, मात्रा एवं परिमाण के आनुषंगिक होनी चाहिये। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाने तथा नीतियों एवं निर्देशों को बनाने में भी जो कि संगठनों को उन्नत वित्तीय प्रबंधन की ओर ले जायेंगे, इस प्रकार, बेहतर शासन में योगदान करने की अपेक्षा की जाती है।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना तथा विस्तार-क्षेत्र के वर्णन के अतिरिक्त गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुवर्तन की सूचना प्रदान करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रालेख

विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों के द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्तों/निदेशक/शासन उप सचिवों तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा आक्षेप इस प्रतिवेदन के भाग-II में शामिल किये गये हैं।

प्रतिवेदन के इस भाग में शामिल 30 विभागों के संक्षिप्त प्रालेख **परिशिष्ट-1** में बताये गये हैं।

वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान राजस्थान सरकार के राजकोषीय संचालन का सारांश **तालिका 1.1** में दिया गया है:

¹ विभाग: कृषि; कृषि विपणन; पशुपालन; कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय; नागरिक उड्डयन; सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग; सहकारी; देवस्थान; ऊर्जा; पर्यावरण; कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण; मत्स्य पालन; खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति; वन; गोपालन; भूजल; उद्यानिकी; इंदिरा गांधी नहर; उद्योग; सूचना प्रौद्योगिकी और संचार; स्नान एवं भूविज्ञान; पेट्रोलियम निदेशालय; जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी; सार्वजनिक निर्माण; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य उद्यम; राजस्थान स्टेट मोटर गैराज; पर्यटन; परिवहन और जल संसाधन।

तालिका 1.1: राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2020-21	2021-22		2020-21	2021-22
खंड-अ: राजस्व लेखा					
स्व कर राजस्व	60,283.44	74,807.98	सामान्य सेवायें	60,143.84	65,406.37
कर-इतर राजस्व	13,653.02	18,754.97	सामाजिक सेवायें	74,009.59	85,053.68
संघीय करों/ शुल्कों का भाग	35,575.77	54,030.61	आर्थिक सेवायें	44,155.91	59,329.92
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	24,795.65	36,326.49	सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.07	0.04
योग खंड-अ राजस्व प्राप्तियां	1,34,307.88	1,83,920.05	योग खंड-अ राजस्व व्यय	1,78,309.41	2,09,790.01
खंड-ब: पूंजीगत लेखा व अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	14.08	31.42	पूंजी परिव्यय	15,270.49	24,151.59
			सामान्य सेवायें	398.17	483.53
			सामाजिक सेवायें	7,641.58	10,951.01
			आर्थिक सेवायें	7,230.74	12,717.05
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	373.52	2,373.59	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	491.01	621.24
लोक ऋण प्राप्तियां	89,964.01	1,01,363.31	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	41,022.99	56,128.18
आकस्मिकता निधि	-	500.00	आकस्मिकता निधि	-	500.00
लोक लेखा प्राप्तियां	2,08,446.75	2,51,294.80	लोक लेखा संवितरण	1,99,229.24	2,40,110.57
आरंभिक रोकड शेष	7,704.41	6,487.51	अंतिम रोकड शेष	6,487.51	14,669.09
योग खंड-ब प्राप्तियां	3,06,502.77	3,62,050.63	योग खंड-ब संवितरण	2,62,501.24	3,36,180.67
महायोग (अ+ब)	4,40,810.65	5,45,970.68	महायोग (अ+ब)	4,40,810.65	5,45,970.68

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.3 लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिये गये हैं।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकायों सहित विभागों के प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धान्त तथा कार्यपद्धतियां

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा तथा लेखाओं पर विनियमन, 2020 तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रारंभ सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम के आंकलन से होता है। जोखिम का आंकलन, व्यय की मात्रा, गतिविधियों की महत्ता, समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थिति एवं हितधारकों के सरोकारों पर आधारित है। इस प्रक्रिया में पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान 30 विभागों की 190 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुये इकाइयों के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया गया। जब कभी भी उत्तर प्राप्त हुए, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया गया या अग्रेतर अनुपालना की सलाह दी गयी। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट होने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

1.5 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संव्यवहारों की नमूना जांच एवं महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर, राज्य सरकार के 30 विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात् लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं।

मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि इन विभागों के लिये जारी 5,243 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 68,387.60 करोड़ राशि के 22,961 अनुच्छेद सितम्बर 2022 के अन्त में बकाया थे।

1.5.1 30 सितम्बर 2022 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा इनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

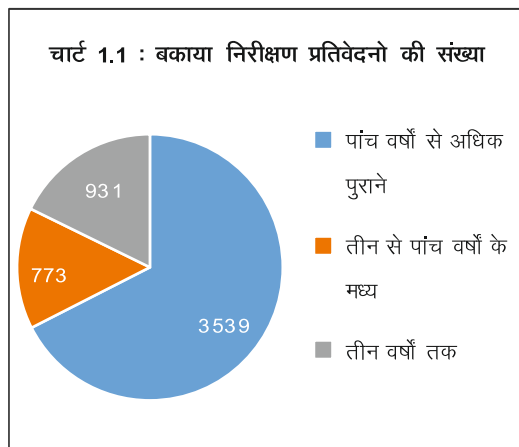
तालिका 1.2: निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	कृषि	253	1,216	3,229.93
2	कृषि विपणन	10	33	115.79
3	पशुपालन	74	244	3,470.62
4	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	93	384	487.29

क्र. सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
5	नागरिक उड्डयन	7	24	42.84
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	61	109	91.23
7	सहकारी	93	301	2,416.96
8	देवस्थान	43	132	240.62
9	ऊर्जा	7	20	17,575.86
10	पर्यावरण	9	50	603.00
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	9	34	2.38
12	मत्स्य पालन	2	18	21.51
13	स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	110	616	5,814.73
14	वन	361	1,645	1,843.22
15	गोपालन	21	125	393.83
16	भूजल	37	82	461.72
17	उद्यानिकी	48	192	354.78
18	इंदिरा गांधी नहर	72	161	449.74
19	उद्योग	42	134	141.04
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	9	46	1,561.17
21	स्नान एवं भूविज्ञान	335	1,407	2,477.63
22	पेट्रोलियम	4	5	122.07
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1,134	4,711	14,220.27
24	सार्वजनिक निर्माण	1,384	6,910	8,517.28
25	राजस्थान स्टेट मोटर गैराज	6	25	20.24
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	18	52	47.25
27	राज्य उद्यम	3	9	22.07
28	पर्यटन	18	65	182.12
29	परिवहन	310	1,479	108.33
30	जल संसाधन	670	2,732	3,352.08
योग		5,243	22,961	68,387.60

स्रोत: जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा उन पर प्राप्त उत्तरों के आधार पर सूचना संकलित की गयी।

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लंबित अनुच्छेदों की दृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग में सर्वाधिक बकाया है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का आयु-वार विश्लेषण **परिशिष्ट-2** में वर्णित है, जिससे प्रकट होता है कि 3,539 निरीक्षण प्रतिवेदन (कुल बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का 67.49 प्रतिशत) 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।



स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित

बकाया इस तथ्य का सूचक है कि लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से ध्यान में लायी गयी त्रुटियों तथा अनियमितताओं को सुधारने के लिये कार्यालय प्रमुखों तथा विभागों को समय पर प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

1.5.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी करने एवं शीघ्र प्रगति के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों² का गठन किया। वर्ष 2021-22 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा उनमें निस्तारित अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: लेखापरीक्षा समिति एवं लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	आयोजित लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	कृषि	1	4	93	15.14
2	कृषि विपणन	0	0	0	0
3	पशुपालन	3	4	59	47.59
4	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	2	1	33	3.68
5	नागरिक उड्डयन	1	0	0	0
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	1	0	0	0
7	सहकारी	3	0	0	0
8	देवस्थान	1	1	27	15.62
9	ऊर्जा	4	0	0	0
10	पर्यावरण	0	0	0	0
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	1	0	0	0
12	मत्स्य पालन	3	0	0	0
13	स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	0	0	0
14	वन	2	4	8	16.80
15	गोपालन	3	2	27	109.81
16	भूजल	0	0	0	0

² राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के शासन सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियां बनायी गयी और सरकार द्वारा निश्चित किया गया था कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, विभागों के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा उप-समितियां भी बनायी गयी।

क्र.सं.	विभाग का नाम	आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	आयोजित लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
17	उद्यानिकी	1	0	0	0
18	इंदिरा गांधी नहर	1	0	0	0
19	उद्योग	2	0	0	0
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	1	0	0	0
21	स्नान एवं भूविज्ञान	3	1	59	3.39
22	पेट्रोलियम	3	0	0	0
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2	1	28	0
24	सार्वजनिक निर्माण	1	2	225	197.08
25	राजस्थान स्टेट मोटर गैराज	1	0	0	0
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1	0	0	0
27	राज्य उद्यम	1	0	0	0
28	पर्यटन	1	1	7	0.01
29	परिवहन	2	0	0	0
30	जल संसाधन	2	0	0	0
योग		49	21	566	409.12

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित

तालिका 1.3 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान ऊर्जा विभाग के अलावा किसी भी विभाग ने लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम आवश्यक चार बैठकें आयोजित नहीं कीं। इसके अलावा कृषि विपणन, पर्यावरण और भूजल विभाग के संबंध में वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी। केवल 10 विभागों में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें हुई जहां राशि ₹ 409.12 करोड़ के 566 अनुच्छेद निस्तारित किये गये। विभाग बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण के लिए लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समिति की अधिक बैठकें आयोजित कर सकते हैं।

1.5.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का उत्तर

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद तीन संबंधित विभागों³ के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर उनसे यह अनुरोध करते हुये भेजे गये कि वे छः सप्ताह में उनके उत्तर भिजवा दें।

³ कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण, स्नान एवं भू-विज्ञान तथा परिवहन।

कुल चार प्रारूप अनुच्छेदों को मार्च 2023 तथा अप्रैल 2023 के मध्य संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रेषित किया गया। सभी प्रारूप अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त हो गये एवं उन्हें उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चित किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जा चुके हैं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां जो कि लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित हों, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका में रखे जाने के तीन माह के अन्दर जनलेखा समिति को प्रस्तुत की जायेगी। 30 जून 2024 तक अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियां बकाया नहीं थी।

जनलेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

30 जून 2024 तक जनलेखा समिति द्वारा 30 विभागों से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों पर चर्चा की स्थिति तालिका 1.4 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.4: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	राजस्व क्षेत्र	-	7	-	4
	आर्थिक क्षेत्र	1	11	1	11
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	1	7	1	7
2017-18	राजस्व क्षेत्र	-	7	-	3
	आर्थिक क्षेत्र	2	7	2	7
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	1	5	1	5
2018-19	राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र	1	12	-	-
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	-	5	-	5
2019-20	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 7)	-	7	-	3
	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2)	-	3	-	2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
	राजस्थान में सतही सिंचाई के परिणामों पर एकल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1	-	1	-
	“राजस्थान में अवैध स्वनन” पर एकल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1	-	-	-
2020-21	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 1)	-	3	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित

वर्ष 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

1.7 प्रतिवेदन के इस भाग की व्यापकता

प्रतिवेदन के इस भाग में चार अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 8.74 करोड़ है। इन पर चर्चा अध्याय-II में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 7.91 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया है (जून 2024 तक)। स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा आक्षेपों में से विभागों ने जून 2024 तक ₹ 2.31 करोड़ वसूल किये जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुपालना में की गई वसूली (₹ 50.93 करोड़) के अतिरिक्त थे। इसके अलावा, संबंधित विभागों ने वर्ष 2021-22 के दौरान गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 4.32 करोड़ की वसूली की थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 57.56 करोड़ थी।

અધ્યાય-II
અનુપાલન લેખાપરીક્ષા

अध्याय-II: अनुपालन लेखापरीक्षा

कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

2.1 कारखाना श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों का क्रियान्वयन

कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग की स्थापना 1971 में कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों को लागू करने के लिए की गई थी। विभाग के पास कारखाना मालिकों द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था। आवंटित निरीक्षण को पूरा करने में निरीक्षण अधिकारी विफल रहे। सुरक्षा प्रशिक्षण कुछ श्रमिकों को ही दिया गया था। अधिकारियों के पास आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। रासायनिक दुर्घटनाओं की स्थिति में संकट प्रबंधन के लिए गठित विभिन्न संकट समूहों की बैठकें निर्धारित समयानुसार नहीं हुईं। कारखानों के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों की अनुपालना नहीं हो रही थी, जैसे मशीनों के गतिशील भागों की घेराबंदी नहीं करना, श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं करना, श्रमिकों का चिकित्सा परीक्षण/जांच नहीं करना, अग्निशमन सुविधाओं, शिशुगृहों, शौचालयों और कारखानों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता, जो कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

विभाग ने अधिनियम की अनुपालना को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और इन मानकों का उल्लंघन करने वाले कारखानों के खिलाफ अभियोजन मामले दर्ज करने में भी विफल रहा।

2.1.1 प्रस्तावना

श्रमिक, उत्पादन का एक सक्रिय घटक हैं, जो निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान राज्य में 31 मार्च 2022 को 7.06 लाख कारखाना श्रमिक कार्यरत थे। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कारखाना श्रमिकों की संख्या में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम) और सरकार द्वारा बनाए गए अन्य नियम और विधियाँ, कारखाना¹ श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करते हैं।

¹ कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम) के अनुसार कारखाना का अर्थ यह है कि कोई भी स्थल जिसमें विद्युत की सहायता से निर्माण प्रक्रिया की जाती है और पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 20 या उससे अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। यदि निर्माण प्रक्रिया बिना विद्युत की जाती है, तो अधिनियम में ऐसे स्थल को कारखाना के रूप में मान्यता दी जाती है जहां 40 या उससे अधिक श्रमिक निर्माण प्रक्रिया में लगे होते हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 में प्रावधान है कि यदि अधिनियम के किसी भी नियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो कारखाना का स्वामी और प्रबंधक, प्रत्येक अपराधी होंगे और उन्हें कारावास या अधिकतम एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। यदि दोषसिद्धि के बाद उल्लंघन जारी रहता है, तो यह अधिकतम एक हजार रुपये प्रतिदिन जब तक उल्लंघन जारी रहता है, के अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान करता है।

राजस्थान सरकार के 'कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग' (विभाग) को वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। यह विभाग कारखानों और बॉयलर्स का निरीक्षण करता है जिससे कि कारखाना अधिनियम, 1948, बॉयलर्स अधिनियम, 1923 तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों को श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए लागू किया जा सके। इस विभाग के अधीन 21 इकाई कार्यालय हैं जो कारखानों के पंजीकरण/नवीनीकरण तथा उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों के विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य और लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

2.1.2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- नियमों और मानकों (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) की अनुपालना को प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया था; तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई थी;
- कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रावधानों हेतु हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे; और
- विभागीय व्यवस्था कारखाना श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त थी।

2.1.2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से अपनाये गये:

- (i) कारखाना अधिनियम, 1948;
- (ii) राजस्थान कारखाना नियम, 1951;
- (iii) राजस्थान औद्योगिक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम, 1991;
- (iv) रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1996 और
- (v) इन अधिनियमों और नियमों के तहत जारी परिपत्र और अधिसूचनाएं।

2.1.2.3 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए विभाग के अभिलेखों की समीक्षा की। लेखापरीक्षा की जांच में मुख्य निरीक्षक, कारखाना और बॉयलर्स, जयपुर और उप-निरीक्षक, कारखाना और बॉयलर्स, जयपुर के कार्यालयों के साथ 21 में से पांच² इकाई कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा ने दिनांक 26 मई 2022 से दिनांक 8 सितंबर 2022 के मध्य विभाग के प्रतिनिधियों के साथ 60 कारखानों (परिशिष्ट-3) का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया। संयुक्त निरीक्षण के लिए इकाइयों और कारखानों का चयन इंटरएक्टिव डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम सैंपलिंग पद्धति पर आधारित था। इसके अलावा, जयपुर स्थित सुरक्षा संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला के कार्यालयों के अभिलेखों की भी समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के लिए दिनांक 11 जुलाई 2022 को एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गयी थी। लेखापरीक्षा टिप्पणियां सरकार को दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रतिवेदित की गई। एक समापन बैठक का आयोजन उप सचिव, श्रम, ईएसआई और कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2023 को किया गया। सरकार का प्रत्युत्तर माह मई 2023 में प्राप्त हुआ जिसे संबंधित अनुच्छेदों में शामिल कर लिया गया है।

2.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उद्देश्य-1: क्या नियमों और मानकों (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) की अनुपालना को प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया था; तथा क्या उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई थी।

इस उद्देश्य के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों की अनुपालना न होने के कई मामले पाए गए, जैसे कि मशीनों के गतिशील भागों की घेराबंदी नहीं करना, श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं प्रदान किया जाना, अग्निशमन सुविधाओं की अनुपलब्धता, धूल और धुएं के निकास की व्यवस्था नहीं करना, श्रमिकों का चिकित्सा परीक्षण/जांच नहीं करना, शिशुगृह, शौचालयों और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता आदि, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है। विभाग ने अधिनियम की अनुपालना लागू करवाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की और ना ही सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों के उल्लंघन करने वाले कारखानों के खिलाफ अभियोजन मामले दर्ज किए। इन मुद्दों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

² अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, पाली एवं सीकर।

2.1.3.1 सुरक्षा मानकों की अनुपालना

कारखाना अधिनियम, 1948 और राजस्थान कारखाना नियम, 1951 में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों को निर्देशित किया गया है। अधिनियम और नियमों में दिए गए सुरक्षा उपायों की अनुपालना पर नीचे चर्चा की गई है।

<p>1. मशीनों के गतिशील भागों की घेराबंदी</p>	<p>कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 21 में यह प्रावधान है कि मशीनों के स्वतंत्रताक हिस्सों, जैसे कि प्रमुख चालक के हर चलते हिस्से और प्रमुख चालक से जुड़े हर फ्लाईव्हील आदि की मजबूत सुरक्षा संरचनाओं से सुरक्षित रूप से घेराबंदी की जानी चाहिए और वह तब तक उसी जगह पर रखनी चाहिए जब तक कि मशीनरी के हिस्से चल रहे हों या उपयोग में हों।</p> <p>मुख्य निरीक्षक, कारखाना और बॉयलर्स, जयपुर के अभिलेखों से पता चला कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मशीनों के गतिशील भागों की घेराबंदी न होने के कारण पांच घातक दुर्घटनाएं हुईं जिसमें पांच श्रमिकों की मौत हो गयी। इन मामलों में, कार्यरत श्रमिकों के कपड़े मशीन के गतिशील भागों में फंस गए थे।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि चयनित किये गये 60 कारखानों में से 11 कारखाने (परिशिष्ट-4) सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे थे क्योंकि मशीनों और कन्वेयर बेल्टों की सही तरीके से घेराबंदी नहीं की गई थी। विभाग ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान इन 11 में से सात कारखानों का निरीक्षण किया था तथा तीन कारखानों में इन नियमों का उल्लंघन पाया था। इन कारखानों को मशीनरी के गतिशील भागों को सुरक्षित या घेराबंदी करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन दिशा-निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुसरण प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। संयुक्त निरीक्षण से यह पता चला कि उक्त कारखाने विभाग के निर्देशों की अनुपालना नहीं कर रहे थे।</p>
<p>2. टैंकों, गड्ढों और खुले स्थानों को ढका जाना</p>	<p>कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 33 यह निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई निश्चित पात्र, टैंक, गड्ढा या कोई खुला स्थान एक स्वतंत्र स्रोत है, तो उसको सुरक्षित रूप से ढका या घेराबंदी की जानी चाहिए।</p> <p>लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 फरवरी 2019 को भिवाड़ी में स्थित एक कारखाने में एक दुखद दुर्घटना हुई, जिसमें पहली मंजिल पर एक खुले स्थान से गिरने के कारण एक श्रमिक की मौत हो गई।</p>

	<p>संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि पांच कारखाने (परिशिष्ट-5) सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। गारा टैंक, पानी के टैंक और खुले स्थान ठीक से सुरक्षित या ढंके हुए नहीं थे। विभाग ने इनमें से दो कारखानों का पहले निरीक्षण किया था और एक कारखाने को पानी के टैंक को ठीक से सुरक्षित करने के लिए निर्देश (23 अप्रैल 2018) दिए थे। हालांकि, संयुक्त निरीक्षण के दौरान पता चला कि इस कारखाने ने निर्देशों का पालन नहीं किया था।</p>
<p>3. हॉइस्ट, लिफ्ट, उठाने वाली मशीनों, चेन और रस्सियों की जांच</p>	<p>कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 28 और धारा 29 यह निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक कारखाने में हॉइस्ट, लिफ्ट, उठाने वाली मशीनें, चेन, रस्सियां और लिफ्टिंग टैकल्स अच्छी यांत्रिक संरचना, उपयुक्त सामग्री तथा पर्याप्त शक्ति के होने चाहिए, और उनका नियमित रूप से रख रखाव किया जाना चाहिए। इन्हें प्रत्येक छः महीने में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति³ द्वारा पूरी तरह से जांचा जाना चाहिए। राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 58(7) में भी प्रावधान है कि प्रत्येक दबाव पात्र (प्रेसर वेसल) को प्रत्येक छः महीने में एक सक्षम व्यक्ति द्वारा बाहरी रूप से पूरी तरह से जांचा जाना चाहिए।</p> <p>लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के पास निरीक्षण के अलावा कारखाना मालिकों द्वारा इन प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए कोई अन्य तंत्र नहीं था।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि पिछले छः माहों में 13 कारखानों (परिशिष्ट-6) में उठाने वाली मशीनों/दबाव पात्रों की जांच सक्षम व्यक्तियों द्वारा नहीं की गई थी। विभाग ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान इनमें से छः कारखानों का निरीक्षण किया और तीन कारखानों को चिन्हित कर निर्देश भी दिए। हालांकि, संयुक्त निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि कारखाना मालिकों ने विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया।</p>
<p>4. श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण</p>	<p>राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 65K यह निर्दिष्ट करता है कि सभी श्रमिकों को अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाने चाहिए। कारखाना मालिकों को श्रमिकों को ऐसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए कहना चाहिए और कारखाना</p>

³ सक्षम व्यक्ति से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति या संस्था है जिसे मुख्य निरीक्षक द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत कारखाने में किए जाने वाले परीक्षणों, जांचों और निरीक्षणों को पूरा करने के उद्देश्य से मान्यता दी गई हो।

	<p>मालिकों को इन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को उचित कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।</p> <p>लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान विभिन्न कारखानों में 12 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग न होने के कारण 10 लोगों की मृत्यु हो गयी। संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि लकड़ी की वस्तुओं, पीवीसी पाइपों, आरा मिलों, पत्थर क्रेशर इकाइयों, आइस प्लांट्स, लोहे की ढलाई, कताई और बुनाई मिलों आदि के निर्माण में लगे 24 कारखानों (परिशिष्ट-7) में श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों किट (फेस मास्क, हाथ के दस्ताने, सुरक्षा जूते, गॉगल्स और हेलमेट) प्रदान नहीं किए गए थे। विभाग ने 13 कारखानों का निरीक्षण किया (जुलाई 2017 से फरवरी 2022 के बीच) और पांच कारखानों में गैर-अनुपालन पाया, लेकिन कारखानों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया। विभाग ने अपने उत्तर में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करने के सम्बन्ध में सामान्य कारणों जैसे कि श्रमिकों के कार्यों के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने में असुविधा होना, छोटे कारखानों द्वारा वित्तीय बाधाएं, छोटे कारखानों की खराब वित्तीय स्थिति और इन छोटे कारखानों में विशेष रूप से प्रवासी दैनिक वेतन श्रमिकों की अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किया।</p>
<p>5. अग्निशमन सुविधाएं</p>	<p>कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 38 में प्रावधान है कि आग लगने और इसके प्रसार को रोकने के लिए आंतरिक और बाहरी सभी व्यावहारिक उपाय किए जाने चाहिए, और आग की स्थिति में सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित बचाव के साधन प्रदान और बनाए जाने चाहिए। प्रत्येक कारखाने में आग बुझाने के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण से यह पता चला कि आठ कारखानों (परिशिष्ट-8) में अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं और छः कारखानों (परिशिष्ट-9) में अग्निशामक यंत्रों की अवधि समयपार हो चुकी थी। विभाग ने इन कारखानों में से 10⁴ कारखानों का निरीक्षण (जून 2017 से फरवरी 2022 के बीच) किया था और तीन कारखानों को निर्देश जारी किये थे। तथापि, विभाग ने कारखानों द्वारा निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित नहीं किया।</p>

⁴ चार कारखाने जहां अग्निशामक यंत्रों की अवधि समयपार हो चुकी थी और छह कारखाने जहां अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

<p>6. सुरक्षा सावधानियों के बोर्ड का प्रदर्शन</p>	<p>कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 108 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत प्रदर्शित किए जाने वाले नोटिसों के अलावा, प्रत्येक कारखाने में एक सहजदृश्य स्थान पर एक नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के सारांश तथा निरीक्षक और प्रमाणित सर्जन का नाम एवं पता भी शामिल होगा।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि 29 कारखानों (<i>परिशिष्ट-10</i>) ने अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा सावधानियों के बोर्ड प्रदर्शित नहीं किए थे। विभाग द्वारा इनमें से 12 कारखानों का निरीक्षण किया गया था और सात कारखानों को निर्देश दिए थे। हालांकि, संयुक्त निरीक्षण में पता चला कि कारखानों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।</p>
<p>7. कार्यस्थल तक सुरक्षित पहुंच की व्यवस्था</p>	<p>कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 32 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कारखाने में सभी फर्श, कदम, सीढ़ियां, रास्ते और गलियारे मजबूत निर्माण के होने चाहिए, उन्हें उचित से बनाए रखा जाना चाहिए और उन्हें बाधाओं और ऐसे चीजों से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो व्यक्तियों को फिसलने का कारण बन सकते हैं। प्रत्येक स्थान, जहां भी किसी व्यक्ति को किसी समय काम करने के लिए आवश्यक हो, वहां सुरक्षित पहुंच बनाई एवं अनुरक्षित की जानी चाहिए।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि चार कारखानों (<i>परिशिष्ट-11</i>) में उचित पहुंच की व्यवस्था की कमी थी, जो कि श्रमिकों को चोट पहुंचा सकती थी। विभाग ने माह जनवरी 2018 से माह फरवरी 2022 के मध्य इनमें से तीन कारखानों के छः निरीक्षण किए, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इस मुद्दे का उल्लेख नहीं किया।</p>

उदाहरणार्थ चित्र नीचे दर्शाया गया है:



लक्ष्मी उद्योग (जयपुर)

लक्ष्मी उद्योग, जयपुर में, श्रमिकों को ढालने के लिए पिघला हुआ लोहा भरना पड़ता था, लेकिन संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्रमिकों के पास सांचों को सुरक्षित रूप से भरने के लिए सुरक्षित पहुंच नहीं थी।

2.1.3.2 स्वास्थ्य मानकों की अनुपालना

उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखना कारखाना श्रमिकों के लिए निःसंदेह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कार्य वातावरण के दौरान स्वास्थ्य के लिये जोखिम वाले वातावरण में निरंतर रहते हैं। इसलिए, कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद आवश्यक हो जाता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कारखानों द्वारा स्वास्थ्य मानकों का पालन नहीं किया गया था, जिनकी अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

कारखानों द्वारा श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य मानकों से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गयी है:

1. सफाई	कारखाना अधिनियम की धारा 11 यह निर्दिष्ट करती है कि, हर कारखाने को साफ रखना चाहिये और किसी भी नाली, शौचालय या अन्य असुविधा से उत्पन्न दुर्गंध से मुक्त रखा जाना चाहिए। प्रत्येक कार्य
----------------	--

	<p>कक्ष के फर्श को प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार धोकर, आवश्यकतानुसार कीटाणुनाशक का उपयोग करके, या अन्य किसी विधि द्वारा साफ किया जाना चाहिए।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि 25 कारखानों (<i>परिशिष्ट-12</i>) में कार्यस्थलों, फर्श, शौचालयों और मार्गों की सफाई की कमी थी। विभाग द्वारा 2017-18 से 2021-22 के मध्य इन 25 कारखानों में से 13 का निरीक्षण किया गया था और उनमें से दो कारखानों में उक्त नियम का पालन करना नहीं पाया गया तथा इन कारखानों को निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन विभाग के पास इन निर्देशों की अनुपालना दर्शाने के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था।</p>
2. धूल और धुएं की व्यवस्था	<p>कारखाना अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, प्रत्येक कारखाने जो विनिर्माण प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसमें धूल, धुआं या अन्य अशुद्धि उत्पन्न होती है, को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने होते हैं ताकि यह किसी कार्य कक्ष में जमा न हो और श्रमिकों के लिए हानिकारक न हो। यदि इसके लिए किसी निकास उपकरण की आवश्यकता होती है, तो इसे धूल, धुएं या अन्य अशुद्धि के उत्पत्ति बिंदु के जितना निकट हो सके, लगाया जाना चाहिए।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि 11 कारखानों (<i>परिशिष्ट-13</i>) ने धूल और धुएं के प्रसार को रोकने के लिए उचित उपाय नहीं किए थे, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हो सकता था। विभाग द्वारा 2017-18 से 2021-22 के मध्य इन 11 कारखानों में से पांच कारखानों का निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन में धूल और धुएं के निराकरण के संबंध में उपायों की अपर्याप्तता का उल्लेख नहीं था।</p>
3. पृथक और पर्याप्त संख्या में शौचालय	<p>कारखाना अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, प्रत्येक कारखाना में पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए पर्याप्त, सुविधाजनक और हर समय साफ़ और स्वच्छ स्थिति में शौचालय सुलभ स्थान पर होने की व्यवस्था होनी चाहिए। राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 40 के अनुसार, 25 श्रमिकों पर कम से कम एक शौचालय होना चाहिए और जहाँ 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, वहाँ प्रथम 100 तक प्रत्येक 25 पुरुषों पर एक और उसके बाद प्रत्येक 50 पुरुषों पर एक पृथक शौचालय होना चाहिए।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण में पता चला कि रिंगस (सीकर) के एक कारखाने⁵ ने पाँच महिला श्रमिकों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध नहीं कराया था।</p>

⁵ जितेन फूड्स एंड फ्लेवर्स लिमिटेड, खादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रिंगस (सीकर)

	<p>एक अन्य कारखाना⁶ जो कि रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू, जयपुर में है, इसमें 255 पुरुष श्रमिकों के लिए पर्याप्त शौचालय सुविधाएं नहीं थीं, क्योंकि उनके उपयोग के लिए केवल पाँच शौचालय उपलब्ध थे जबकि नियमानुसार न्यूनतम सात शौचालय⁷ की आवश्यकता थी।</p>
4. चिकित्सा परीक्षण और स्वास्थ्य पंजिका का रखरखाव	<p>राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 65-SS के अनुसार, खतरनाक प्रक्रिया में लगे श्रमिकों की नियुक्ति से पहले और उसके बाद प्रत्येक छः माह में चिकित्सा जांच होनी चाहिए ताकि व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य की स्थिति का पता चल सके। नियुक्ति पूर्व और समय-समय पर की गई चिकित्सा जांच का विवरण स्वास्थ्य पंजिका फॉर्म संख्या 19 में दर्ज किया जाना चाहिए।</p> <p>खतरनाक प्रक्रिया⁸ में संलग्न 36 कारखानों (13 जोखिमभरा, 18 खतरनाक और 5 प्रमुख दुर्घटना संभावित) के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि 13 कारखानों में स्वास्थ्य पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। इसके अलावा, 13 कारखानों (परिशिष्ट-14) में से 10 कारखानों में पिछले छः महीनों⁹ की श्रमिकों की चिकित्सा जांच का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं था। दो कारखानों में स्वास्थ्य पंजिका संधारित थी, लेकिन श्रमिकों की चिकित्सा जांच दर्ज नहीं की गई थी।</p> <p>लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग ने 2017-18 से 2021-22 के मध्य 13 कारखानों (परिशिष्ट-15) में से पाँच कारखानों का निरीक्षण किया था। हालांकि, केवल एक कारखाना को स्वास्थ्य पंजिका का संधारण करने और श्रमिकों की चिकित्सा जांच कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसने भी निर्देशों का पालन नहीं किया। विभाग ने निर्देशों का पालन न करने पर कारखानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।</p>

2.1.3.3 कल्याण मानकों की अनुपालना

कारखाना अधिनियम में कारखाना परिसर के भीतर और बाहर जैसे कि भोजनकक्ष, विश्राम और अवकाश सुविधाओं, आवास और श्रमिकों के कल्याण के लिए अन्य सुविधाओं के लिए कल्याण मानकों को निर्दिष्ट किया गया है। प्रावधानों की अनुपालना पर चर्चा नीचे की गई है:

⁶ दिलीप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू (जयपुर)

⁷ 100 श्रमिकों तक चार शौचालय आवश्यक थे, और अगले 50 श्रमिकों के लिए एक अतिरिक्त शौचालय की आवश्यकता थी। इस प्रकार 255 श्रमिकों के लिए सात शौचालयों की आवश्यकता थी।

⁸ “खतरनाक प्रक्रिया” का अर्थ किसी उद्योग से संबंधित वह प्रक्रिया या गतिविधि है, जो प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है, जहां विशेष देखभाल न करने पर उसमें प्रयुक्त कच्चे माल, मध्यवर्ती या तैयार उत्पाद, उप-उत्पाद, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल द्वारा: (i) उसमें लगे या उससे जुड़े व्यक्तियों के स्वास्थ्य को गंभीर हानि हो सकती है, या (ii) सामान्य पर्यावरण में प्रदूषण हो सकता है।

⁹ संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि से पिछले छः महीने की गणना की गई थी।

1. आश्रय-स्थल/विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष	<p>कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 47 के अनुसार, प्रत्येक कारखाने में श्रमिकों के लिए (जिसमें 150 से अधिक श्रमिक हों) पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय, विश्राम कक्ष और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ एक उपयुक्त भोजन कक्ष होना चाहिए।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि चयनित 60 कारखानों में से चार कारखानों में पर्याप्त आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष नहीं थे, जबकि वे 150 से अधिक श्रमिकों को रोजगार दे रहे थे। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के मध्य विभाग ने इन सभी कारखानों का निरीक्षण भी किया था, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त प्रावधान के अनुसार इन सुविधाओं की कमी का उल्लेख नहीं किया गया था।</p>
2. शिशुगृह की उपलब्धता	<p>कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 48 के अनुसार, प्रत्येक कारखाना जिसमें 30 से अधिक महिला श्रमिक सामान्यतया कार्यरत हैं, वहाँ उन महिला श्रमिकों के छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त कमरा या कमरे (शिशुगृह) उपलब्ध होने चाहिए।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया कि तीन कारखानों में 30 से अधिक महिला श्रमिकों के कार्यरत होने के बावजूद शिशुगृह सुविधा नहीं थी। विभाग द्वारा इन सभी कारखानों का निरीक्षण (2018-19 से 2021-22) किया था, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन में महिला श्रमिकों की संख्या और शिशुगृह सुविधा की अनुपलब्धता का उल्लेख नहीं किया गया था।</p>
3. प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ	<p>कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 45 के अनुसार, प्रत्येक कारखाने में काम के सभी घंटों में तुरंत उपचार के लिए निर्धारित सामग्री से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारियाँ बनाए रखनी चाहिए। कारखाने में एक समय में सामान्यतया कार्यरत प्रत्येक 150 श्रमिकों के लिए कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होनी चाहिए।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सात कारखानों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स/अलमारी नहीं थी, जिससे चिकित्सा आपातकाल के दौरान कारखानों में उपचार की आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो सकती थी।</p>
4. सीसीटीवी सुविधाएँ	<p>विभाग द्वारा निर्देश (17 जुलाई 2018) जारी किए गए थे कि कारखानों को कार्यस्थल की सुरक्षा की निगरानी के लिए कारखानों</p>

	<p>के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से सटीक कारण का पता लगाने में मदद मिल सकती है और भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण में पाया कि छः कारखानों ने सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं किए थे। विभाग ने मई 2018 से दिसंबर 2020 के मध्य इन कारखानों में से दो का निरीक्षण किया और एक कारखाने को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश (सितम्बर 2019) जारी किए थे। हालाँकि, कारखाना मालिक ने निर्देशों की पालना नहीं की।</p>
5. पहचान पत्र	<p>राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 108 ए के अनुसार, प्रत्येक कारखाना प्रबंधक द्वारा प्रत्येक श्रमिक को सेवा में प्रवेश की तारीख से एक महीने के अन्दर फॉर्म संख्या 36 में फोटो पहचान पत्र (आईडी) जारी किया जाएगा। जारी किए गए फोटो पहचान पत्र के संबंध में श्रमिकों से प्राप्त की गई पावतियों को कारखाना निरीक्षक द्वारा माँगने पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि 27 कारखानों ने अपने श्रमिकों को फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किए थे। विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2021-22 के मध्य इन 27 कारखानों में से 16 का निरीक्षण किया था, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन में फोटो पहचान पत्र से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना का उल्लेख नहीं था।</p>

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभाग ने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से गैर-अनुपालन टिप्पणियाँ जारी की थी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती और निगरानी तंत्र नहीं था कि कारखाना मालिकों द्वारा विभाग के निर्देशों का पालन किया। एक पर्याप्त और उचित निगरानी तंत्र के अभाव में, विभाग ने अधिनियम का पालन कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की और सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों के उल्लंघन करने वाले कारखानों के खिलाफ मुकदमा दायर करने में भी विफल रहा।

सरकार ने जवाब (मई 2023) में कहा कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों की अनुपालना के लिए कारखानों को निर्देश जारी किए गए थे और संबंधित कारखानों से लेखापरीक्षा आक्षेप की अनुपालना प्राप्त हुई थी। हालाँकि, सरकार के जवाब में कारखाना मालिकों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्टों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए किसी तंत्र की अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया था।

उद्देश्य-2: क्या कारखाना श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रावधानों हेतु हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे।

इस उद्देश्य के अंतर्गत हमने पाया कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रावधानों के बारे में हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे, क्योंकि केवल कुछ श्रमिकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। प्रशिक्षण की अनुपस्थिति में विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इस मुद्दे पर निम्नलिखित प्रकार से चर्चा की गई है:

2.1.3.4 श्रमिकों को सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 111A के अनुसार, प्रत्येक श्रमिक को जहाँ तक संभव हो कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, या, उसे किसी कारखाना स्वामी द्वारा प्रायोजित हो कर ऐसे प्रशिक्षण केंद्र या संस्थान (जहाँ कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है) में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, जिसे मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

विभाग के पास श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र (सुरक्षा संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र) था। विभाग ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान गंभीर या घातक दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से श्रमिकों को मुफ्त सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चार निजी संस्थानों/प्रशिक्षण केंद्रों को भी अनुमोदित किया था। सुरक्षा संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 331 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 8,155 श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सुरक्षा संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र ने अधिकतम श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई समयबद्ध लक्ष्य या समय सारणी निर्धारित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, विभाग के पास निजी प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों या कारखाना मालिकों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए श्रमिकों की संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पंजीकृत कारखानों में कुल श्रमिकों की संख्या जो सुरक्षा संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुई, 0.13 और 0.35 प्रतिशत के बीच थी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 20 कारखानों ने अपने श्रमिकों को सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया था। सुरक्षा संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किए गए प्रशिक्षण की अल्प संख्या और कारखाना मालिकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान नहीं किए जाने से यह प्रतीत होता है कि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की प्रशिक्षण आवश्यकताएँ विभाग और कारखाना स्वामियों द्वारा काफी हद तक नज़रअंदाज की गईं।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2023) कि कारखाना प्रबंधन श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। इनके पास कारखाना श्रमिकों को प्रदान किए गए सुरक्षा प्रशिक्षण के बारे में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने कहा कि वह ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अभिलेख एकत्र करने और ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास करेगा।

अनुशंसा 1: सरकार यह विचार कर सकती है कि वार्षिक विवरणी में सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कारखाना श्रमिकों की संख्या को दिखाने का प्रावधान किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह कारखाना मालिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

उद्देश्य-3: क्या विभागीय व्यवस्था कारखाना श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभागीय व्यवस्था अधिकारियों को आवंटित निरीक्षणों के होने की निगरानी करने, कारखाना मालिकों द्वारा वार्षिक विवरणी की प्रस्तुतियों और रासायनिक दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रबंधन के लिए बनाए गए राज्य/जिला/स्थानीय संकट समूहों की नियमित बैठकों की निगरानी के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि मामलों के निपटारे में धीमी प्रगति और निरीक्षकों के पास पर्याप्त उपकरणों की अनुपलब्धता थी। इन मुद्दों पर चर्चा निम्नलिखित प्रकार से है:

2.1.3.5 सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए प्रणाली

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 9 में विभाग के निरीक्षक को कारखानों में कारखाना अधिनियम के प्रावधानों हेतु निरीक्षण के लिए प्रवेश करने की शक्ति प्रदान की गयी हैं। व्यवसाय सुधार कार्य योजना¹⁰ 2017 के तहत निरीक्षणों को सुव्यवस्थित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली आरम्भ की थी। यह एक एकल स्विड़की (सिंगल विंडो) सिस्टम पोर्टल है जो विभाग से संबंधित सभी अनुपालन निरीक्षणों को उत्पन्न करता है। केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली जोखिम मानदंडों के आधार पर निरीक्षणों हेतु कारखानों/संस्थानों की पहचान करता है। निरीक्षकों को केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से निरीक्षण आवंटित किये जाते हैं। इस संबंध में सूचना संबंधित निरीक्षक को भेजी जाती है, जिसे निरीक्षण रिपोर्ट, 48 घंटे के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। कोई भी निरीक्षक किसी भी कारखाने का लगातार दो बार निरीक्षण नहीं कर सकता। हालांकि, शिकायतों के आधार पर विभागाध्यक्ष से विशेष अनुमति प्राप्त कर औचक निरीक्षण किए जा सकते हैं।

अतः निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण हैं और कारखाना अधिनियम के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(i) केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से आवंटित निरीक्षणों में कमी

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से आवंटित निरीक्षणों एवं उनके विरुद्ध किये गए निरीक्षणों की स्थिति निम्नलिखित तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।

¹⁰ निरीक्षणों को सुव्यवस्थित करने और देश को 'इंस्पेक्टर राज' से मुक्त करने के लिए 10 विभिन्न देशों में बेहतरीन प्रथाओं का अध्ययन किया गया। इन सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर कई सुधारों को सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किया गया।

तालिका-2.1: केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से आवंटित और किए गए निरीक्षणों की संख्या

वर्ष	कुल कारखानों की संख्या	केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से आवंटित किये गए संयुक्त निरीक्षणों की कुल संख्या	किए गए निरीक्षण, जो केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से आवंटित थे	किये गए निरीक्षणों में कमी का प्रतिशत
2017-18	11,066	685	685	0
2018-19	11,387	1,344	1,344	0
2019-20	11,741	2,386	1,902	21
2020-21	12,166	3,023	1,565	48
2021-22	12,385	2,903	1,584	45
कुल		10,341	7,080	32

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विभाग वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान आवंटित निरीक्षण पूर्ण नहीं कर सका। इस अवधि के दौरान किये गये निरीक्षणों में 21 से 48 प्रतिशत के बीच कमी रही। लेखापरीक्षा की जांच में यह भी पता चला कि केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद कुल 12,385 कारखानों में से 5,687 (46 प्रतिशत) कारखानों के निरीक्षण आवंटित नहीं किए गए थे।

सरकार ने कमी के कारणों को निरीक्षकों की कमी और 14 जिलों में कार्यालयों की अनुपस्थिति के रूप में बताया (मई 2023)। यह जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि निरीक्षण केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से निरीक्षण अधिकारियों के नाम पर आवंटित किए गए थे और सभी जिलों के लिए जोखिम मानदंडों के आधार पर थे। उल्लेखनीय है कि कुल 33 निरीक्षण अधिकारियों में से केवल दो ने अपने आवंटित लक्ष्य प्राप्त किए, 23 निरीक्षण अधिकारियों ने 60 और 90 प्रतिशत के बीच अपने लक्ष्य प्राप्त किए और आठ निरीक्षण अधिकारियों ने आवंटित लक्ष्यों से 60 प्रतिशत से कम का निरीक्षण किया।

इसके अतिरिक्त, विभाग के पास उन निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई क्रियाविधि नहीं थी जिन्होंने आवंटित निरीक्षण पूर्ण नहीं किए।

अनुशंसा 2 : विभाग को केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली में एक मॉड्यूल लागू करने पर विचार करना चाहिए जो निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नहीं किए गए निरीक्षणों को रेड फ्लैग करे और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे।

(ii) वार्षिक विवरणियों की प्रस्तुतियाँ और दुर्घटना पंजिका का रखरखाव

राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 105 के अनुसार, कारखानों को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी से पहले फार्म 23 में सम्बंधित निरीक्षक को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वार्षिक विवरणी में महत्वपूर्ण विवरणों को शामिल किया गया था जैसे कि वर्ष के दौरान कार्यरत श्रमिक (पुरुष, महिलाएं और बच्चे), कार्य के घंटों की संख्या, सुरक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी, एम्बुलेंस का विवरण, जलपान गृह, शिशुगृह, दुर्घटनाएं, स्वतःनाक

परिस्थितियों में कार्यरत श्रमिक आदि। इसके अतिरिक्त राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 109 के अनुसार कारखानों को दुर्घटनाओं और स्वतन्त्रताक घटनाओं की एक पंजिका का फार्म 29 में भी संधारण करना होता है।

वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान कारखानों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की स्थिति तालिका-2.2 में दर्शाई गई है:

तालिका-2.2: कारखाना मालिकों/अधिवासी/प्रबंधकों द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी की स्थिति

वर्ष	कारखानों की संख्या	प्राप्त वार्षिक विवरणियों की संख्या	कमी का प्रतिशत
2017-18	11,066	630	94.30
2018-19	11,387	841	92.61
2019-20	11,741	1,135	90.33
2020-21	12,166	1,519	87.51
2021-22	12,385	3,881	68.66
2022-23	12,551	5,481	56.33
कुल	71,296	13,487	81.08

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 56.33 से 94.30 प्रतिशत कारखाने वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, 60 कारखानों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि 24 कारखानों (परिशिष्ट-16) ने 2021 के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की और 14 कारखानों (परिशिष्ट-17) ने दुर्घटना पंजिका का संधारण नहीं किया। विभागीय अधिकारियों ने जून 2017 से मार्च 2022 के मध्य 14 में से आठ कारखानों का निरीक्षण किया जो दुर्घटना पंजिका का रखरखाव नहीं कर रही थी, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए जारी कोई निर्देश लेखापरीक्षा को नहीं मिले।

विवरणियों की गैर-प्रस्तुति से विभाग महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा जो कारखानों द्वारा कल्याण प्रावधानों की अनुपालना से संबंधित थी। इसी तरह, दुर्घटना पंजिका की अनुपस्थिति से कारखानों में होने वाली स्वतन्त्रताक दुर्घटनाओं और घटनाओं की वास्तविक आवृत्ति और प्रभाव को सुनिश्चित करने का कोई आश्वासन नहीं मिला।

तथापि, विभाग ने नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही कोई कार्रवाई की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2023) और जवाब दिया कि दोषी कारखानों को निर्देश जारी किए गए थे। तथ्य यह है कि विभाग ने वार्षिक विवरणी की प्रस्तुतियों और दुर्घटना पंजिका के रखरखाव के नियमों के अनुपालन की निगरानी उचित रूप से नहीं की। इसके अतिरिक्त, दोषी कारखानों के खिलाफ उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

(iii) संकट प्रबंधन के लिए बनाई गई समितियों की बैठकें

रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1996 में रासायनिक दुर्घटनाओं की स्थिति में संकट स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गई थी। सरकार ने (9 जून 2010) को नियम 6 और नियम 8 के तहत राज्य संकट समूह, जिला संकट समूह और स्थानीय संकट समूह का गठन किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- राज्य संकट समूह को प्रमुख रासायनिक दुर्घटनाओं को संभालने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तिमाही बैठकों का आयोजन करना था। राज्य संकट समूह के लिये आवश्यक था कि वह ऑफ साइट आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा करें, योजनाएं तैयार करने में सहायता करें, रासायनिक दुर्घटनाओं हेतु तैयारी करें और इनमें कमी के प्रयास करें, दुर्घटना पश्चात् स्थिति की निगरानी करें और जिला संकट समूहों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा करें। तथापि, राज्य संकट समूह ने गठन (2010) के बाद से केवल एक बैठक (सितंबर 2015) आयोजित की। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि इंगित करे कि नियमित बैठकें आयोजित करवाने के प्रयास किए गए थे।
- जिला संकट समूह को प्रत्येक 45 दिवस में एक बैठक आयोजित करनी थी। जिला संकट समूहों का गठन (जून 2010) उन 12 जिलों में किया गया था, जहाँ प्रमुख दुर्घटना स्वतंत्रों की श्रेणी के 109 कारखाने स्थित थे। जिला संकट समूहों को जून 2010 से मार्च 2022 के दौरान प्रत्येक जिले में 94 बैठकें आयोजित करनी थीं। तथापि, इस अवधि में कुल 42 बैठकें¹¹ आयोजित की गईं जबकि आवश्यक बैठकों की संख्या 1,128¹² थी।
- स्थानीय संकट समूह को प्रत्येक महीने में एक बैठक करनी थी और जिला संकट समूह को कार्यवाही की एक प्रति प्रेषित करनी थी। स्थानीय संकट समूहों का गठन 12 प्रमुख दुर्घटना स्वतरे वाले जिलों में किया गया था। तथापि, विभाग द्वारा स्थानीय संकट समूहों की बैठकों का कोई भी विवरण प्रदान नहीं किया गया।

प्रमुख दुर्घटना स्वतरे वाले 109 कारखानों की उपस्थिति के बावजूद रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन के लिए विभाग द्वारा की गयी तैयारी की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी, क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों के लिए बनी समितियों की आवश्यक बैठकों का आयोजन नहीं किया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2023) कि राज्य संकट समूह की नियमित बैठकों के आयोजन के प्रयास किए जाएंगे। जिला संकट समूहों और स्थानीय संकट समूहों की बैठकें कर्मचारियों की कमी और कोविड महामारी के कारण समय पर नहीं की जा सकी।

¹¹ आयोजित की गई बैठकें: अजमेर-2, अलवर-3, भरतपुर-1, बीकानेर-2, चित्तौड़गढ़-8, जयपुर-2, झुंझुनू-3, जोधपुर-5, कोटा-9, पाली-1, सिरोही-3, उदयपुर-3

¹² एक वर्ष में 8 बैठकें (प्रत्येक 45 दिनों में एक बार) आयोजित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, कुल 1,128 बैठकें = {12 (जिला संकट समूहों की संख्या) x 8 (एक वर्ष में बैठकों की संख्या) x 11.75 (वर्षों की संख्या) (जून 2010 से मार्च 2022 तक 11 वर्ष और 9 महीने)} आयोजित की जानी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जो कि इंगित करे कि राज्य संकट समूह की नियमित बैठकों को आयोजित करने के प्रयास किए गए थे। इसके अतिरिक्त, जिला संकट समूहों और स्थानीय संकट समूहों की बैठकें कोविड महामारी के पश्चात भी आयोजित नहीं की गईं।

नियमित बैठकों और निगरानी की अनुपस्थिति में, कठिन दुर्घटनाओं की स्थिति में रासायनिक संकट प्रबंधन प्रतिक्रिया कमजोर होगी।

अनुशंसा 3: सरकार को राज्य संकट समूह, जिला संकट समूह और स्थानीय संकट समूह की बैठकों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर सकती है।

(iv) मामलों के निपटारे में धीमी प्रगति

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 105 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध पर अदालत तभी संज्ञान ले सकती है, जब एक निरीक्षक द्वारा शिकायत या पूर्व में लिखित अनुमति हो। मजिस्ट्रेट¹³ या प्रथम श्रेणी के नीचे की कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं कर सकता है।

मार्च 2022 को लंबित अभियोजन मामलों की वर्षवार सूचना निम्नलिखित तालिका-2.3 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.3: अभियोजन मामलों का विवरण

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामले	वर्ष के दौरान दायर मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में लंबित मामले
2017	249	39	19	269
2018	269	35	24	280
2019	280	28	25	283
2020	283	31	4	310
2021	310	22	7	325

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या दायर किए गए मामलों की संख्या से बहुत कम थी, जिससे लंबित मामलों की संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही थी। उक्त यह दर्शाता है कि मामलों के अनुसरण और निपटारे के लिए विभाग के प्रयासों में कमी थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (मई 2023) कि मामलों के निपटारे के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

¹³ अब एक महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)।

(v) निरीक्षकों के पास आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता

कारखाना अधिनियम और नियमों में प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि दबाव और ज्वलनशील गैसों के स्तर को बताया गया है, जिनके संपर्क में एक कारखाना श्रमिक के आने पर उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो सकता है। ये नियम उन कारखानों पर लागू होते हैं जहां निर्माण प्रक्रिया में उच्च ध्वनि स्तर या इस प्रकार की धूल, गैस, धुएं या वाष्प का उत्पादन होता है जिनके प्रज्वलन होने पर विस्फोट हो सकते हैं।

मुख्य निरीक्षक और उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर विभाग, जयपुर के स्टॉक पंजिका की समीक्षा में पता चला कि आवश्यक उपकरण जैसे कि प्रकाशमापक, ध्वनिमापक और विस्फोटमापक यंत्र विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, इकाई कार्यालयों में नियुक्त निरीक्षक, निरीक्षण के दौरान प्रकाश की तीव्रता और स्तरनाक ध्वनि दबाव की जाँच नहीं कर सकते थे।

सरकार ने उत्तर (17 मई 2023) दिया कि इन उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कार्यस्थल से नमूने एकत्र करने के लिए मौजूद है।

वाहनों पर कर**2.2 कर प्रशासन और लेखापरीक्षा के परिणाम**

मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां जो कि केंद्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों और इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत देय है, सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव (परिवहन) द्वारा प्रशासित की जाती हैं। परिवहन आयुक्त सह-शासन सचिव राजस्थान सरकार परिवहन विभाग (विभाग) के प्रमुख हैं तथा इनकी सहायता छः अतिरिक्त परिवहन आयुक्तों और चार उप परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है। परिवहन सेवाओं के सुचारु संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य को 12 संभागों¹⁴ में विभाजित किया गया है। इन संभागों को आगे 58 परिवहन जिलों¹⁵ में विभाजित किया गया है।

क्षेत्रों में परिवहन गतिविधियों का समग्र प्रशासन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पास है। वह राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी भी हैं। जिला परिवहन अधिकारी परिवहन जिले के लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्राधिकारी है। वह राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम/नियमों, 1951 के प्रयोजन के लिए कराधान अधिकारी भी हैं।

¹⁴ संभाग: अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर।

¹⁵ जिले: आबू रोड, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, भिवाड़ी, बूंदी, चौमूं, चुरू, डीडवाना, धौलपुर, दूदू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, केकड़ी, खेतड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, पीपाड़ शहर, फलोदी, पोकरण, प्रतापगढ़, राजसमंद, रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर, शाहपुरा (भीलवाड़ा), शाहपुरा (जयपुर), सिरौही, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़, सुमेरपुर, शादुलशहर, टोंक, रतनपुर (टीसीसी), शाहजहांपुर (टीसीसी) और क्षेत्रीय स्तर पर बारह जिले।

मार्च 2022 के अंत तक 56 परिवहन जिलों¹⁶ में कुल 1.72 करोड़ वाहन पंजीकृत थे। परिवहन विभाग में लेखापरीक्षा के योग्य 58 इकाइयाँ थीं। इनमें से 16 इकाइयों¹⁷ को नमूना जांच के लिए चुना गया, जिनमें 94.59 लाख वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 0.41 लाख वाहनों को नमूना जांच के लिए चयनित किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान कर की अवसूली/कम वसूली, ब्याज, शास्ति और कम्पाउंडिंग शुल्क के कम भुगतान, कर के अनिर्धारण/कम निर्धारण, मोटर वाहन कर की संगणना इत्यादि से संबंधित ₹ 13.70 करोड़ की अनियमितताओं से जुड़े कुल 2,543 मामले देखे गए। वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,738 मामलों में ₹ 8.83 करोड़ के कम मूल्यांकन और अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 8.43 करोड़ से जुड़े 1,550 मामले वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा में और शेष पिछले वर्षों के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2021-22 के दौरान 186 मामलों में ₹ 0.48 करोड़ की वसूली की गई, जिनमें से 58 मामलों में ₹ 0.23 करोड़ की वसूली 2021-22 में और बाकी पिछले वर्षों में इंगित किये गये थे। लेखापरीक्षा ने मालवाहक वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली न होने को इंगित किया (जुलाई 2022 और जनवरी 2023)। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1,225 वाहनों से संबंधित ₹ 5.73 करोड़ की वसूली की। इस रिपोर्ट में इन प्रकरणों पर चर्चा नहीं की गई है।

प्रतिवेदन में ₹ 7.91 करोड़ की राशि के उदाहरणात्मक प्रकरण शामिल किए गए हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं:

अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

वाणिज्यिक वाहन अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। परिवहन विभाग ने वाणिज्यिक वाहनों को उनकी विशिष्टियों के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे, परिवहन वाहन¹⁸, गैर-परिवहन¹⁹ वाहन, यात्री वाहन आदि। मोटर वाहन कर, विशेष पथ कर, एकमुश्त कर और एक बारीय कर इन वाहनों पर उनके विशिष्टियों के अनुसार लागू मुख्य कर थे।

मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर

यात्री वाहन: मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर, वाहन की बैठक क्षमता और तय की जाने वाली दूरी के लिए जारी परमिट, के आधार पर लगाया जाते थे।

माल वाहन: 9 जुलाई 2019 तक वाहन के चेसिस की लागत के अनुसार मोटर वाहन कर लगाया गया था, उसके बाद, 16,500 किलोग्राम से अधिक वाले वाहन के सकल वाहन भार के अनुसार मोटर वाहन कर लगाया गया था।

¹⁶ दो परिवहन जिले, अर्थात् शाहजहांपुर और रतनपुर, केवल कर संग्रहण केंद्र थे।

¹⁷ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय: अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, सीकर, टीसी कार्यालय जयपुर और उदयपुर।

जिला परिवहन कार्यालय: बालोतरा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, झुंझनू, करौली और शाहपुरा (भीलवाड़ा)।

¹⁸ परिवहन वाहन: सार्वजनिक सेवा वाहन, मालवाहक, शैक्षणिक संस्थान की बस या निजी सेवा वाहन।

¹⁹ गैर-परिवहन वाहन: मोटर वाहन जो परिवहन वाहन नहीं है।

एकमुश्त कर: 1 जुलाई 2007 को या उसके बाद 9 जुलाई 2019 तक पंजीकृत परिवहन वाहन एकमुश्त कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। यह कर 10 जुलाई 2019 से समाप्त कर दिया गया है।

एकबारीय कर: एकबारीय कर गैर-परिवहन वाहनों और अन्य श्रेणी के वाहनों यथा जेसीबी, क्रेन, अर्थ मूविंग उपकरण आदि पर लगाया जाता है। अधिसूचना 10 जुलाई 2019 के अनुसार, 16,500 किलोग्राम तक सकल वाहन भार वाले परिवहन वाहन और अन्य श्रेणी के वाहन यथा जेसीबी, क्रेन, अर्थ मूविंग उपकरण एकबारीय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.3 एकमुश्त कर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी के उल्लंघन में विभाग द्वारा 183 वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.42 करोड़ के एकमुश्त कर एवं अधिभार की कम वसूली/अवसूली हुई।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार के परिवहन वाहनों पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित दरों पर एकमुश्त कर लगाया गया था:

1. चार पहिया माल वाहनों की सभी श्रेणियां जिनका सकल वाहन भार 3,000 किलोग्राम से अधिक और 16,500 किलोग्राम तक है।
2. ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर बीस तक बैठने की क्षमता वाले सभी श्रेणी के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, टूरिस्ट परमिट और निजी वाहना।

वाहन स्वामी के विकल्प पर, एकमुश्त कर का भुगतान या तो सम्पूर्ण अथवा छः समान किश्तों में (14 जुलाई 2014 से) एक वर्ष में किया जा सकता था। दिनांक 10 अक्टूबर 2017 तक, एकमुश्त कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था। तत्पश्चात् अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के अनुसार अधिभार 12.50 प्रतिशत की दर से देय था। इसके अलावा, कराधान अधिकारी को राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के नियम 8 और 33 के अंतर्गत कर की वसूली के लिए नोटिस देने और राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 13 ए के तहत भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से देय कर या शास्ति वसूल करने का अधिकार था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 15 परिवहन कार्यालयों की नमूना जांच की गई और अप्रैल 2015 से मार्च 2021 के बीच की अवधि में नौ परिवहन कार्यालयों²⁰ में महत्वपूर्ण अनियमितताएं देखी गईं।

²⁰ जिला परिवहन कार्यालय: बालोतरा (04/2015 से 03/2021), बाड़मेर (04/2016 से 03/2021), झुंझुनू (04/2016 से 03/2021), करौली (04/2016 से 03/2021) और शाहपुरा भीलवाड़ा (04/2016 से 03/2021)।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय: भरतपुर (04/2019 से 03/2021), कोटा (12/2018 से 03/2021), जोधपुर (04/2019 से 03/2021) और उदयपुर (01/2019 से 03/2021)।

कुल 38,843 वाहनों²¹ में से 8,651 गाड़ियों के अभिलेखों की जांच की गयी। वाहन और ई-ग्रास²² के डेटा के साथ कर खातों की जांच (जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 के मध्य) से पता चला कि 36 वाहन स्वामियों द्वारा ₹ 33.47 लाख का एकमुश्त कर और अधिभार का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, 147 वाहन स्वामियों द्वारा पहली या दूसरी किश्त का भुगतान करने के बाद शेष किश्तों की राशि ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया।

यद्यपि कर अपवंचना करने वालों की जानकारी वाहन एप्लिकेशन में उपलब्ध थी, तथापि, यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि कराधान अधिकारियों ने उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत देय कर की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू की थी। इसके परिणामस्वरूप 183 वाहनों से सम्बंधित ₹ 1.42 करोड़ के कर और अधिभार की वसूली नहीं हुई।

मामला विभाग को बताया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022)। सरकार ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि 68 वाहनों से राशि ₹ 0.55 करोड़ की वसूली कर ली गयी थी।

2.4 मोटर वाहनों पर कर की अवसूली

वाहन स्वामियों द्वारा 781 वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राशि ₹ 6.49 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 एवं 4 बी तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, सभी परिवहन वाहनों जिन्हें राज्य में उपयोग किया जा रहा था या उपयोग हेतु रखे गए थे, पर मोटर वाहन कर और विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है। देय कर पर अधिभार भी लगाया जाता है। यह कर वार्षिक रूप से देय होता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय था और इसे अगले वर्ष 31 मार्च तक जमा करना होता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान 15 परिवहन कार्यालयों की नमूना जांच की गई और 14 क्षेत्रीय परिवहन/जिला परिवहन कार्यालयों में महत्वपूर्ण अनियमितताएं पाई गयीं। इन कार्यालयों के 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए पंजीयन अभिलेखों, कर खातों, सामान्य सूची पंजिकाओं एवं वाहन एप्लिकेशन की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 781 वाहनों के मालिकों द्वारा देय कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों में इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, जो सिद्ध करते हैं कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे/अन्य जिले/राज्यों को स्थानांतरित हो गये थे या उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र समर्पित कर दिये गये थे। तथापि, कराधान

²¹ कुल-38,843 वाहन: 37,197 मालवाहन और 1,646 टैक्सी/मैक्सी। 8,651 वाहन निर्णयात्मक आधार पर चुने गए थे।

²² ई-ग्रास (ऑनलाइन सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली) राजस्थान सरकार की एक ई-गवर्नेंस पहल है जो मिशन मोड परियोजना श्रेणी के अंतर्गत आती है और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। यह कर/गैर-कर राजस्व की ऑनलाइन और मैनुअल दोनों मोड में संग्रहण की सुविधा प्रदान करता है।

अधिकारियों द्वारा देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.49 करोड़ के कर एवं अधिभार की वसूली नहीं हुई, जैसा कि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: कर की अवसूली का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों के नाम जहां अनियमितताएं पाई गई
1.	परिवर्तित माल वाहन ²³	330	1.71	जिला परिवहन कार्यालय - भीलवाड़ा और शाहपुरा भीलवाड़ा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय - अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर।
2.	कॉन्ट्रेक्ट कैरिज (अस्थिर भारतीय परमिट)	65	1.91	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय- बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और उदयपुर। जिला परिवहन कार्यालय - बालोतरा, बाड़मेर, भीलवाड़ा और झुन्झुनू।
3.	डम्पर/टिप्पर	89	0.32	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय - चित्तौड़गढ़, सीकर, उदयपुर।
4.	माल वाहन	245	1.12	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय - भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। जिला परिवहन कार्यालय - धौलपुर, झुन्झुनू, करौली और शाहपुरा भीलवाड़ा।
5.	स्टेज कैरिज (ग्रामीण मार्ग)	4	0.05	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय - बीकानेर।
6.	स्टेज कैरिज (यात्री वाहन)	15	0.87	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय - बीकानेर, जोधपुर और झुन्झुनू।
7.	स्टेज कैरिज (अन्य मार्ग)	33	0.51	जिला परिवहन कार्यालय - बाड़मेर, झुन्झुनू और करौली।
योग		781	6.49	

स्रोत: परिवहन विभाग के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

इन प्रकरणों को इंगित (अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022 के मध्य) किए जाने के बाद, सरकार ने उत्तर दिया (मई 2023) कि 11 क्षेत्रीय परिवहन/जिला परिवहन कार्यालयों से सम्बंधित 255 वाहनों से ₹ 1.76 करोड़ की राशि की वसूली कर ली गई थी।

²³ एक परिवर्तित वाहन वह है जिसमें दो या अधिक अलग-अलग फ्रेम होते हैं जो उपयुक्त युग्मनों (सूटेबल कपलिंग्स) द्वारा जुड़े होते हैं।

खान विभाग

2.5 परिचय

सरकार स्तर पर शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग स्तर पर निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर, संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), छः अतिरिक्त निदेशक, खान, छः अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान और एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान को सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त निदेशक, खान नौ वृत्तों के माध्यम से नियंत्रण करते हैं, प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण स्वनि अभियंता करता है।

अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण और स्वनिजों के अवैध उत्खनन और निर्गमन की रोकथाम के लिए 49 स्वनि अभियंता/सहायक स्वनि अभियंता उत्तरदायी हैं। स्वनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग में एक पृथक सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) हैं।

खान एवं भूविज्ञान विभाग में 136 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ²⁴ थीं। इनमें से 10 इकाइयों²⁵ का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया, जिनमें 19,087 प्रकरणों²⁶ में से लेखापरीक्षा ने 4,703 प्रकरणों²⁷ (24.64 प्रतिशत) का चयन एवं जांच की। इनमें से 2,001 प्रकरणों में ₹ 1,257.97 करोड़ की कमियाँ पायी गयीं। लेखापरीक्षा ने पूर्ववर्ती वर्षों में भी समान त्रुटियाँ ध्यान में लाई थी परन्तु ये अनियमितताएँ बनी रही तथा अगली लेखापरीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, कमियों और अन्य सम्बन्धित मुद्दों के सारभूत अनुपात ने इंगित किया कि सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि ऐसी त्रुटियों के गठित होने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके। वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग ने 216 प्रकरणों में ₹ 11.12 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिसमें से 51 प्रकरण जिनमें राशि ₹ 8.63 करोड़ निहित थी, वर्ष 2021-22 के एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग ने पिछले

²⁴ शासन सचिव खान एवं भूविज्ञान विभाग, निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग तथा निदेशक पेट्रोलियम, कार्यालय के अलावा 133 अन्य इकाइयाँ इसमें शामिल हैं।

²⁵ शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर, निदेशक खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर, निदेशक पेट्रोलियम, जयपुर, स्वनि अभियंता: आमेट, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमन्द II, सोजत सिटी एवं भीलवाड़ा।

²⁶ कुल 19,087 प्रकरण: 4,631 खनन पट्टे, 15 पूर्वक्षण लाइसेंस, 73 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके, 983 खदान अनुज्ञप्ति, स्वनिज के अवैध खनन/परिवहन के 5,866 प्रकरण, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के 432 प्रकरण, राजस्व निर्धारण के 2,724 प्रकरण, रिफंड के दो प्रकरण, बकाया के 220 प्रकरण एवं 4,141 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

²⁷ कुल 4,703 प्रकरणों का चयन कर जांच की गयी: 805 खनन पट्टे, 15 पूर्वक्षण लाइसेंस, 73 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके, 230 खदान अनुज्ञप्ति, स्वनिज के अवैध खनन/परिवहन के 1,251 प्रकरण, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के 331 प्रकरण, राजस्व निर्धारण के 150 प्रकरण, रिफंड के दो प्रकरण, बकाया के 220 प्रकरण एवं 1,626 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

वर्षों से संबंधित 165 प्रकरणों में ₹ 2.34 करोड़ वसूल किये। एक उदाहरणात्मक प्रकरण राशि ₹ 0.83 करोड़ को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

2.6 अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन

विभाग ने खनन पट्टे की खनन योजना में उल्लेखित अनुमत्य मात्रा से अधिक उत्खनित एवं निर्गमित खनिज की मात्रा के लिये मांग कायम नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 83 लाख की अवसूली रही।

यदि पट्टाधारक ने खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक या लागू कानूनों के तहत अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन किया हो तो वसूली की जाने वाली राशि का प्रावधान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 28 (2)(iv)(बी) में बताया गया है:

- दस प्रतिशत की मात्रा तक केवल एक बारीय अधिशुल्क वसूल किया जाएगा;
- दस प्रतिशत से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत तक की मात्रा होने पर, सम्पूर्ण मात्रा पर अधिशुल्क का दो गुना वसूल किया जाएगा; तथा
- पच्चीस प्रतिशत से अधिक की कोई भी मात्रा पर, अनुमत्य मात्रा से अधिक सम्पूर्ण मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जाएगा तथा पट्टाधारक को ऐसे अतिरिक्त खनिज की कीमत का भुगतान करना होगा, जिसकी गणना प्रचलित दर पर देय अधिशुल्क राशि के दस गुना के रूप में की जाएगी तथा इस पर अन्य विभाग द्वारा कार्रवाई करने की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खनि अभियंता, उदयपुर के अभिलेखों की जांच (दिसम्बर 2019) से पता चला कि एक पट्टाधारक ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान खनन योजना में अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिज चिनाई पथर का उत्खनन किया। अनाधिकृत उत्खनन का विवरण **तालिका-2.5** में दिया गया है:

तालिका-2.5: अनाधिकृत उत्खनन का विवरण

वर्ष	खनन योजना के अनुसार मात्रा (मीट्रिक टन)	रवन्नाओं ²⁸ के अनुसार उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन)	अधिक उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन)	अधिक उत्खनन की मात्रा प्रतिशत में	वसूली योग्य राशि (₹)
2017-18	38,567.88	95,983.00	57,415.12	148.87	57,415.12x28x10=1,60,76,233
2018-19	51,246.00	60,589.25	9,343.25	18.25	9,343.25x28x2= 5,23,222
योग					1,65,99,455

स्रोत: विभाग से एकत्रित जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

²⁸ “रवन्ना” से तात्पर्य है कि विभाग द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया रवन्ना या विभाग के वेब पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित ई-रवन्ना से है और इसमें खनिज के प्रेषण, उपभोग या प्रसंस्करण के लिए या किसी खनिज रियायत या अनुज्ञापत्र के अधीन मंजूर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य प्रणाली सम्मिलित है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि पट्टाधारक ने पर्यावरण मंजूरी में अनुमत्य मात्रा 66,600 मीट्रिक टन के मुकाबले वर्ष 2017-18 में 95,983 मीट्रिक टन चिनाई पत्थर का उत्खनन किया। इस प्रकार, पट्टाधारक ने पर्यावरण मंजूरी में अनुमत्य मात्रा से अधिक 29,383 मीट्रिक टन चिनाई पत्थर का उत्खनन किया। पट्टाधारक ने एमनेस्टी स्कीम 2020 के तहत आवेदन कर अनुमति से अधिक मात्रा के लिए दो गुना अधिशुल्क राशि अर्थात ₹ 16.42 लाख जमा (23 दिसंबर 2020) करा दिए। उसी दिन विभाग ने पर्यावरण मंजूरी में अनुमत्य मात्रा से अधिक 29,383 मीट्रिक टन चिनाई पत्थर के उत्खनन के लिए ₹ 65.64 लाख माफ करने का आदेश जारी कर दिए। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 2017-18 के लिए विभाग ने पर्यावरण मंजूरी से अधिक मात्रा के लिए जुर्माना राशि वसूल की ना कि खनन योजना के अनुसार। चूंकि खनन योजना में स्वीकृत मात्रा पर्यावरण मंजूरी से कम थी, इसलिए इस मामले में खनन योजना में स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनन की गई मात्रा के लिए जुर्माना वसूला जाना चाहिए था। इस प्रकार विभाग ने ₹ 78.70 लाख²⁹ की मांग कम कायम की।

वर्ष 2018-19 के लिए सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि पट्टाधारक ने 60,411 मीट्रिक टन चिनाई पत्थर का उत्खनन किया और खनन योजना में अनुमत्य मात्रा से 4,040.6 मीट्रिक टन का अधिक उत्खनन किया। इसलिए, अनुमत्य मात्रा 56,370.6 मीट्रिक टन (51,246x1.1) के दस प्रतिशत से अधिक मात्रा अर्थात 4,040.6 मीट्रिक टन (60,411-56,370.6) के लिए दो गुना अधिशुल्क राशि की वसूली की जाएगी। इसलिए ₹ 0.93 लाख³⁰ रुपये की अधिशुल्क राशि की वसूल की गई।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि सरकार ने बताया कि पट्टाधारक ने 60,411 मीट्रिक टन खनिज चिनाई पत्थर का उत्खनन किया था, जबकि खान एवं भूविज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली के अनुसार यह 60,589.25 मीट्रिक टन था। इसके अलावा खनन योजना में अनुमत्य मात्रा से अधिक सम्पूर्ण मात्रा अर्थात 9,343.25 मीट्रिक टन पर दो गुना अधिशुल्क राशि की वसूली की जाएगी, लेकिन विभाग ने इस मात्रा को 4,040.60 मीट्रिक टन माना जोकि नियमों के विपरीत है। आगे, विभाग ने ₹ 5.23 लाख रुपये की वसूली योग्य राशि के मुकाबले केवल ₹ 0.93 लाख रुपये ही वसूल किए।

परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक खनिज के अतिरिक्त उत्खनन के लिए राशि ₹ 83 लाख³¹ वसूली योग्य थी।

²⁹ खनन योजना से अधिक उत्खनन के लिए जुर्माना राशि ₹ 160.76 लाख - पर्यावरण मंजूरी से अधिक उत्खनन के लिए जुर्माना राशि ₹ 82.06 लाख।

³⁰ नियमानुसार दो गुना अधिशुल्क राशि की वसूली की जानी थी, चूंकि खनिजों के प्रेषण के समय एक बार अधिशुल्क राशि की वसूली की जा चुकी थी, इसलिए विभाग द्वारा एक बार की अधिशुल्क राशि की वसूली की गई।

³¹ 2017-18 के लिए कम शास्ति वसूली गयी ₹78.70 लाख + 2018-19 के लिए शास्ति ₹ 4.30 लाख।

भाग-II

**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और
स्वायत्त निकायों से संबंधित अनुपालन
लेखापरीक्षा आक्षेप**

1. सामान्य

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) में राज्य सरकार की कम्पनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राजकीय उपक्रमों की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए की जाती है एवं इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2022 को राजस्थान में 46 राजकीय उपक्रम थे। इन 46 राजकीय उपक्रमों¹ में से, 31 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II) राजस्थान के कार्यालय को प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान के चार स्वायत्त निकायों (एबी) की लेखापरीक्षा भी महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II) राजस्थान के कार्यालय को प्रदान की गई है। इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों की सूची **परिशिष्ट-18** में विस्तृत है।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 एवं सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) की धारा 13 से 20 के अंतर्गत प्राप्त है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत तथा कार्यपद्धति सीएजी द्वारा जारी किए गये लेखापरीक्षा एवं लेखों के विनियम 2020 एवं लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किए गये हैं। तदनुसार, यह कार्यालय अपने लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राजकीय उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा करता है।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र

1.3 2021-22 के दौरान, इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 31 राजकीय उपक्रमों से संबंधित 1083 इकाईयां एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित चार इकाईयां थीं। इन राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, राजकीय उपक्रमों की 218 इकाईयां एवं राजकीय उपक्रमों की दो इकाईयां अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु चयनित की गई थी।

अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1.4 इस प्रतिवेदन के भाग- II में पांच राजकीय उपक्रमों² से संबंधित चार अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं। यह अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद राजस्थान सरकार के संबंधित प्रधान सचिव के साथ-साथ संबंधित राजकीय उपक्रमों के प्रमुख को जारी किए गए थे।

¹ 39 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित चार कंपनियां एवं तीन सांविधिक निगम।

² जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसीसीएल) एवं राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससीएल)।

अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद जारी किए जाने से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर देने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। जून 2024 के अंत तक चार लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गए थे एवं इन्हें इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिया गया है। अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 44.51 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः, यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाए। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को सीएजी की प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पीए) पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किए थे। राजस्थान सरकार ने समय पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियों को समय पर उत्तर प्रस्तुत किए जाने हेतु अपने निर्देशों को पुनः दोहराया (सितंबर 2022)।

सितंबर 2022 तक कोई भी व्याख्यात्मक टिप्पणियां लंबित नहीं थीं।

लेखापरीक्षा के ध्यान में आये लेखापरीक्षा आक्षेपों, जिनका निपटान इकाई पर नहीं किया गया हो, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संबंधित राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के प्रमुखों को प्रेषित किया जाता है। राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होता है।

31 राजकीय उपक्रमों से संबंधित, 31 मार्च 2022 तक जारी किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर हुआ कि 633 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 2760 अनुच्छेद सितंबर 2022 के अंत में बकाया थे, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 58987.47 करोड़ था। साथ ही, स्वायत्त निकायों के प्रकरण में, 13 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 77 अनुच्छेद सितंबर 2022 के अंत में बकाया थे, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 173.66 करोड़ था। 30 सितंबर 2022 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आक्षेपों की राजकीय उपक्रम एवं स्वायत्त निकाय-वार स्थिति **परिशिष्ट-19** में दर्शायी गई है।

साथ ही, 2021-22 के दौरान, चयनित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी। वर्ष के दौरान राजकीय उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों को क्रमशः 472 अनुच्छेद को सम्मिलित करते हुए 84 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं छह अनुच्छेदों को सम्मिलित करते हुए एक निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गये थे। बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान हेतु 14 राजकीय उपक्रमों में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया था।

2021-22 के दौरान, राजकीय उपक्रमों के संबंध में लेखापरीक्षा समितियों की 38 बैठकें आयोजित की गई थीं, जिनमें उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति पर संबंधित कार्यकारी/प्रशासनिक विभागों के साथ चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर वसूली

1.6 2021-22 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के प्रबंधन को ₹ 363.69 करोड़ की वसूली इंगित की गई थी। साथ ही, राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 33.01 करोड़ (2021-22 में इंगित की गई वसूली के समक्ष ₹ 0.31 करोड़ एवं गत वर्षों में इंगित की गई वसूली के पेटे ₹ 32.70 करोड़) की वसूली की गई थी।

राज्य विधायिका में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति

1.7 राज्य में चार स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय के अधीन है। निर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार, स्वायत्त निकायों को वित्तीय वर्ष के लेखे आगामी वित्तीय वर्ष में 30 जून तक प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। लेखापरीक्षा सुपुर्दगी, लेखों को लेखापरीक्षा को सौंपने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) जारी किए जाने एवं इसे विधायिका में रखे जाने की स्थिति **परिशिष्ट-20** में दी गई है। इन चार स्वायत्त निकायों द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब छः माह से 102 माह तक की सीमा में विलंब था। लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं लगने का जोखिम रहता है, एवं इसलिए खातों को शीघ्र अंतिम रूप देने एवं लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

राजकीय उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.8 30 सितंबर 2022 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजकीय उपक्रमों) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.1: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के साथ-साथ राजकीय उपक्रम समिति द्वारा की गई चर्चा की 30 सितंबर 2022 को स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित ³		अनुच्छेदों पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा
2015-16	2	10	2	10
2016-17	1	10	1	7
2017-18	1	7	1	5
2018-19	1	9	-	1
2019-20	1	6	-	-
2020-21	-	3 ⁴	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू द्वारा की गई चर्चा के आधार पर संकलित।

³ कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत राजकीय उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं।

⁴ यह तीन अनुच्छेद वर्ष 2022 के प्रतिवेदन संख्या 1 में सम्मिलित हैं एवं पुनर्गठन के अन्तर्गत कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान से प्राप्त हुए थे।

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

2.1 राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना मार्च 1978 में प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं किसानों को उचित मूल्य पर विपणन करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। इसके लिए यह बीज उत्पादकों के माध्यम से अनाज, तिलहन, दलहन, नकदी फसल आदि की 25 से अधिक फसलों हेतु बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करती है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि प्रजनक बीजों एवं आधार बीजों के वितरण के संबंध में कम्पनी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था क्योंकि यह 2017-22 के दौरान उपलब्ध बीजों की सम्पूर्ण मात्रा को प्रजनन के लिए वितरित नहीं कर सकी थी। साथ ही, प्रमाणित बीज का उत्पादन, जैसा कि एसआरपी एवं स्वयं के लक्ष्यों में परिकल्पित किया गया था, किसी भी मौसम में सुनिश्चित नहीं किया गया था।

कम्पनी ने बीज उत्पादकों द्वारा अपेक्षित उपज की सुपुर्दगी की निगरानी हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बीज उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार बुआई सुनिश्चित नहीं की थी।

कम्पनी अपने प्रसंस्करण संयंत्रों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सकी जैसाकि वर्ष 2017-22 के दौरान उपयोग 28.74 प्रतिशत एवं 46.09 प्रतिशत के मध्य सीमा में था। साथ ही, कम्पनी बीजों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसके कारण बीज खराब हो गए।

बीजों के विक्रय हेतु कम्पनी द्वारा निर्धारित किए गये लक्ष्य तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि निर्धारित किए गये वार्षिक लक्ष्य संबंधित वर्ष हेतु बीजों की वास्तविक उपलब्धता से अधिक थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी 2017-22 के दौरान बीजों के विक्रय हेतु अपने स्वयं के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं कर सकी।

कम्पनी बीज ग्राम कार्यक्रम (एसवीपी) के अन्तर्गत आधार/प्रमाणित बीजों की सम्पूर्ण लक्षित मात्रा वितरित नहीं कर सकी जिससे न केवल योजना का मूलभूत उद्देश्य विफल हुआ अपितु किसान योजना के लाभों से भी वंचित हो गए।

परिचय

2.1.1 कृषि उत्पादन हेतु बीज एक महत्वपूर्ण आगत है एवं फसल की पैदावार मुख्यतः प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों के उपयोग से प्रभावित होती है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (कम्पनी⁵) का मुख्य उद्देश्य प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं किसानों को उचित मूल्य पर इसका

⁵ राजस्थान सरकार (84 प्रतिशत), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड/एनएससीएल (14 प्रतिशत) एवं राज्य के बीज उत्पादक किसानों (दो प्रतिशत) द्वारा अंश पूंजी का निवेश।

विपणन करना है। कम्पनी बीज उत्पादकों के माध्यम से अनाज, तिलहन, दलहन, नकदी फसलों इत्यादि की 25 से अधिक फसलों हेतु बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करती है।

बीज उत्पादन एवं वितरण प्रक्रिया

2.1.2 प्रजनक बीज, बीज उत्पादन प्रक्रिया का आधार बनते हैं। कम्पनी, इसके बीज उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार इसकी आवश्यकता के आधार पर, भारत सरकार को प्रजनक बीजों हेतु मांगपत्र जारी करती है। भारत सरकार कम्पनी को प्रजनक बीज आवंटित करने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों जैसी विशिष्ट इकाईयों को नामित करती है। कम्पनी को प्रजनक बीज इन नामित कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाता है। कम्पनी पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से प्रजनक बीजों⁶ से आधार बीजों एवं इसके पश्चात आधार बीजों से प्रमाणित बीजों⁷ का उत्पादन करती है। प्रक्रिया को नीचे दिए गए प्रवाह चार्ट में दर्शाया गया है।



कम्पनी बीज उत्पादकों के साथ अनुबंध निष्पादित करती है जिसमें यह बीजों के उत्पादन हेतु कुछ लक्ष्य आवंटित करती है। अपरिष्कृत बीजों की कटाई से पूर्व, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (आरएसएसओसीए) बीज उत्पादकों के स्वेतों का निरीक्षण करती है

⁶ प्रजनक बीज, आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज, सभी बीज उत्पादन का आधार बनता है, एवं इसका उपयोग आधार बीज (99 प्रतिशत तक आनुवांशिक शुद्धता वाला) के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए किया जाता है।

⁷ प्रमाणित बीज (99 प्रतिशत आनुवांशिक शुद्धता वाले) का उपयोग मानव उपभोग के लिए कृषि उत्पादन में किया जाता है।

एवं कम्पनी को फसल की स्थिति के आधार पर अपरिष्कृत बीजों की अपेक्षित उपज दर्शाते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

प्रमाणित बीजों के विक्रय हेतु, कम्पनी का एक वितरण तंत्र यथा स्वयं के बिक्री केन्द्र, व्यापारी, सहकारी एजेंसियां एवं कृषि विभाग के कर्मचारी हैं।

वित्तीय स्थिति

2.1.3 कम्पनी के 31 मार्च 2022 को समाप्त गत पांच वर्षों के वित्तीय परिणामों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: 31 मार्च 2022 को समाप्त गत पांच वर्षों के वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला विवरण
(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आय	266.32	296.37	232.44	271.09	278.44
व्यय	264.63	286.36	223.60	256.96	253.48
कर पूर्व लाभ	1.69	10.01	8.84	14.13	24.96
कर पश्चात लाभ	1.08	7.13	6.41	10.50	17.79

लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं क्षेत्र

2.1.4 वर्तमान लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- बीजों के उत्पादन हेतु लक्ष्य राज्य की योजना के अनुरूप थे एवं दक्षतापूर्वक प्राप्त किए गये थे;
- कम्पनी ने बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का उचित उपयोग एवं बीजों का वैज्ञानिक रूप से भंडारण सुनिश्चित किया था;
- निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बीजों का वितरण एवं विक्रय सुनिश्चित किया गया था;
- राज्य की मांग की पूर्ति हेतु प्रमाणित बीजों के विक्रय में कम्पनी का पर्याप्त अंश था।

लेखापरीक्षा में 2017-22 के दौरान बीजों के प्रापण, उत्पादन एवं विपणन को सम्मिलित किया गया है एवं विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु कम्पनी के प्रधान कार्यालय के साथ-साथ तीन⁸ क्षेत्रीय कार्यालयों (छः क्षेत्रीय कार्यालयों में से चयनित) एवं छह संयंत्र कार्यालयों⁹ के अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित है। 31 मार्च 2022 को कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालयों, संयंत्र कार्यालयों एवं स्तों की स्थान-वार स्थिति **परिशिष्ट-21** में दर्शाई गई है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्षों में मुख्यतः बीज आवृत्ति योजना (एसआरपी) का कार्यान्वयन, उत्पादन प्रदर्शन, बीज प्रसंस्करण संयंत्रों के निष्पादन, बीजों के भंडारण एवं विक्रय प्रदर्शन को समाहित किया गया है जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

⁸ उदयपुर, मंडोर (जोधपुर) और श्रीगंगानगर में क्षेत्रीय कार्यालय

⁹ उदयपुर, बांसवाड़ा, मोहनगढ़, सुमेरपुर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ में संयंत्र कार्यालय

नियोजन

बीज आवृत्ति योजना

2.1.6 राष्ट्रीय बीज नीति (एनएसपी) 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ने क्रमशः 2017-18 से 2020-21 एवं 2021-22 हेतु राज्य के लिए बीज आवृत्ति योजना (एसआरपी) तैयार की (अगस्त 2017 एवं जुलाई 2019)। एसआरपी में कम्पनी द्वारा उत्पादित किए जाने वाले प्रमाणित बीजों की फसल-वार एवं किस्म-वार मात्रा सम्मिलित थी। साथ ही, एनएसपी 2002 में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर)¹⁰ में वृद्धि हेतु वृहद प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। एसआरपी में निर्धारित किए गये प्रमाणित बीजों के उत्पादन लक्ष्य के समक्ष 2017-22 हेतु कम्पनी द्वारा अंतिम रूप दिए गये प्रमाणित बीजों के उत्पादन लक्ष्यों की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.2: 2017-22 के दौरान एसआरपी में निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों के समक्ष कम्पनी द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों की वर्ष-वार स्थिति

(मात्रा: लाख क्विंटल में)

वर्ष	एसआरपी में प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य		प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य		एसआरपी में परिकल्पित लक्ष्यों एवं कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में विचलन	
	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
2017-18	1.95	6.06	1.81	8.20	-0.14	2.14
2018-19	2.15	7.01	1.95	5.43	-0.20	-1.58
2019-20	2.17	7.21	2.91	5.44	0.74	-1.77
2020-21	2.43	7.49	3.66	12.65	1.23	5.16
2021-22	2.53	8.97	2.34	4.64	-0.19	-4.33

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने इसके वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करते समय एसआरपी को ध्यान में नहीं रखा था। जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, रबी (2017-18), खरीफ (2019-20) एवं 2020-21 को छोड़कर जहाँ कम्पनी द्वारा निर्धारित किए गये लक्ष्य एसआरपी अनुमानों से अधिक रहे, 2017-18 से 2021-22 के दौरान कम्पनी द्वारा निर्धारित किए गये लक्ष्य एसआरपी में परिकल्पित लक्ष्यों की तुलना में निम्न स्तर पर थे।

निकासी सभा में (अगस्त 2024), सरकार/प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि वह एसआरपी से अधिक उनके मौसमी बीज उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं, जो वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों हेतु अधिक प्रासंगिक है। अतः, यह स्पष्ट है कि वार्षिक योजना भारत सरकार से अनुमोदित एसआरपी को विचार किए बिना तैयार की गई थी। इसने एसआरपी, जिसका उद्देश्य राज्य में एसआरआर में वृद्धि करना था, को तैयार किए जाने के मूलभूत उद्देश्य को विफल कर दिया।

¹⁰ यह स्तर में बचाए गए बीजों के अलावा प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करके मौसम में बोई गई फसल के कुल क्षेत्रफल में से बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत है।

बीज प्रतिस्थापन दर

2.1.7 भविष्य के स्वाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से, एनएसपी 2002 में बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। तदनुसार, राज्य कृषि नीति 2013 में एसआरआर को आगामी दस वर्षों में इष्टतम स्तर यथा खरीफ मौसम फसलों में विद्यमान 27 प्रतिशत से 50 प्रतिशत एवं रबी मौसम फसलों में विद्यमान 33 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने हेतु और अधिक प्रयास किए जाने का प्रावधान किया गया है। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान प्राप्त एसआरआर की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका 2.3: 2017-22 की अवधि के दौरान प्राप्त एसआरआर को दर्शाने वाला विवरण

मौसम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
खरीफ	18.05	18.87	20.82	17.92	19.89
रबी	29.54	33.36	31.95	28.44	31.83
औसत	24.93	27.75	27.62	23.88	26.64

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना

तालिका से यह देखा जा सकता है कि बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) में कोई वृद्धि नहीं हुई थी जैसा कि खरीफ मौसम में यह 17.92 प्रतिशत व 20.82 प्रतिशत के मध्य रही जबकि रबी मौसम में यह 28.44 प्रतिशत व 33.36 प्रतिशत के मध्य रही। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी वांछित एसआरआर को प्राप्त करने में विफल रही एवं एसआरआर पांच वर्षों की अवधि में लगभग स्थिर रही। यह मुख्यतः प्रजनक बीजों की कम उपलब्धता एवं सम्पूर्ण उपलब्ध बीजों का वितरण सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण था जैसा कि **अनुच्छेद 2.1.8 तथा 2.1.9** में चर्चा की गई है।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2024) एवं कहा कि एसआरआर में सुधार हेतु प्रमाणित बीजों के बिक्री में वृद्धि किए जाने हेतु कदम उठाए जाएंगे।

उत्पादन प्रदर्शन

2.1.8 2017-22 के दौरान कम्पनी के उत्पादन प्रदर्शन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

प्रमाणित बीज के उत्पादन में कमी

2.1.9 प्रमाणित बीजों के उत्पादन प्रक्रिया में दो स्तर सम्मिलित हैं यथा प्रजनक बीजों से आधार बीजों में एवं आधार बीजों से प्रमाणित बीजों में प्रजनन। प्रमाणित बीजों के उत्पादन की प्राप्ति हेतु, दोनों स्तरों पर बीजों की उपलब्धता एवं इसकी सम्पूर्ण मात्रा का वितरण आवश्यक है। प्रजनक बीजों के आवंटन, प्रापण तथा वितरण के साथ-साथ आधार बीजों की उपलब्धता तथा वितरण की वर्ष-वार विवरण **परिशिष्ट-22** में दिया गया है। 5.43 लाख कि्वंटल आधार बीजों के उत्पादन के लक्ष्यों के समक्ष, कम्पनी 2017-18 से 2021-22 के दौरान 2.17 लाख कि्वंटल का ही उत्पादन कर सकी। 2017-22 के दौरान प्रमाणित बीजों के उत्पादन के समक्ष कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं एसआरपी में परिकल्पित अनुमानों की स्थिति निम्न प्रकार थी।

तालिका 2.4: 2017-22 के दौरान प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लक्ष्य एवं प्राप्ति

वर्ष	मौसम	एसआरपी के अनुसार कम्पनी हेतु लक्ष्य	कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	कमी		कमी की प्रतिशतता	
					स्वयं के लक्ष्यों से	एसआरपी	स्वयं के लक्ष्यों से	एसआरपी
		(मात्रा लाख क्विंटल में)						
2017-18	खरीफ	1.95	1.81	0.69	1.12	1.26	61.88	64.62
	रबी	6.06	8.20	4.99	3.21	1.07	39.15	17.66
2018-19	खरीफ	2.15	1.95	0.85	1.10	1.30	56.41	60.47
	रबी	7.01	5.43	3.28	2.15	3.73	39.59	53.21
2019-20	खरीफ	2.17	2.91	0.46	2.45	1.71	84.19	78.80
	रबी	7.21	5.44	3.54	1.90	3.67	34.93	50.90
2020-21	खरीफ	2.43	3.66	0.75	2.91	1.68	79.51	69.14
	रबी	7.49	12.65	3.23	9.42	4.26	74.47	56.88
2021-22	खरीफ	2.53	2.34	0.35	1.99	2.18	85.04	86.17
	रबी	8.97	4.64	1.69	2.95	7.28	63.58	81.16

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी 2017-22 के दौरान किसी भी मौसम में प्रमाणित बीजों का उत्पादन, जैसाकि एसआरपी के तहत/बीज उत्पादन के स्वयं के लक्ष्यों में परिकल्पित था, सुनिश्चित नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, 2017-22 के अवधि हेतु प्रमाणित बीजों का वास्तविक उत्पादन, उत्पादन के स्वयं के लक्ष्यों में परिकल्पित उत्पादन की तुलना में बहुत कम (29.20 लाख क्विंटल) रहा। उत्पादन प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों, जैसाकि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किए गये, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों 2.1.10 से 2.1.13 में की गई है।

सरकार ने कहा (मार्च 2024) कि सामान्यतः 20 से 25 प्रतिशत अपरिष्कृत बीज प्रयोगशाला जाँच के दौरान विफल हो जाता है एवं आकार में छोटा होने के कारण इसे अस्वीकार करना पड़ता है। इसने कहा कि बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत निर्धारित किए गये लक्ष्यों का केवल 70 प्रतिशत ही प्राप्त हो पाता है।

तथापि, उपरोक्त तालिका से देखा गया कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान वास्तविक उत्पादन की औसत प्रतिशतता केवल 40.44 प्रतिशत ही थी।

प्रजनक एवं आधार बीजों की उपलब्धता तथा वितरण

2.1.10 भारत सरकार प्रत्येक वर्ष हेतु कम्पनी द्वारा प्रापण किए जाने वाले प्रजनक बीजों की मात्रा आवंटित करती है। कम्पनी को भारत सरकार द्वारा आवंटित मात्रा के अनुसार प्राधिकृत एजेन्सियों से प्रजनक बीजों की खरीद सुनिश्चित करने एवं बीज उत्पादकों को प्रजनक बीजों का वितरण आवंटित बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा उनके साथ निष्पादित करार के आधार किया जाना आवश्यक है। बीज उत्पादक प्रजनक बीजों की प्राप्ति के पश्चात, उत्पादन कार्यक्रम/करार के अनुसार आधार बीजों का उत्पादन करते हैं एवं कम्पनी के पास जमा कराते हैं। तत्पश्चात बीज

उत्पादकों को आवंटित बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा उनके साथ निष्पादित करार के आधार पर आधार बीजों को अपरिष्कृत बीजों के उत्पादन हेतु वितरित किया जाता है। **परिशिष्ट-22** से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान इसके पास उपलब्ध सम्पूर्ण प्रजनक बीजों एवं आधार बीजों को क्रमशः आधार बीजों एवं प्रमाणित बीजों के प्रजनन हेतु वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठाए थे। परिणामस्वरूप, इन अवितरित बीजों के शेष को आगामी मौसम में वितरित किए जाने हेतु अग्रेषित किया गया था। प्रजनक एवं आधार बीजों की ऐसी अवितरित मात्रा में से, 2017-22 के दौरान 827.18 किंचटल प्रजनक बीज एवं 35,250 किंचटल आधार बीज अस्वीकार किए गये थे क्योंकि यह बीज वितरण हेतु उपयुक्त नहीं थे। इसने आगे आधार बीजों एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन को प्रभावित किया। साथ ही, 36,077 किंचटल बीजों¹¹ को निष्क्रिय किए जाने के कारण 20.75 लाख किंचटल प्रमाणित बीजों की हानि हुई जोकि 2017-22 के दौरान उनके निर्दिष्ट प्रजनन कारक के अनुसार उत्पादित किए जा सकते थे।

सरकार ने कहा (मार्च 2024) कि राज्य में फसलों की बुआई को मानसून ने प्रभावित किया क्योंकि सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि पूर्णतया मानसून पर निर्भर है। इसने आगे भविष्य में प्रजनक बीजों के 100 प्रतिशत उपयोग किए जाने हेतु प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया।

तथापि, उत्तर आधार बीजों के उपयोग किए जाने पर मौन था।

प्रजनक बीजों एवं आधार बीजों से उपज

2.1.11 राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (आरएसएसओसीए) क्षेत्र निरीक्षण करती है एवं अंतिम क्षेत्र निरीक्षण के पश्चात, जो फसल की परिपक्वता पर परन्तु कटाई करने से पूर्व किया जाता है, यह संबंधित संयंत्र कार्यालय के अर्न्तगत क्षेत्र के लिए बीजों की अपेक्षित उपज का आकलन करती है। बीज उत्पादकों के अनुबंध के अनुसार, बीज उत्पादकों को अंतिम क्षेत्र निरीक्षण के पश्चात आरएसएसओसीए द्वारा आकलित बीजों की सम्पूर्ण उपज की आपूर्ति करना आवश्यक था। अनुबंध में आगे प्रावधान किया गया कि कम्पनी आरएसएसओसीए द्वारा आकलित अपेक्षित उपज के अनुसार बीजों को जमा नहीं करवाने पर बीज उत्पादकों पर शास्ति लगाएगी। 2017-22 के दौरान वितरित किए गये प्रजनक बीजों एवं आधार बीजों से उपज की वर्षवार स्थिति **परिशिष्ट-23** में दी गई है।

यह देखा जा सकता है कि 2017-22 के दौरान 4.92 लाख किंचटल आधार बीजों एवं 43.57 लाख किंचटल प्रमाणित बीजों की अपेक्षित उपज आकलन के समक्ष, बीज उत्पादकों ने 3.24 लाख किंचटल (65.83 प्रतिशत) आधार बीजों एवं 27.73 लाख किंचटल (63.65 प्रतिशत) प्रमाणित बीजों को जमा करवाया था। इस प्रकार, कम्पनी आरएसएसओसीए द्वारा आकलित बीजों की अपेक्षित उपज के अनुसार बीज उत्पादकों से बीजों की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं कर सकी।

¹¹ 827 किंचटल प्रजनक बीज एवं 35,250 किंचटल आधार बीज।

परिणामस्वरूप, 1.68 लाख किचंटल आधार बीज एवं 15.84 लाख किचंटल प्रमाणित बीज, जिनका समग्र मूल्य ₹ 904.89 करोड़ है, की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने कटाई के समय बीजों के वास्तविक उत्पादन एवं आरएसएसओसीए के आकलन के अनुसार बीजों की अपेक्षित उपज की प्राप्ति की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई थी। कम्पनी ने उत्पादकों द्वारा बीज जमा करने में कमी हेतु कोई दंडात्मक कार्यवाही भी शुरू नहीं की थी।

सरकार ने कहा (अगस्त 2024) कि आकलित बीजों की गुणवत्ता एवं मात्रा अंतिम आकलन एवं कटाई के मध्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि इत्यादि के कारण प्रभावित होती है। इसने आगे कहा कि उपज ग्रहण करते समय भौतिक सत्यापन के दौरान उत्पादन आमतौर पर अपेक्षित उपज से कम पाया जाता है।

तथापि, अपेक्षित उत्पादन एवं अंतिम उपज ग्रहण के मध्य व्यापक अंतर को देखते हुए, बीज उत्पादकों द्वारा उच्च प्रीमियम के बदले इसकी खुले बाजार में बिक्री की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

निकासी सभा के दौरान, प्रबंधन/सरकार ने भौतिक निरीक्षणों की प्रतिशतता को बढ़ाए जाने एवं किसानों को बाजार में बीजों की बिक्री किए जाने से हतोत्साहित करने के लिए प्रीमियम को बाजार मूल्य के साथ संरेखित किए जाने का आश्वासन दिया।

बीज उत्पादन क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाना

2.1.12 कम्पनी द्वारा तैयार किए गये बीज उत्पादन कार्यक्रम में बीजों के मौसम-वार उत्पादन के साथ-साथ बुआई किए जाने वाले क्षेत्र के लक्ष्य भी होते हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम आवंटित किए जाने के दौरान, कम्पनी आधार एवं प्रमाणित बीजों दोनों के लिए बीज उत्पादकों द्वारा बुआई किए जाने वाले क्षेत्र को अनुबंध में निर्दिष्ट करती है। कम्पनी इसके स्वयं के खेतों (384.40 हेक्टेयर) में भी ठेकेदारों के माध्यम से संबंधित अनुबंध के साथ संलग्न कृषि योजना के अनुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाती है।

लक्षित बुआई क्षेत्र को प्राप्त नहीं किया जाना

2.1.12 (i) 2017-22 के दौरान बुआई हेतु लक्षित क्षेत्र के समक्ष वास्तव में बुआई किए गये क्षेत्र की वर्ष-वार, मौसम-वार स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 2.5: 2017-22 के दौरान बुआई हेतु लक्षित क्षेत्र के समक्ष वास्तव में बुआई किए गये क्षेत्र की वर्ष-वार, मौसम-वार स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	बुआई हेतु लक्षित क्षेत्र		वास्तव में बुआई किया गया क्षेत्र		कमी	
	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
बीज उत्पादकों द्वारा						
2017-18	29150	43248	17539 (60.17%)	34887 (80.67%)	11611 (39.83%)	8361 (19.33%)
2018-19	28562	30996	23506 (82.30%)	26756 (86.32%)	5056 (17.70%)	4240 (13.68%)
2019-20	38716	27184	20455 (52.83%)	25024 (92.05%)	18261 (47.17%)	2160 (7.95%)
2020-21	46205	56011	27516 (59.55%)	32042 (57.21%)	18689 (40.45%)	23969 (42.79%)
2021-22	31618	27656	20694 (65.45%)	17543 (63.43%)	10924 (34.55%)	10113 (36.57%)
स्वयं के खेतों द्वारा						
2017-18	384.40	384.40	185.80 (48.34%)	347.25 (90.34%)	198.60 (51.66%)	37.15 (9.66%)
2018-19	384.40	384.40	270.60 (70.84%)	345.00 (89.75%)	113.80 (29.16%)	39.40 (10.25%)
2019-20	384.40	384.40	214.00 (55.67%)	329.20 (85.64%)	170.40 (44.33%)	55.20 (14.36%)
2020-21	384.40	384.40	188.00 (48.91%)	329.20 (85.64%)	196.40 (51.09%)	55.20 (14.36%)
2021-22	384.40	384.40	190.00 (49.43%)	293.20 (76.27%)	194.40 (50.57%)	91.20 (23.73%)

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने 'बुआई किए जाने वाले क्षेत्र' हेतु लक्ष्यों का निर्णय मौसम-वार बीजों के लक्षित उत्पादन एवं फसल-वार बीज प्रजनक अनुपात के आधार पर किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने किसी भी मौसम में लक्षित क्षेत्र की बुआई सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय नहीं किए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कम्पनी, इसके स्वयं के खेतों के मामले में, 2017-22 के दौरान खरीफ मौसम हेतु 48.34 प्रतिशत व 70.84 प्रतिशत के मध्य तथा रबी मौसम हेतु 76.27 प्रतिशत व 90.34 प्रतिशत के मध्य सीमा क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं ले सकी थी। इस प्रकार, कम्पनी खरीफ मौसम के दौरान इसके खेतों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सकी।

सरकार ने कहा (मार्च 2024) कि मानसून एवं अन्य जलवायु कारकों के कारण वास्तविक बुआई क्षेत्र में उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवंटित क्षेत्र से भिन्नता थी।

निकासी सभा के दौरान, सरकार/प्रबंधन ने कहा कि लक्षित बुआई क्षेत्र की प्राप्ति में कमी में बीजों की नई किस्मों को अपनाए जाने में कृषकों की अनिच्छा एवं अपूर्ण दस्तावेजों के कारण बुआई क्षेत्र को अस्वीकार किए जाने का योगदान था। इसने बुआई क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कृषकों की जागरूकता में बढ़ोत्तरी करने हेतु आवश्यक कदमों को उठाए जाने का आश्वासन दिया।

निर्देशों की अनुपालना नहीं किया जाना

2.1.12 (ii) कम्पनी ने कृषकों को आकर्षित करने के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रमों के बारे में प्रेस विज्ञापित प्रकाशित कर उनके मध्य जागरूकता फैलाने हेतु; बीज उत्पादकों से जमाबंदी¹² की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु; जमाबंदी में दर्शाए गए क्षेत्रफल के अनुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम देने एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम की प्रभावी ढंग से निगरानी करने हेतु संयंत्र प्रबंधकों को निर्देश जारी किए (फरवरी 2015)। कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने उन्हें मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व बीज उत्पादन जागरूकता अभियान आयोजित करने का पुनः निर्देश दिए (फरवरी 2020)। बीज उत्पादन कार्यक्रम की निगरानी हेतु, कंपनी ने बीज अधिकारियों (उत्पादन), संयंत्र प्रबंधकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा क्रमशः 100 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत भौतिक निरीक्षण किया जाना भी निर्धारित किया एवं क्षेत्र निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अभिलेखों में रखे जाने थे।

छः¹³ चयनित संयंत्र कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि इनमें से किसी भी संयंत्र कार्यालय ने बीज उत्पादन कार्यक्रम के प्रति और अधिक बीज उत्पादकों को आकर्षित करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए निर्देश भी इनमें से किसी भी संयंत्र कार्यालय (संयंत्र कार्यालय, हनुमानगढ़ को छोड़कर, जिसने मार्च 2021 में एक कार्यक्रम आयोजित किया था) द्वारा पालन नहीं किए गये थे। साथ ही, तीन चयनित संयंत्र कार्यालयों (उदयपुर, बांसवाड़ा एवं सुमेरपुर) ने 'जमाबंदी' के संपूर्ण दस्तावेजों/विवरणों को प्राप्त किए बिना ही बीज उत्पादन कार्यक्रम आवंटित कर दिया। बाद में, आरएसएसओसीए ने 2017-22 के दौरान इन तीन संयंत्र कार्यालयों के 5,251 हेक्टेयर¹⁴ बुआई क्षेत्र (कुल 33,934 हेक्टेयर¹⁵ बुआई क्षेत्र का 15.47 प्रतिशत) को अस्वीकृत कर दिया था। बुआई क्षेत्र को अस्वीकृत किए जाने के मुख्य कारण 'जमाबंदी' के अपूर्ण दस्तावेज/विवरण एवं 'जमाबंदी' में दर्शाई गई भूमि के आधिक्य क्षेत्र में उत्पादन कार्यक्रम दिया जाना था। साथ ही, नामित अधिकारियों द्वारा किए गये निरीक्षणों का विवरण एवं क्षेत्र निरीक्षण प्रतिवेदन भी संघारित नहीं किए गये थे।

¹² राज्य के राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया अभिलेख, जिसमें भूमि के स्वामित्व, भूमि का क्षेत्र, स्वामित्व अंश, भूमि से जुड़े अधिकार एवं भूमि के संबंध में अन्य अद्यतन सूचना होती है।

¹³ सूरतगढ़, हनुमानगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सुमेरपुर एवं मोहनगढ़।

¹⁴ उदयपुर: खरीफ़ सीज़न-771 हेक्टेयर, रबी सीज़न-588 हेक्टेयर; बांसवाड़ा: खरीफ़ सीज़न-1423 हेक्टेयर, रबी सीज़न-656 हेक्टेयर एवं सुमेरपुर: खरीफ़ सीज़न-798 हेक्टेयर, रबी सीज़न-1015 हेक्टेयर।

¹⁵ उदयपुर: खरीफ़ सीज़न-6477 हेक्टेयर, रबी सीज़न-3917 हेक्टेयर; बांसवाड़ा: खरीफ़ सीज़न-8436 हेक्टेयर, रबी सीज़न-4951 हेक्टेयर एवं सुमेरपुर: खरीफ़ सीज़न-4242 हेक्टेयर, रबी सीज़न-5911 हेक्टेयर।

सरकार ने कहा (मार्च 2024) कि संयंत्र कार्यालयों द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम आवंटित किए जाते समय कृषक संगोष्ठी आयोजित की जाती हैं एवं समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलायी जाती है। इसने आगे कहा कि बीज उत्पादन कार्यक्रम 'जमाबंदी'/आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त किए जाने के पश्चात आवंटित किए गये थे।

उत्तर गलत था क्योंकि चयनित संयंत्र कार्यालयों में कृषक संगोष्ठियां आयोजित किए जाने एवं समाचार-पत्र/अन्य मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाए गये थे। इसके अतिरिक्त, 'जमाबंदी' संबंधी आवश्यक दस्तावेज सुनिश्चित नहीं किए गये थे। साथ ही, क्षेत्र निरीक्षणों को किए जाने एवं इनके विवरणों को संधारित किए जाने के मुद्दे पर उत्तर मौन था।

निकासी सभा में, सरकार/प्रबंधन ने कहा कि राज्य सरकार ने बीज उत्पादकों को पंजीकृत किए जाने हेतु अब साथी पोर्टल लागू किया है जिसमें पंजीकरण किए जाते समय आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है।

दोषपूर्ण डेटाबेस प्रबंधन

2.1.13 बीज उत्पादक कम्पनी की रीढ़ की हड्डी हैं एवं इसलिए बीज उत्पादकों का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक है। कम्पनी की उत्पादन नीति एवं क्रय नीति में यह प्रावधान है कि यदि बीज उत्पादक अपरिष्कृत बीज जमा करने में विफल रहते हैं; प्रजनक बीजों से उत्पादित आधार बीजों को जमा करने में दो बार से अधिक विफल रहने पर अथवा बीज अमानक घोषित किये जाने पर; बीज उत्पादन कार्यक्रम में उत्पादित बीजों के अलावा अन्य बीज जमा किए जाने पर; अवांछित पौधों के मिश्रण वाले अपरिष्कृत बीज जमा किए जाने पर; बीज उत्पादन कार्यक्रम को किराए पर देने पर; परीक्षण में उनके बीज का नमूना दो बार विफल रहता है, तो उन्हें काली सूची में डाला जाएगा एवं उत्पादन कार्यक्रम नहीं दिया जाएगा।

छह चयनित संयंत्र कार्यालयों के 2017-22 के अभिलेखों की जांच से उजागर हुआ कि बीज उत्पादकों के डेटाबेस का प्रबंधन दोषपूर्ण था क्योंकि इसमें गत वर्षों के वैयक्तिक बीज उत्पादकों के पंजीकरण, बुआई क्षेत्र, अपरिष्कृत/आधार बीज को जमा नहीं करवाने, अमानक बीज, किराए पर दिए जाने, नमूना बीज परीक्षण प्रतिवेदन इत्यादि का विवरण नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि पर्याप्त डेटाबेस के अभाव में, संयंत्र कार्यालय नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि चार¹⁶ चयनित संयंत्र कार्यालयों में, बीज उत्पादकों के साथ निष्पादित अनुबंधों में कमी थी क्योंकि अनुबंधों में बीज उत्पादक, बीज फसल एवं उत्पादित की जाने वाली किस्म, बीज के प्रकार (आधार/प्रमाणित), बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए भूमि क्षेत्र आदि का सम्पूर्ण विवरण सम्मिलित नहीं था। इसके अतिरिक्त, अनुबंधों पर बीज उत्पादक/कम्पनी के प्रतिनिधि/गवाहों या उनमें से सभी के द्वारा विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इन कमियों ने इंगित किया कि बीज उत्पादकों के साथ अनुबंधों को निष्पादित करते समय, संयंत्र कार्यालय उत्पादन नीति में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क

¹⁶ सूरतगढ़, हनुमानगढ़, उदयपुर एवं सुमेरपुर।

नहीं थे। साथ ही, कम्पनी ने बीज उत्पादकों के साथ अनुबंधों के निष्पादन की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

कम्पनी ने कहा (मार्च 2024) कि आरएसएसओसीए राज्य में बीज उत्पादन कार्यक्रम (स्वरीफ 2023 से) 'साथी पोर्टल'¹⁷ के माध्यम से लागू करेगी एवं उत्पादन संबंधी सभी गतिविधियाँ ऑनलाइन निष्पादित की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि इसमें बीज उत्पादकों के साथ दोषपूर्ण अनुबंधों को निष्पादित करने के साथ-साथ 2017-22 के दौरान दोषी बीज उत्पादकों को चिन्हित करने हेतु पर्याप्त विवरण वाले डेटाबेस का संधारण नहीं किया गया था।

अनुशंसा 1: कम्पनी को उपलब्ध बीजों के वितरण हेतु कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

अनुशंसा 2: कम्पनी को प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु एवं बीज उत्पादकों से सम्पूर्ण उपज की प्राप्ति हेतु निगरानी तंत्र सुदृढ़ करना चाहिए।

बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का उपयोग

2.1.14 बीजों की वांछित गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, बीज उत्पादकों एवं स्वयं के स्त्रों से प्राप्त अपरिष्कृत बीजों में से बाहरी तत्वों¹⁸ को हटाने हेतु कम्पनी के प्रसंस्करण संयंत्रों में परिष्कृत किया जाता है। 31 मार्च 2022 को कम्पनी के पास 24 बीज प्रसंस्करण संयंत्र¹⁹ थे।

2017-22 के दौरान बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की वर्ष-वार क्षमता का उपयोग निम्न प्रकार था:

तालिका 2.7: 2017-22 के दौरान बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

(लाख क्विंटल में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
प्रसंस्करण क्षमता	19.44	20.09	20.74	20.74	20.74
परिष्कृत किए गये बीज	8.78	9.26	5.96	6.04	6.63
उपयोग की प्रतिशतता	45.16	46.09	28.74	29.12	31.97

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी 2017-22 के दौरान प्रसंस्करण संयंत्रों का उपयोग उनकी इष्टतम क्षमता तक नहीं कर सकी जैसाकि बीजों का वास्तविक उत्पादन लक्ष्यों से कम था। साथ ही, क्षमता उपयोग दर, जो पहले से ही निम्न स्तर पर थी, 2018-19 के 46.09 प्रतिशत से सारभूत रूप से कम होकर 2021-22 में 31.97 प्रतिशत रह गई। प्रसंस्करण संयंत्रों का उनकी इष्टतम क्षमता तक उपयोग नहीं किया जाना प्रमुख रूप से बीज उत्पादन कार्यक्रम के प्रति अधिक बीज उत्पादकों को आकर्षित करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का अभाव; कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त

¹⁷ सभी सरकारी/निजी बीज उत्पादन संस्थाओं की निगरानी हेतु भारत सरकार द्वारा चालू किया गया पोर्टल।

¹⁸ धूल, भूसी, अन्य बीज, छोटे एवं टूटे हुए बीज इत्यादि।

¹⁹ दो प्रसंस्करण संयंत्र सम्मिलित हैं जो सितंबर 2018 (सुल्तानपुर, कोटा) एवं फरवरी 2020 (गुड़ामलानी, बाड़मेर) में स्थापित किए गए थे, लेकिन मार्च 2022 तक गैर-परिचालन में रहे।

बीज उत्पादन कार्यक्रम का अभाव; क्षेत्र की कम बुआई; स्वयं के खेतों में खराब उत्पादन प्रदर्शन; बीज उत्पादकों से संपूर्ण उत्पादन प्राप्त करने में विफलता आदि के कारण था।

कम्पनी ने कहा (मार्च 2024) कि इसने इसके पांच वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक पुराने संयंत्रों हेतु मूल प्रसंस्करण क्षमता को क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत तक कम करके प्रसंस्करण क्षमता को 20.74 लाख क्विंटल से संशोधित कर (अगस्त 2023) 12.58 लाख क्विंटल कर दिया था।

बीजों का भंडारण

2.1.15 बीजों के सुरक्षित भंडारण एवं संरक्षण के लिए भंडारित बीजों की स्थिति का आवधिक आकलन; प्रत्येक गोदाम की सापेक्ष आर्द्रता एवं तापमान की नियमित निगरानी; एवं नियमित अंतराल पर धूम्रीकरण एवं कीटनाशकों का छिड़काव आवश्यक है।

भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक 2013 में बीज प्रमाणीकरण की वैधता की अवधि प्रारंभिक प्रमाणीकरण से नौ माह निर्धारित की है, जिसे बाद में प्रत्येक सत्यापन पर छह माह की अवधि हेतु, जब तक कि बीज निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, प्रमाणीकरण के तहत बीज लॉट में मक्का/फलियों के बीज एवं मक्का/फलियों के अलावा अन्य बीजों हेतु क्रमशः एक प्रतिशत से अधिक एवं 0.50 प्रतिशत से अधिक कीड़ों द्वारा क्षति का स्पष्ट या दृश्य प्रमाण नहीं होना चाहिए। आरएसएसओसीए ने आगे प्रावधान किया (अगस्त 2020) कि ऐसे बीजों, जिन्हें दो बार आगे ले जाया गया था, उनको तीसरी बार हेतु पुनः मान्य नहीं किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संयंत्र कार्यालयों ने 2017-22 के दौरान आवश्यक अभिलेख जिसमें भंडारित बीजों की स्थिति का आवधिक आकलन; गोदामों की आर्द्रता एवं तापमान की नियमित निगरानी धूम्रीकरण एवं कीटनाशकों का छिड़काव किए जाने संबंधी सूचना हो, को संधारित नहीं किए थे। जिसके अभाव में लेखापरीक्षा यह ज्ञात नहीं कर सका कि कम्पनी ने निर्धारित भंडारण प्रक्रिया का पालन किया था।

छह चयनित संयंत्र कार्यालयों के 2017-22 की अवधि के अभिलेखों की जांच से उजागर हुआ कि कुल 1,46,483 क्विंटल प्रमाणित बीजों में से 44,789 क्विंटल²⁰ प्रमाणित बीज (30.58 प्रतिशत) को बीजों के पुनः परीक्षण के दौरान पुनः मान्य नहीं किया जा सका। आरएसएसओसीए ने इन प्रमाणित बीजों को पुनः परीक्षण के दौरान विविध कारकों यथा मृत बीज, खराब अंकुरण, असामान्य अंकुर, कीट संक्रमित होने के कारण पुनः मान्य नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, इन छह संयंत्र कार्यालयों में से दो संयंत्र कार्यालयों²¹ में, बीजों में फंगस संक्रमण एवं जीवित कीड़े थे। पुनः वैधता के दौरान इतनी उच्च मात्रा में बीजों की विफलता ने इंगित किया कि कम्पनी बीजों

²⁰ बांसवाड़ा: 6,108 क्विंटल, हनुमानगढ़: 15,205 क्विंटल, मोहनगढ़: 58 क्विंटल, सुमेरपुर: 10,098 क्विंटल, उदयपुर: 4,659 क्विंटल एवं सूरतगढ़: 8,661 क्विंटल।

²¹ बांसवाड़ा और मोहनगढ़।

का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, बीजों का एक बड़ा हिस्सा आगामी मौसम में उपयोग हेतु पुनः मान्य नहीं किया जा सका।

कम्पनी ने कहा (मार्च 2024) कि बीज स्वराब अंकुरण एवं अन्य तकनीकी कारणों से वजह से विफल हुए थे। 2017-22 के दौरान, केवल 94.16 किंचंटल बीज कीटों द्वारा की गई क्षति के कारण विफल हुए थे।

उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना प्रकरणों में जाँचे गये 44,789 किंचंटल बीजों हेतु पुनः परीक्षण के आरएसएसओसीए के प्रतिवेदनों ने दर्शाया कि 11,198.07 किंचंटल विफल बीजों को निर्धारित मानदंडों से अधिक कीट क्षति के कारण पुनः मान्य नहीं किया गया था। साथ ही, अपर्याप्त भंडारण व्यवस्थाओं के कारण बीजों का अंकुरण स्वराब हुआ।

अनुशंसा 3: कम्पनी को प्रसंस्करण संयंत्रों का इष्टतम उपयोग एवं पुनर्वैधीकरण के दौरान बीजों की विफलता को नियंत्रित किए जाने हेतु बीजों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना चाहिए।

बिक्री प्रदर्शन

2.1.16 बीज कृषि उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है एवं फसल की उपज व्यापक रूप से प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से प्रभावित होती है। कम्पनी कृषकों को बीज राजस्थान सरकार/भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सब्सिडी पर विक्रय किए जाने के साथ-साथ इसके स्वयं के बिक्री केन्द्रों, विक्रेताओं एवं सहकारी समितियों के माध्यम से पूर्ण लागत पर बेचती है। साथ ही, कम्पनी विभिन्न सरकारी विभागों²² को मिनीकिट के रूप में आगे वितरण हेतु एवं फसलों के ब्लॉक-स्तर प्रदर्शन हेतु भी बीज की आपूर्ति करती है।

2017-22 के दौरान वर्ष-वार मौसम-वार विक्रय प्रदर्शन एवं राजस्थान में बीजों के कुल वितरण में कम्पनी का अंश निम्न प्रकार था:

तालिका 2.8: 2017-22 के दौरान बीजों का लक्षित के समक्ष वास्तविक विक्रय एवं राज्य में बीजों के कुल वितरण में अंश

(मात्रा: लाख किंचंटल में)

वर्ष	मौसम	राज्य में वितरित कुल बीज	कम्पनी के पास कुल उपलब्ध बीज	कम्पनी द्वारा निर्धारित बीजों की बिक्री का लक्ष्य	कम्पनी द्वारा बीजों की वास्तविक बिक्री	बीजों की उपलब्धता के समक्ष बिक्री किए गये बीजों की प्रतिशतता	राज्य में बीजों के वितरण में कंपनी का अंश (% में)
2017-18	खरीफ	6.24	1.18	1.44	0.92		14.74
	रबी	13.56	5.36	5.33	4.08		30.09
	कुल	19.80	6.54	6.77	5.00	76.45	25.25
2018-19	खरीफ	6.50	1.18	1.18	0.86		13.23
	रबी	15.12	6.20	4.94	5.38		35.58

²² राजस्थान सरकार का कृषि विभाग, बागवानी विभाग एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।

वर्ष	मौसम	राज्य में वितरित कुल बीज	कम्पनी के पास कुल उपलब्ध बीज	कम्पनी द्वारा निर्धारित बीजों की बिक्री का लक्ष्य	कम्पनी द्वारा बीजों की वास्तविक बिक्री	बीजों की उपलब्धता के समक्ष बिक्री किए गये बीजों की प्रतिशतता	राज्य में बीजों के वितरण में कंपनी का अंश (% में)
	कुल	21.62	7.38	6.12	6.24	84.55	28.86
2019-20	खरीफ	7.63	1.11	1.59	0.68		8.91
	रबी	17.99	3.65	4.32	3.44		19.12
	कुल	25.62	4.76	5.91	4.12	86.55	16.07
2020-21	खरीफ	6.88	1.33	0.91	1.00		14.53
	रबी	14.37	3.75	4.81	2.09		14.54
	कुल	21.25	5.08	5.72	3.09	60.83	14.54
2021-22	खरीफ	7.38	1.02	1.08	0.74		10.03
	रबी	15.53	4.80	7.07	3.42		22.02
	कुल	22.90	5.82	8.15	4.16	71.48	18.17

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना एवं कृषि आयुक्त, राजस्थान द्वारा प्रकाशित राजस्थान कृषि सांस्थिकी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2017-22 के दौरान (2018-19 को छोड़कर), कम्पनी द्वारा निर्धारित बीजों की बिक्री के लक्ष्य तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य बीजों की वास्तविक उपलब्धता से अधिक थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी 2017-22 के दौरान बीजों की बिक्री के अपने स्वयं के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार ने 2017-22 के दौरान कम्पनी को उत्पादन सब्सिडी (₹ 147.35 करोड़) एवं विपणन सब्सिडी (₹ 174.88 करोड़) प्रदान की। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2017-22 के दौरान ₹ 322.23 करोड़ के अनुदान की सब्सिडी प्राप्त किए जाने के उपरांत भी, बीजों के कुल वितरण में कम्पनी का अंश केवल 14.54 प्रतिशत एवं 28.86 प्रतिशत के मध्य सीमा में था। साथ ही, बीजों के कुल वितरण में कम्पनी का अंश 28.86 प्रतिशत (2018-19) की तुलना में सारभूत रूप से गिरकर 16.07 प्रतिशत (2019-20) रह गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी मुख्य रूप से रियायती दरों पर बीज की बिक्री एवं सरकारी विभागों को आपूर्ति किए जाने पर निर्भर थी क्योंकि 2017-22 के दौरान खुले बाजार में बीज की बिक्री में इसका अंश केवल 12.17 प्रतिशत (₹ 133.52 करोड़) था।

सरकार ने कहा (मार्च 2024) कि बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाना मुख्य रूप से खुले बाजार में गैर-अनुदानित पर बिक्री हेतु उपलब्ध प्रमाणित बीजों की मात्रा में अनिश्चितता के कारण था। यह अनिश्चितता कृषि विभाग की मांग के अनुसार प्राथमिकता पर रियायती बीजों की आपूर्ति की प्रक्रिया के कारण होती है। कोई भी विलंब अथवा विभाग की मांग में अचानक बदलाव खुले बाजार में बिक्री हेतु बीजों की उपलब्धता को प्रभावित करती है।

सरकार ने आगे सूचित किया कि इसने अब बीज निर्गम मूल्य एवं अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की अवधारणा वाली 'नई मूल्य संरचना एवं विपणन नीति' अपनाई है जो निजी विक्रेताओं को गैर-अनुदानित बीजों के अधिकृत विक्रेता बनने के लिए प्रेरित करेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि कम्पनी बीजों की बिक्री हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सकी थी।

निकासी सभा में सरकार/प्रबंधन ने कहा कि बिक्री में गिरावट गेहूँ पर सब्सिडी समाप्त किए जाने के कारण थी। साथ ही, निजी बीज उत्पादक बाजार में बीजों की टूथफुल लेबिल (टीएल) लगी हुई किस्म बेचते हैं जो कि कम्पनी द्वारा बेचे जाने वाले प्रमाणित बीजों की तुलना में सस्ते होते हैं। तथापि उन्होंने राज्य में बीजों की बिक्री में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध डीलरों (खुले बाजार में बिक्री हेतु) को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाने का आश्वासन दिया।

व्यवसाय संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार

2.1.17 प्रतिस्पर्धी बाजार में बीजों की बिक्री में व्यवसाय संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी को बाजार में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र की एजेंसियों, मध्यम स्तर के संस्थानों एवं बहु-राष्ट्रीय बीज कंपनियों/बड़ी बीज एजेंसियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अतः, अपने स्वयं की किस्म को लोकप्रिय बनाने के लिए, कम्पनी को आक्रामक प्रचार गतिविधि करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के उपरांत भी, व्यवसाय संवर्धन एवं अपने स्वयं के बीजों की किस्म के प्रचार के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी। 2017-22 के दौरान, कम्पनी ने रबी सीजन हेतु अपनी विपणन नीति विलंब (सितंबर 2021) से जारी की, जो व्यवसाय संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी। साथ ही, 2017-22 के दौरान अपने स्वयं के बीजों के किस्मों के प्रचार पर किए गए कुल व्यय (₹ 1.68 करोड़) में से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार पर किया गया व्यय मात्र ₹ 0.15 लाख था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा कि कम्पनी ने 2019-22 के दौरान प्रचार-प्रसार पर मात्र ₹ 7.17 लाख रुपये व्यय किए, जो इसकी बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा अपने बीजों की किस्मों को लोकप्रिय बनाने एवं किसानों/विक्रेताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए थे।

कम्पनी ने भविष्य में अपने बीजों के प्रचार के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने का आश्वासन (मार्च 2024) दिया।

अन्य कमियां

2.1.18 कम्पनी की अन्य कमियों, जिसने इसके प्रदर्शन को प्रभावित किया, पर चर्चा नीचे की गई है:

बीज ग्राम योजना का कार्यान्वयन

2.1.19 बीज ग्राम योजना²³ (एसवीपी) का कार्यान्वयन फसल उत्पादन/ उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेतों में बचाए गए बीजों के स्टॉक में सुधार लाने के उद्देश्य से कृषकों को आधार

²³ 2014-15 से 2017-18 तक बीज एवं रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उप मिशन के अन्तर्गत एक कार्यक्रम जो बाद में 2018-19 से पुनर्गठित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का हिस्सा बन गया।

बीजों/प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु वित्तीय सहायता निम्न प्रकार प्रदान किए जाने के लिए किया गया था:

- **अनाज की फसलें:** प्रति कृषक एक एकड़ क्षेत्र के लिए आवश्यक आधार बीजों/प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु 50 प्रतिशत सहायता।
- **दलहन, तिलहन, चारा एवं हरी खाद की फसलें:** प्रति कृषक एक एकड़ क्षेत्र के लिए आवश्यक आधार बीजों/प्रमाणित बीजों की लागत की 60 प्रतिशत सहायता।

राजस्थान में एसवीपी का कार्यान्वयन कम्पनी के साथ-साथ अन्य एजेंसियों²⁴ के माध्यम से किया जाना था। एसवीपी के अन्तर्गत बीजों के वितरण हेतु, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने 2017-22 की अवधि हेतु कम्पनी के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के उपरांत भी, कम्पनी 2017-22 के दौरान कृषकों को कुछ फसल बीजों की लक्षित मात्रा का वितरण सुनिश्चित नहीं कर सकी। कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के समक्ष बीजों के वितरण में कमी का मौसम-वार फसल-वार विवरण **परिशिष्ट-24** में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी 2017-22 के दौरान बीजों की लक्षित मात्रा 1.17 लाख क्विंटल का वितरण नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, कृषक ₹ 25.20 करोड़ के लाभों से वंचित रह गए थे, जैसाकि **परिशिष्ट-24** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि एसवीपी के अन्तर्गत बीजों के वितरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किए जाने के कारण, एसवीपी के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया था।

कम्पनी ने कहा (मार्च 2024) कि लक्ष्य आदर्श परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, जबकि बीजों का वितरण वास्तविक एवं समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। अतः किसी एक अथवा अन्य कारक के कारण निर्धारित लक्ष्यों के समक्ष अधिक या कम उपलब्धि प्राप्त करना स्वाभाविक है। साथ ही, जिले की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, एक योजना के लिए आरक्षित बीजों का उपयोग अन्य योजना के अन्तर्गत भी कृषकों को अनुदानित बीजों की उपलब्धता से समझौता किए बिना किया जाता है।

उत्तर सामान्यीकृत था क्योंकि कम्पनी ने सारभूत कमी, जोकि एक वर्ष में फसल के लक्षित वितरण का 95 प्रतिशत तक था, हेतु किन्हीं विशेष कारणों का उल्लेख नहीं किया था।

बिक्री आय का संग्रहण

2.1.20 कम्पनी ने अपने संयंत्र प्रबंधकों को उधार के आधार पर बीज विक्रय नहीं किए जाने के निर्देश जारी किए (अगस्त 2019)। तत्पश्चात, कम्पनी ने विक्रेताओं/सरकारी विभागों से बकाया राशि की वसूली हेतु बार-बार निर्देश भी दिए थे। साथ ही, क्रय नीति के साथ-साथ अधिकृत विक्रेताओं की नियुक्ति हेतु अनुबंध के नियम एवं शर्तें भी बीज उत्पादकों को प्रजनक/आधार बीजों

²⁴ राज्य कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियां, बीज प्रमाणीकरण विभाग।

एवं अधिकृत विक्रेताओं को प्रमाणित बीजों को केवल नकद आधार पर आपूर्ति किया जाना प्रावधित करती हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि मार्च 2022 तक बीजों की आपूर्ति के पेटे ₹ 101.37 करोड़ की राशि बकाया थी। जिसमें से ₹ 96.71 करोड़ विभिन्न सरकारी विभागों²⁵ से विपणन सब्सिडी, 'मिनीकिट' के रूप में आगे वितरण हेतु बीज की आपूर्ति एवं फसलों के ब्लॉक प्रदर्शन किए जाने के लिए वसूल किए जाने थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने सरकारी विभागों से वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे।

साथ ही, संयंत्र कार्यालयों ने निर्देशों के साथ-साथ अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का भी पालन नहीं किया था। संयंत्र अधिकारियों ने न केवल बीज उत्पादकों को प्रजनक/आधार बीजों की आपूर्ति उधार पर की अपितु अधिकृत विक्रेताओं को भी उधार पर बिक्री की अनुमति प्रदान की थी। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 तक, निजी विक्रेताओं एवं कृषकों पर क्रमशः ₹ 3.84 करोड़ एवं ₹ 0.82 करोड़ की राशि बकाया थी।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया (मार्च 2024) एवं कहा कि विभागों के साथ-साथ बीज उत्पादकों/अधिकृत विक्रेताओं को बकाया देयताएं चुकाने के लिए सहमत करवाया जा रहा है। निकासी सभा के दौरान प्रबंधन ने सूचित किया मार्च 2024 को मात्र ₹ 24.65 करोड़ बकाया हैं जिसमें मार्च 2017 तक की अवधि के बीजों के समक्ष ₹ 5.31 करोड़ सम्मिलित हैं। कम्पनी ने बकाया राशि की वसूली एवं भविष्य में संबंधित प्रावधानों का पालन करने का भी आश्वासन दिया।

अनुशंसा 4: कम्पनी को बीजों की आपूर्ति के पेटे बकाया देयताओं की वसूली सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

2.2 विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में ईंधन अधिभार को सम्मिलित करने में कमियां

राजस्थान की विद्युत वितरण कंपनियों²⁶ (डिस्कॉम्स) को समय-समय पर 'विद्युत के अनाधिकृत उपयोग'²⁷/विद्युत की चोरी की समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की

²⁵ कृषि विभाग, बागवानी विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग और जलग्रहण एवं मृदा संरक्षण विभाग।

²⁶ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अजमेर डिस्कॉम) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोधपुर डिस्कॉम)।

²⁷ विद्युत का अनाधिकृत उपयोग का अर्थ है विद्युत का उपयोग - (i) किसी भी कृत्रिम साधन से; या (ii) संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अधिकृत नहीं किए गए माध्यम से; या (iii) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से; या (iv) उस उद्देश्य, जिसके लिए विद्युत का उपयोग अधिकृत किया गया था, के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए; या (v) उन परिसरों या क्षेत्रों, जिनके लिए विद्युत की आपूर्ति अधिकृत थी, के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए।

धारा 126 एवं धारा 135 (धारा 154 के साथ पठित) में विद्युत के अनाधिकृत उपयोग/चोरी के प्रकरणों में विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण का प्रावधान दिया गया है। डिस्कॉम्स ने 28 अप्रैल 2008 की अधिसूचना के तहत वृत्त कार्यालयों एवं उप-खंड कार्यालयों (जनवरी 2004 और अप्रैल 2008) में नियुक्त कनिष्ठ/सहायक/अधिशाली अभियंता को विद्युत प्रभारों/सिविल देयता का निर्धारण करने एवं विद्युत के अनाधिकृत उपयोग/चोरी में लिप्त पाए गए व्यक्ति को निर्धारण आदेश जारी करने के लिए निर्धारण अधिकारी के रूप में नामित किया। निर्धारण वास्तविक अवधि अथवा निरीक्षण की दिनांक से ठीक पूर्व की 12 माह की अवधि, जो भी कम हो, के लिए टैरिफ की लागू दर के दोगुना के बराबर दर पर किया जाना है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने अपने टैरिफ विनियम 2019 में उपभोक्ताओं से अप्राप्य विद्युत क्रय लागत के लिए त्रैमासिक आधार पर ईंधन अधिभार की वसूली की अनुमति दी थी, इसे विद्युत के अनाधिकृत उपयोग/चोरी के मामलों में विद्युत प्रभारों/सिविल देयता का निर्धारण करते समय टैरिफ के हिस्से के रूप में भी माना जाना था।

विद्युत शुल्क/सिविल देयता के निर्धारण में ईंधन अधिभार को भारित किए जाने पता लगाने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए तीनों डिस्कॉम्स के 30 सतर्कता कार्यालयों का चयन किया एवं 2020-21²⁸ के दौरान उनके द्वारा भरे गए 11,428 सतर्कता जांच प्रतिवेदनों²⁹ (वीसीआर) की समीक्षा की, जैसा कि **परिशिष्ट-25** में दर्शाया गया है।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022) में विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में ईंधन अधिभार को लगाये जाने में निम्नलिखित कमियां उजागर हुईं:

दिशानिर्देश/निर्देश जारी किया जाना	<p>लेखापरीक्षा ने पाया कि दो डिस्कॉम्स (अजमेर एवं जोधपुर) ने सतर्कता मामलों के निर्धारण में ईंधन अधिभार की वसूली के लिए कोई निर्देश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे। जयपुर डिस्कॉम ने दिशानिर्देश जारी किए (फरवरी 2020), जिनमें प्रावधान था कि उपभोक्ताओं जिनके मामले में ईंधन अधिभार की दरें गत तीन तिमाहियों के लिए पूर्व में ही तय हो चुकी थीं, ईंधन अधिभार तदनुसार निर्धारित किया जाना था, एवं अवधि जिसके लिए ईंधन अधिभार तय नहीं किया गया था, ईंधन अधिभार गत तिमाही के लिए तय ईंधन अधिभार के आधार पर अस्थायी रूप से वसूल किया जाना था। इसमें आगे प्रावधान किया गया कि निर्धारण अवधि की चतुर्थ तिमाही के ईंधन अधिभार को अंतिम रूप देने के पश्चात उपभोक्ता के आगामी बिलों में अंतिम समायोजन किया जाएगा।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर डिस्कॉम ने दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था, क्योंकि 3,146 वीसीआर में से 2,815 वीसीआर में ईंधन अधिभार लगाया गया था, जबकि शेष 331 वीसीआर में ₹ 1.93 लाख के ईंधन अधिभार को लगाए बिना निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि जयपुर डिस्कॉम ने अस्थायी आधार पर नवीनतम उपलब्ध दरों को</p>
---	---

^{28.} 2021-22 के अंत तक, डिस्कॉम्स ने केवल वर्ष 2020-21 के लिए ईंधन अधिभार की दरों को निर्धारित/घोषित किया।

^{29.} जयपुर डिस्कॉम (3146 वीसीआर), अजमेर डिस्कॉम (6959 वीसीआर) एवं जोधपुर डिस्कॉम (1323 वीसीआर)।

	अपनाकर ईंधन अधिभार का निर्धारण किया, परन्तु आगामी तिमाहियों में ईंधन अधिभार दर को अंतिम रूप देने के पश्चात, इसने इन वीसीआर से संबंधित उपभोक्ताओं के आगामी बिलों में कोई अंतिम समायोजन नहीं किया था। जयपुर डिस्कॉम के अभिलेखों में सुसंगत दृष्टिकोण नहीं अपनाने एवं निर्धारण में ईंधन अधिभार को सम्मिलित किए बिना निर्धारण करने के कारण नहीं पाये गये थे।
ईंधन अधिभार को सम्मिलित किए बिना निर्धारण	<p>अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के चयनित कार्यालयों ने 2020-21 के दौरान दर्ज किये गए क्रमशः 6,959 वीसीआर एवं 1,212 वीसीआर³⁰ के लिए विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में ईंधन अधिभार को सम्मिलित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में इन वीसीआर के लिए विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में क्रमशः ₹ 32.38 लाख एवं ₹ 22.37 लाख के ईंधन अधिभार घटक को सम्मिलित नहीं किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि चूंकि दोनों डिस्कॉम्स ने विशिष्ट दिशानिर्देश/निर्देश जारी नहीं किए थे, इसलिए विद्युत अधिनियम 2003/टैरिफ विनियम 2019 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में ईंधन अधिभार पर विचार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, 2020-21 के दौरान दर्ज की गई 8,171 वीसीआर में विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण ₹ 54.75 लाख के ईंधन अधिभार को सम्मिलित किये बिना किए गये थे।</p>
ईंधन अधिभार के गलत मूल्य को सम्मिलित करते हुए निर्धारण	<p>जयपुर डिस्कॉम</p> <p>उन 2,815 वीसीआर के मामले में, जहां निर्धारण अधिकारियों ने विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में ईंधन अधिभार को सम्मिलित किया था, निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारण में ईंधन अधिभार को लगाए जाने के निर्धारित सूत्र एवं पद्धति का पालन नहीं किया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:</p> <p>अ. 798 वीसीआर के संबंध में, निर्धारण अधिकारियों ने ईंधन अधिभार की चालू टैरिफ दर के दोगुने के बजाए ईंधन अधिभार की चालू टैरिफ दर के समान दर लागू की।</p> <p>ब. 1,264 वीसीआर के संबंध में, निर्धारण अधिकारियों ने संबंधित तिमाही के ईंधन अधिभार की दर लगाए जाने के बजाए 12 महीने की सम्पूर्ण अवधि के लिए ईंधन अधिभार की एक समान दर लागू की।</p> <p>स. कुल 746 मामले ऐसे थे जो ऊपर उल्लेखित अ एवं ब दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आते थे।</p>

³⁰ दो कार्यालयों एईएन-सतर्कता, जोधपुर जिला वृत्त (55 प्रकरण) एवं एईएन-ओ एंड एम, बावडी, जोधपुर डिस्कॉम (56 प्रकरण) से संबंधित 111 वीसीआर को छोड़कर।

	<p>द. शेष 1,499 वीसीआर³¹ में, जिनमें दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी निर्धारण किया गया था, ईंधन अधिभार की लागू की गई दर गलत थी।</p> <p>उपरोक्त कमियों के अलावा, डिस्कॉम्स द्वारा सभी 2,815 मामलों में अंतिम निर्धारण नहीं किया गया था। इन सभी कमियों के कारण, 374 वीसीआर में ईंधन अधिभार ₹ 1.62 लाख कम निर्धारित किया गया एवं 2,441 वीसीआर में ₹ 33.63 लाख अधिक निर्धारित किया गया।</p> <p>जोधपुर डिस्कॉम</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि जोधपुर डिस्कॉम के दो चयनित कार्यालयों से संबंधित 111 वीसीआर³² के मामले में, निर्धारण अधिकारियों ने विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में ईंधन अधिभार लगाया था। इन प्रकरणों में, निर्धारण अधिकारियों ने ईंधन अधिभार की तिमाही आधार लागू टैरिफ दर के दोगुने के बजाए किसी तिमाही विशेष की ईंधन अधिभार की लागू टैरिफ दर के समान दर को अपनाया एवं इसे सम्पूर्ण अवधि के लिए लागू किया। साथ ही, इन प्रकरणों में ईंधन अधिभार का अंतिम समायोजन भी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन प्रकरणों में ईंधन अधिभार घटक को ₹ एक लाख तक कम निर्धारण किया गया था।</p>
--	---

असमान प्रथा को देखते हुए, डिस्कॉम्स ने विद्युत के अनाधिकृत उपयोग/चोरी के मामलों में ईंधन अधिभार को भारित किए जाने पर स्पष्टीकरण हेतु आरईआरसी को एक याचिका दायर की (नवंबर 2022)। आरईआरसी ने अपने आदेश (अगस्त 2023) में उपभोक्ताओं के साथ-साथ गैर-उपभोक्ताओं से भी ईंधन अधिभार की वसूली टैरिफ आदेश में निर्धारित किए अनुसार किए जाने की बात दोहरायी। आरईआरसी ने उन मामलों को नहीं खोले जाने का भी निर्देश दिया, जहां पूर्व में ही निर्धारण हो चुका था।

ईंधन अधिभार की वसूली के संबंध में समय पर दिशानिर्देश जारी करने में डिस्कॉम्स की विफलता के कारण चयनित कार्यालयों में ₹ 59.30 लाख³³ का कम निर्धारण तथा ₹ 33.63 लाख का अधिक निर्धारण हुआ। समग्र रूप से डिस्कॉम्स के लिए ईंधन अधिभार के गलत निर्धारण की संभावना बहुत अधिक हो सकती है।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2023) कि आरईआरसी का आदेश को इस आदेश के जारी होने के बाद किए जाने वाले निर्धारण के लिए भावी दृष्टि से लागू किया जाना है एवं जिन मामलों में पूर्व में ही निर्धारण किया जा चुका था, को इस आदेश के आधार पर पुनः नहीं खोला जाना है। इसमें आगे कहा कि डिस्कॉम्स ने आरईआरसी के आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश/निर्देश जारी किए थे।

³¹ कुल मामले जिनमें निर्धारण अधिकारी ने ईंधन अधिभार को निर्धारण में विचार किया (2815) में से घटाए अ (798) एवं ब (1264) में चर्चा किए गये मामले तथा जोड़ें अ एवं ब दोनों में सम्मिलित मामले (746) = 1499 वीसीआर।

³² एईएन-सतर्कता, जोधपुर जिला वृत्त (55 प्रकरण) एवं एईएन-ओ एंड एम, बावड़ी (56 प्रकरण)।

³³ ₹ 1.93 लाख + ₹ 54.75 लाख + ₹ 1.62 लाख + ₹ एक लाख

‘ईंधन अधिभार’ लगाने की अवधारणा पूर्व में ही टैरिफ विनियम, 2014/2019 के तहत परिभाषित थी एवं इसलिए, आरईआरसी से मांगा गया स्पष्टीकरण अवांछित था। तथ्य यह रहा कि डिस्कॉम्स सतर्कता मामलों में ईंधन अधिभार के निर्धारण के संबंध में टैरिफ विनियमन का अनुपालन करने में विफल रहे।

अनुशंसा 5: डिस्कॉम्स को, अशुद्धियों से बचने एवं आवश्यक नियंत्रण रखने हेतु, सतर्कता प्रकरणों में स्वचालित निर्धारण प्रक्रिया को अपनाना एवं इसे उनकी बिलिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करना चाहिए।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

2.3 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करना

कम्पनी ने सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था एवं इसलिए इसे 100 डब्ल्यूपी क्षमता वाले एसपीवी की स्थापना पर ₹ 12 करोड़ की संपूर्ण लागत वहन करनी पड़ी थी।

सभी गैर-विद्युतीकृत गृहों को विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित किए जाने के लिए, भारत सरकार (जीओआई) ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) प्रारम्भ की (11 अक्टूबर 2017) एवं इसके संचालन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। सौभाग्य योजना के वित्तपोषण स्वरूप के अनुसार, भारत सरकार को अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 60 प्रतिशत योगदान देना था एवं उपक्रम/राज्य को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत योगदान क्रमशः अपनी निधियों एवं बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण के द्वारा करना था। साथ ही, भारत सरकार ने सौभाग्य योजना के लिए दिशानिर्देश भी जारी किये (20 अक्टूबर 2017), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दूरस्थ एवं दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत गृहों, जहां ग्रिड विस्तार न तो व्यवहार्य है एवं न ही किफायती है, हेतु सौर फोटो वोल्टिक आधारित स्वचालित तंत्र (एसपीवी) की स्थापना का प्रावधान किया गया। सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के खंड 2.6 में 200 से 300 डब्ल्यूपी³⁴ (बैटरी बैंक के साथ) के पावर पैक वाले एसपीवी के लिए अधिकतम पांच एलईडी लाइट, एक डीसी पंखा, एक डीसी पावर प्लग के साथ-साथ 5 वर्षों तक मरम्मत एवं रखरखाव का प्रावधान है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने एसपीवी की स्थापना द्वारा विद्युतीकृत किए जाने हेतु प्रारंभिक रूप से 10 वृत्तों/जिलों में 8,758 गृहों को चिन्हित किया। तदनुसार, कम्पनी ने प्रत्येक वृत्त/जिले के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की (अप्रैल 2018), जिसमें इसने 250 डब्ल्यूपी एसपीवी के लिए प्रावधान रखा। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के पास ग्रिड के बिना कनेक्टिविटी हेतु कोई अनुबंध नहीं था एवं इसलिए उसने राजस्थान अक्षय

³⁴ डब्ल्यूपी- सौर स्थापना की क्षमता वाट पीक में व्यक्त की जाती है।

ऊर्जा निगम लिमिटेड³⁵ (आरआरईसीएल) को ₹ 18,250 प्रति एसपीवी की दर से 100 डब्ल्यूपी क्षमता के 8,758 एसपीवी की स्थापना के लिए कार्यादेश प्रदान किया (5 सितंबर 2018)। तथापि, कम्पनी ने एसपीवी की विद्युत क्षमता में सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों से विचलन हेतु विद्युत मंत्रालय/आरईसी से अनुमोदन नहीं लिया था।

आरआरईसीएल ने 100 डब्ल्यूपी क्षमता के केवल 6,573 एसपीवी स्थापित किए (मार्च 2019 तक), जिसके लिए कम्पनी ने आरआरईसीएल को छह किस्तों में ₹ 12 करोड़ जारी किए (सितम्बर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) एवं इसके लिए आरईसी को दावा प्रस्तुत किया (जून 2019)। तत्पश्चात, कम्पनी ने दावा की गई राशि जारी किए जाने के लिए आरईसी से बार-बार अनुरोध किया (अक्टूबर 2019 और जुलाई 2020)। तथापि, आरईसी ने कम्पनी द्वारा 1 सितंबर 2021 को प्रस्तुत समापन प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दावे को स्वारिज कर दिया (29 सितंबर 2021)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सौभाग्य योजना राज्य में सभी तीनों डिस्कॉम्स³⁶ द्वारा क्रियान्वित की गई थी। अन्य दो डिस्कॉम्स ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को एसपीवी प्रदान किए तथा योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत का अनुदान प्राप्त किया। तथापि, कम्पनी ने एकतरफा तौर पर यह मान लिया कि 100 डब्ल्यूपी क्षमता वाले एसपीवी की स्थापना भी योजना के तहत अनुदान के लिए पात्र होगी, जो गलत था। इससे लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत परिकल्पित बढ़ी हुई विद्युत क्षमता से भी वंचित होना पड़ा।

सरकार ने बताया (जून 2023) कि अन्य योजनाओं के अंतर्गत 100 डब्ल्यूपी क्षमता वाले एसपीवी के माध्यम से ग्रिड के बिना विद्युतीकरण का काम आरआरईसीएल में चल रहा था एवं इसलिए उसी क्रम में सौभाग्य योजना के तहत कार्य भी आरआरईसीएल को प्रदान किया गया था। इसने आगे कहा कि विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राजस्थान, जिसमें सूर्यविकिरण का स्तर बेहतर है, में एकल गुंबद प्रकार की झोपड़ियों की संरचना को ध्यान में रखते हुए, एक विशेष परिस्थिति के रूप में, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 100 डब्ल्यूपी के एसपीवी की स्थापना का अनुमोदन दिया था (अक्टूबर 2018)। इसने यह भी कहा कि कम्पनी ने 200 डब्ल्यूपी क्षमता की स्थापना लागत की तुलना में 100 डब्ल्यूपी क्षमता की स्थापना पर ₹ 3.22 करोड़³⁷ की बचत की है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कम्पनी ने विद्युत मंत्रालय/आरईसी की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना ही कम क्षमता वाले एसपीवी के लिए कार्यादेश प्रदान किया था एवं इसने अन्य दो डिस्कॉम्स से भी परामर्श नहीं किया था। कम्पनी का यह तर्क कि 100 डब्ल्यूपी क्षमता वाले एसपीवी की स्थापना पर इसके योगदान (40 प्रतिशत) के पेटे ₹ 3.22 करोड़ की बचत हुई है, भी गलत है, क्योंकि यह बचत तभी हो सकती थी यदि आरईसी ने 100 डब्ल्यूपी क्षमता वाले एसपीवी के लिए

³⁵ डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन को कार्यान्वयन करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक अन्य राजकीय उपक्रम।

³⁶ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

³⁷ 200 डब्ल्यूपी के 6573 एसपीवी की कुल लागत में कम्पनी का योगदान (40 प्रतिशत) में से घटाए 100 डब्ल्यूपी के 6573 एसपीवी की कुल लागत में कम्पनी का योगदान (40 प्रतिशत) (₹ 8.02 करोड़ - ₹ 4.80 करोड़)।

दावे को स्वीकार किया होता, जिसे हालांकि अस्वीकार कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, कम्पनी को इन एसपीवी के लिए ₹ 12 करोड़ की संपूर्ण स्थापना लागत वहन करनी पड़ी थी एवं योजना के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान का लाभ उठाने का अवसर खो दिया।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

2.4 नकली बैंक गारंटियों को स्वीकार किया जाना

सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव की परिणति ₹ 6.86 करोड़ मूल्य की नकली बैंक गारंटियों को स्वीकार किए जाने में हुई। परिणामस्वरूप, कम्पनी इसके टोल के बकाया ₹ 6.72 करोड़ की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकी।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अपनी टोल नीति में संशोधन किया (मार्च 2019)। टोल नीति 2019 के खंड 11 में प्रावधान है कि सफल बोलीदाता निष्पादन सुरक्षा के रूप में बोली राशि का 15 प्रतिशत, जयपुर में देय अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी (बीजी)/सावधि जमा रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में प्रस्तुत करेगा। साथ ही, ठेकेदारों द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी की प्रामाणिकता का आकलन करने के लिए नियमों को बनाए जाने के अलावा समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (आरटीपीपी नियम 2013)	नियम 42(9) बोली प्रतिभूति	बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बीजी की पुष्टि संबंधित जारीकर्ता बैंक से की जाएगी
भारतीय रिजर्व बैंक	प्रधान परिपत्र जुलाई 2004	बीजी के लाभार्थी को सुरक्षा की दृष्टि से बैंक गारंटी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बैंकों से इसकी पुष्टि अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।
केंद्रीय सतर्कता आयोग	कार्यालय ज्ञापन 31 दिसंबर 2007	सभी संगठनों को जाली/नकली बीजी स्वीकार करने की संभावना को समाप्त करने के लिए ठेकेदारों से बीजी स्वीकार किए जाने की अपनी प्रणाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए। बीजी की स्वीकार किए जाने हेतु प्रक्रिया को भी विकसित करने की सलाह दी।

कम्पनी ने श्रेया एंटरप्राइजेज, इलाहाबाद (ठेकेदार) को दो सड़कों³⁸ पर टोल टैक्स के संग्रहण का कार्य क्रमशः ₹ 8.27 करोड़ एवं ₹ 38.35 करोड़ में कार्यादेश जारी किए जाने की दिनांक से दो वर्षों की अवधि हेतु प्रदान किया (सितंबर 2019 एवं दिसंबर 2019 के मध्य)। दोनों कार्यादेशों के अंतर्गत, ठेकेदार ने निष्पादन सुरक्षा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक), मुंबई द्वारा इसकी शाखा- वसई पश्चिम एवं दारुखाना के माध्यम से जारी क्रमशः ₹ 1.22 करोड़ एवं ₹ 5.64 करोड़

³⁸ (i) सलुम्बर-कीर की चौकी एवं देबारी-कुरावर-बम्बोरा सड़क एवं (ii) डबोक-मावली-कपासन-चित्तौड़गढ़ सड़क।

के बीजी के रूप में प्रस्तुत की (16 सितंबर 2019 एवं 10 दिसंबर 2019)। कम्पनी ने ठेकेदार के साथ अनुबंधों को निष्पादित किया (20 सितम्बर 2019 एवं 13 दिसम्बर 2019), जिसके अनुसार, ठेकेदार को दो साल तक क्रमशः ₹ 0.33 करोड़ एवं ₹ 1.52 करोड़ की मासिक किस्तें जमा करनी थी।

चूंकि ठेकेदार ने किस्तों के भुगतान में चूक की एवं किस्तों की आंशिक राशि जमा की, कम्पनी ने ठेकेदार को बकाया राशि चुकाने के लिए कई नोटिस जारी किए (जुलाई 2020 एवं सितंबर 2021 के मध्य)। साथ ही, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत आगामी तिथियों के चैक भी अपर्याप्त राशि के कारण अनादरित हो गए थे (जनवरी 2020 एवं अगस्त 2021 के मध्य)। तथापि, ठेकेदार ने दोनों सड़कों पर टोल वसूली का कार्य जारी रखा। कम्पनी के इकाई कार्यालय, उदयपुर ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बीजी को भुनाने के लिए बैंक से पूछे जाने पर (जुलाई 2021), बैंक ने अवगत कराया (अगस्त/सितंबर 2021) कि उपरोक्त बीजी उसके द्वारा जारी नहीं की गई थी। तत्पश्चात, कम्पनी ने ठेकेदार से टोल संग्रहण का कार्य वापस ले लिया (अगस्त 2021) एवं नकली बीजी प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार के विरुद्ध विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की (सितंबर 2022)।

अभिलेखों की जांच में उजागर हुआ (नवंबर 2022) कि कम्पनी ने दोनों कार्यादेशों के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बीजी का सत्यापन नहीं किया था। प्रथम कार्यादेश के प्रकरण में, बीजी की प्रामाणिकता की पुष्टि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक के पुष्टिकरण पत्र के आधार पर की गई थी। साथ ही, द्वितीय कार्यादेश के प्रकरण में, बीजी को बैंक से प्राप्त कथित पुष्टिकरण ई-मेल के आधार पर स्वीकार किया गया था। बाद में, उपरोक्त ई-मेल के संबंध में बैंक से संपर्क करने पर, बैंक ने कहा (अगस्त 2021) कि ई-मेल आईडी³⁹, जिसके द्वारा कम्पनी को बीजी की वास्तविकता की पुष्टि प्राप्त हुई थी, दो वर्ष पूर्व ही बदल गई थी एवं यह उपयोग में नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने आरटीपीपी नियम, 2013, आरबीआई के निर्देशों एवं सीवीसी दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के पश्चात भी, ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बीजी की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया था। साथ ही, वर्तमान प्रकरणों में, जहां ठेकेदार ने बीजी प्रस्तुत की थी, कम्पनी ने बैंक की जारीकर्ता शाखा से तुरंत एक सहपत्र के साथ बीजी की नकल प्रति मांगकर प्रामाणिकता की पुष्टि करने के स्थान पर केवल ठेकेदार पर भरोसा किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने ₹ 6.86 करोड़ की नकली बीजी स्वीकार की। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी ने ठेकेदार के विरुद्ध विलंब से एफआईआर दर्ज की (सितंबर 2022) एवं तत्पश्चात अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए एक सिविल याचिका दायर की (नवंबर 2022)। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के प्रावधानों के तहत बैंक की ई-मेल आईडी का दुरुपयोग करने एवं ठेकेदार द्वारा उसके लेटर हेड का दुरुपयोग करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का मामला भी विलंब से उठाया गया था (नवंबर 2022)।

³⁹ cbsdarukhana@unionbankofindia.com

इस प्रकार, बीजी की वास्तविकता का पता लगाने हेतु सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव में, कम्पनी ने न केवल नकली बीजी को स्वीकार कर लिया, अपितु ₹ 6.72 करोड़⁴⁰ (31 मार्च 2022 तक गणना) की बकाया राशि की वसूली भी नहीं कर सकी।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2024) कि इसने सितंबर 2021 से पूर्व, बीजी के सत्यापन के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे। इसने आगे कहा कि बकाया टोल राशि की वसूली के लिए वाणिज्यिक न्यायालय, उदयपुर में वाद दायर किया गया था। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

प्रबंधन का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि कम्पनी ने बकाया राशि की वसूली के लिए ठेकेदार के विरुद्ध विलम्ब से सिविल याचिका दायर की, तथापि इसने जालसाजी के ऐसे गंभीर मामले में दोषी/अपराधी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की थी। कम्पनी ने बैंक के समक्ष उसकी ई-मेल आईडी, लेटर हेड, मुहर एवं नकली बीजी पर अधिकारियों के हस्ताक्षर के दुरुपयोग का मामला भी एक वर्ष से अधिक के विलंब से उठाया। आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव में, ऐसे अन्य ठेकों में बैंक के ईमेल आईडी, लेटर हेड का उपयोग करके नकली बैंक गारंटी जारी करने में धोखाधड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जयपुर

दिनांक : 22 फरवरी 2025



(रामावतार शर्मा)

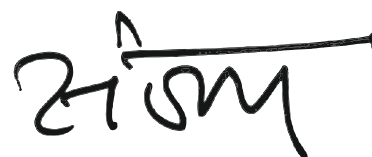
महालेखाकार

(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 24 फरवरी 2025



(के संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

⁴⁰ सलूमबर-कीर की चौकी एवं देबारी-कुरावर-बम्बोरा सड़क के लिये ₹ 0.23 करोड़ तथा डबोक-मावली-कपासन-चित्तौड़गढ़ सड़क के लिये ₹ 6.49 करोड़।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2; पृष्ठ 1)

विभागों का संक्षिप्त प्रालेख

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
1.	कृषि	विभाग का मुख्य उद्देश्य फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय पौधों आदि जैसी फसलों के क्षेत्र और उत्पादकता में वृद्धि की योजना बनाना है। यह कृषक समुदाय को गुणवत्तापूर्ण आदान की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा नवीनतम तकनीकी जानकारी के प्रसार के लिए भी जिम्मेदार है जिसे 'विस्तार सेवाएँ' कहा जाता है।
2.	कृषि विपणन	विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि विपणन से संबंधित बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, किसानों को मंडियों में विपणन सुविधाएँ प्रदान करना और किसानों को उनकी फसल बेचने के समय उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करना है।
3.	पशुपालन	विभाग का मुख्य उद्देश्य पशुओं को उपचार प्रदान करना, पशुधन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करना, टीकों का निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करना आदि है।
4.	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	कला और संस्कृति विभाग का मुख्य उद्देश्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और संरक्षण, मूर्त और अमूर्त दोनों कला और संस्कृति के सभी रूपों को बढ़ावा देना, विभिन्न कला और वास्तुकला के रूप में सन्निहित सांस्कृतिक विरासत की सोज, संरक्षण, सुरक्षा, प्रदर्शन और व्याख्या करने के लिए ठोस प्रयास करना है। यह अपने नियंत्रण में स्मारकों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुरातात्विक स्थलों की भी देखभाल करता है, जिसमें पवित्र और धर्मनिरपेक्ष स्मारक शामिल हैं, जैसे उत्कृष्ट मंदिर, विशाल मस्जिद, विशाल किले, शानदार महल, कलात्मक स्मारक, नक्काशीदार और चित्रित हवेलियाँ, आदि।
5.	नागरिक उड्डयन	विभाग का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत इको-सिस्टम स्थापित करना है, जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा।
6.	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	विभाग का मुख्य उद्देश्य निर्मित सिंचाई क्षमता के कुशल उपयोग और कृषि विस्तार और संधारणीय कृषि अनुसंधान के समन्वय से अधिकतम भूमि को सिंचित करके कृषि उत्पादन प्राप्त करना है।
7.	सहकारी	विभाग का मुख्य उद्देश्य सहकारी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों और जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
8.	देवस्थान	विभाग का मुख्य कार्य मंदिरों/धार्मिक संस्थानों में आत्मनिर्भरता पैदा करना है। विभाग, इनके नियंत्रण और प्रबंधन, पूजा सुविधाएँ प्रदान करने, विभिन्न त्योहारों और मेलों का आयोजन करने, सार्वजनिक ट्रस्टों के पंजीकरण और पर्यवेक्षण और इनके नियंत्रण, देवस्थान विकास की योजना बनाने, जनता के लिए धर्मशालाओं और विश्राम गृहों के निर्माण और रस्सरसाव और विभिन्न मंदिरों के लिए महंतों और पुजारी की नियुक्ति, में भी शामिल है।
9.	ऊर्जा	ऊर्जा विभाग राजस्थान राज्य के ऊर्जा क्षेत्र का प्रशासनिक विभाग है। इस विभाग का मुख्य कार्य राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ऋण, अनुदान और इक्विटी के लिए मंजूरी जारी करना और विद्युत क्षेत्र की कंपनियों और विद्युत निरीक्षण विभाग के प्रशासनिक मामलों से निपटना है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
10.	पर्यावरण	विभाग का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं से संबंधित योजना स्तर पर पर्यावरण मूल्यांकन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम बनाना और निष्पादित करना और अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण संबंधी प्रस्तावों की संवीक्षा करना है।
11.	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	विभाग के मुख्य उद्देश्य कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को सुनिश्चित करना है। कारखानों में दुर्घटनाओं और स्तरनाक घटनाओं की जांच करना और औद्योगिक श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी करना है।
12.	मत्स्य पालन	विभाग का मुख्य कार्य मछली और मछली बीज उत्पादन में वृद्धि करना, राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देना और मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है।
13.	साधन एवं नागरिक आपूर्ति	विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों से उचित मूल्य पर साधन की सरीद, उसका मंडारण/हैंडलिंग, बफर स्टॉक का रस्सरसाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन और उचित संचालन है।
14.	वन	विभाग का मुख्य उद्देश्य वानस्पतिक आवरण को बढ़ाकर पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा प्राप्त करना है। इसे राज्य के प्राकृतिक आवरण के विस्तार के लिये सघन वृक्षारोपण, मरुस्थलीकरण का मुकाबला कर, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के माध्यम से वनस्पति एवं जैव विविधता एवं जीन पूल रिजर्व से प्राप्त किया जाना है।
15.	गोपालन	विभाग का मुख्य कार्य गौशालाओं का पंजीकरण करना और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर विकसित करना है; राज्य की देशी गायों की नस्लों का संरक्षण एवं उन्नयन; कमी के दौरान चारा प्रबंधन; गौपालकों और गौशालाओं के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और प्रसंस्करण के माध्यम से पशु उत्पादों का मूल्यवर्धन करना।
16.	भूजल	विभाग सभी प्रकार की भूजल संबंधी गतिविधियों जैसे भूजल संसाधन मूल्यांकन, सर्वेक्षण और जांच, गहरे ट्यूबवेलों की ड्रिलिंग, भूजल गुणवत्ता निगरानी, स्रोत विकास, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के लिए तकनीकी सहायता के लिए राज्य में नोडल विभाग है।
17.	उद्यानिकी	विभाग का मुख्य उद्देश्य फलों, सब्जियों, मसालों, औषधीय और फूलों की सेती वाली फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, नर्सरी में उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्टेड पौधों और किसानों को आपूर्ति करना है; ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग को लोकप्रिय बनाना, राज्य योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि जल प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, औषधीय पौधों के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत परिकल्पित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना और किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करना।
18.	इंदिरा गांधी नहर	विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराना है।
19.	उद्योग	विभाग का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को बढ़ावा देना, उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करना, लवणीय क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्प कारीगरों का विकास, हथकरघा इत्यादि का विकास है। विभाग राज्य में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में विभिन्न रियायतें, सुविधाएँ तथा सहायता भी प्रदान करता है।
20.	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज्य के कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रशासन में सुधार के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी निकायों में प्रौद्योगिकी का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए काम कर रहा है। विभाग तकनीकी मामलों तथा सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है। विभाग राज्य में आईटी नीति बनाता है और लागू करता है।
21.	स्नान एवं भूविज्ञान	स्नान एवं भू-विज्ञान विभाग राज्य में स्नान संसाधनों की स्रोत, विकास एवं प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया था। विभाग नवीन स्नान भण्डारों के लिये सर्वेक्षण एवं पूर्वक्षण करता है तथा भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय, भू-रसायन तथा ड्रिलिंग तकनीकी से उनकी सुनिश्चितता का मूल्यांकन करता है जिससे उन्हें दोहन के लिये तैयार किया जा सके।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
22.	पेट्रोलियम निदेशालय	निदेशालय के मुख्य कार्य हैं: पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस और पेट्रोलियम स्नन पट्टों के अनुदान के प्रस्तावों पर कार्रवाई करना, नियमों और विनियमों जैसे कि तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959, आदि को प्रभावी ढंग से लागू करना, पेट्रोलियम क्षेत्र से राजस्व का संग्रह, न्यूनतम कार्य योजना के कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों का कार्यान्वयन, तेल, गैस और कोयला बेड मीथेन के लिए ब्लॉक आवंटन, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति/सीबीएम नीति व्यवस्था और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत छोटे क्षेत्र/खुले एकड़ लाइसेंसिंग के तहत नए ब्लॉक खोजना।
23.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) राज्य के प्रत्येक नागरिक को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यव्यापी कार्यालय नेटवर्क और अत्याधुनिक रिवर्स ऑस्मोसिस, डी-फ्लोराइडेशन, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण, आईटी और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ पीएचईडी राजस्थान के दूरदराज के स्थानों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा रहा है। पीएचईडी चरणबद्ध तरीके से भूजल आधारित योजनाओं से सतही जल स्रोत आधारित योजनाओं की ओर स्थानांतरित हो रहा है। इससे पानी की गुणवत्ता की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और पीने योग्य पानी की आपूर्ति को टिकाऊ बनाया जा सकेगा।
24.	सार्वजनिक निर्माण	लोक निर्माण विभाग को मुख्य रूप से सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण और रखरखाव का काम सौंपा गया है। विभाग इन मामलों में राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
25.	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की मोटर वाहन पॉलिसी को लागू करना है। इसके अतिरिक्त यह पदाधिकारियों को राज्य/जिला पूल से मोटर वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है।
26.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	विभाग का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढ़ाना तथा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढ़ाने के लिये नोडल विभाग की भूमिका निभाना है।
27.	राज्य उद्यम	विभाग का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन से प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है।
28.	पर्यटन	विभाग राज्य के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देकर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन ब्रांड बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य कार्य मौजूदा पर्यटन उत्पादों को मजबूत करना और विविधता लाना, नवीन पर्यटन उत्पाद प्रदान करना, पर्यटक आवास संरचनाओं का विस्तार करना और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
29.	परिवहन	विभाग के मुख्य उद्देश्यों में मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा फिटनेस, मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मोटर वाहनों को अनुमति-पत्र जारी करना, जनता के लाभ के लिये मार्गों का निर्धारण तथा वाहन प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम करना शामिल है।
30.	जल संसाधन	प्रमुख, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मौजूदा टैंकों, नहरों और अन्य सिंचाई संरचनाओं का संचालन और रखरखाव विभाग का प्रमुख कार्य है। बाढ़ नियंत्रण के उपाय, विभिन्न विशेष योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई संरचनाओं का निर्माण।

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.1; पृष्ठ 4)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या			बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या			सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	तीन वर्षों तक	योग
1.	कृषि	151	52	50	253	580	221	415	1216	1626.06	3229.93
2.	कृषि विपणन	8	0	2	10	21	0	12	33	25.87	115.79
3.	पशुपालन	55	2	17	74	114	16	114	244	2999.36	3470.62
4.	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	42	15	36	93	111	53	220	384	94.07	487.29
5.	नागरिक उड्डयन	2	2	3	7	2	8	14	24	1.33	42.84
6.	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	53	3	5	61	86	3	20	109	68.96	91.23
7.	सहकारी	47	30	16	93	102	130	69	301	879.19	2416.96
8.	देवस्थान	32	2	9	43	78	7	47	132	136.12	240.62
9.	ऊर्जा	0	1	6	7	0	1	19	20	0	17575.86
10.	पर्यावरण	6	0	3	9	31	0	19	50	576.30	603.00
11.	कारखाना एवं बायोलर्स	1	0	8	9	1	0	33	34	0	2.38
12.	मत्स्य पालन	0	0	2	2	0	0	18	18	0	21.51
13.	स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	83	1	26	110	383	11	222	616	5053.21	5814.73

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
14.	वन	188	90	83	361	637	380	628	1645	1069.22	172.16	601.84	1843.22
15.	गोपालन	7	4	10	21	33	18	74	125	48.82	3.85	341.16	393.83
16.	भूजल	22	6	9	37	40	7	35	82	376.49	24.89	60.34	461.72
17.	उद्यानिकी	33	1	14	48	113	6	73	192	315.71	12.25	26.82	354.78
18.	इंदिरा गांधी नहर	27	29	16	72	36	65	60	161	205.81	20.44	223.49	449.74
19.	उद्योग	22	5	15	42	45	26	63	134	28.33	91.40	21.31	141.04
20.	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	0	4	5	9	0	6	40	46	0	441.68	1119.49	1561.17
21.	स्नान एवं भूविज्ञान	222	57	56	335	658	310	439	1407	1543.54	379.95	554.14	2477.63
22.	पेट्रोलियम	0	1	3	4	0	1	4	5	0	0	122.07	122.07
23.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	831	141	162	1134	2690	894	1127	4711	7045.97	2824.82	4349.48	14220.27
24.	सार्वजनिक निर्माण	1032	155	197	1384	4821	833	1256	6910	4094.44	1216.19	3206.65	8517.28
25.	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	1	2	3	6	1	11	13	25	0.03	13.71	6.50	20.24
26.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	4	5	9	18	5	13	34	52	7.10	9.56	30.59	47.25
27.	राज्य उद्यम	1	0	2	3	1	0	8	9	0.07	0	22.00	22.07
28.	पर्यटन	8	7	3	18	16	11	38	65	9.03	63.26	109.83	182.12
29.	परिवहन	222	42	46	310	785	246	448	1479	32.21	12.15	63.97	108.33
30.	जल संसाधन	439	116	115	670	1361	543	828	2732	1815.86	368.88	1167.34	3352.08
	योग	3539	773	931	5243	12751	3820	6390	22961	28053.10	7894.32	32440.18	68387.60

परिशिष्ट-3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.2.3; पृष्ठ 11)

60 कारखानों की सूची जिनका कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	के एस मोटर्स जयपुर	एफ-130, रीको मालवीय नगर, जयपुर	30601
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	ससरा सं. 2904, छिन्नोली औद्योगिक क्षेत्र के पीछे, गाँव बगरू, जयपुर	28253
3	दिलीप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जी-161, 164, 171, 174, रीको औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	22177
4	प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड	ससरा न. 102, 1708/103, 104, 105 एवं 106 आसलपुर, जोबनेर	32804
5	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	गाँव: आसलपुर, जोबनेर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर	31125
6	इंडियन ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स	बी-312, रोड नंबर 17, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	13552
7	चेतना आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज	जी-60, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बस्सी, जयपुर	32924
8	राम इमेक्स	एफ-202 से 204, मेजर काम्लेक्स, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानसरोवर, जयपुर	33807
9	के बी क्रिएशन (इकाई - II)	196, रीको मानसरोवर, जयपुर	31643
10	लक्ष्मी उद्योग	एच-408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229
11	गोपाल कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्री	गायत्री मंदिर के सामने, लंका नंबर, बूंदी	16199
12	श्री महावीर स्टोन क्रेशर	बिसानी, हिन्दोली, बूंदी	20562
13	सोमानी स्टोन क्रेशर	गाँव सथूर, जिला बूंदी	25888
14	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38, नगदी बाजार, बूंदी	33882
15	आरविकोन इंटरनेशनल	ई-7, 8, 9 रीको औद्योगिक क्षेत्र, हत्तिपुरा, बूंदी	30714
16	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्कशॉप बूंदी	सरकारी अस्पताल के सामने, बूंदी	4958
17	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	पुलिस लाइन के पास, बिबनावा रोड, बूंदी	22362

क्र सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
18	फ्रेंड्स अग्रिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड	स्सरा सं. 43, मंगलरिवल के पास, गाँव चपरास, बूंदी	29342
19	दैनिक भास्कर कारपोरेशन लिमिटेड	प्लाट सं. 589/178 राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ग्राम बल तहसील तलाडा, बूंदी	29537
20	अडानी विल्मर लिमिटेड	जयपुर कोटा उच्चमार्ग, सिलोर रोड, बूंदी	19126
21	श्री गुप्ता कास्टिंग	जी-145, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	26486
22	बालाजी मिल्क आइस क्रीम एंड आइस फैक्ट्री	जी-56, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	30377
23	चेमिटेक्स लैबोरेट्रीज	एफ-11, रीको औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर	15100
24	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	तारानगर रोड, रामगंज, अजमेर	863
25	अजमेर पब्लिशिंग स्टेशन टर्मिनल (एच पी सी एल)	गाँव सरधाना, राष्ट्रीय राजमार्ग-08, अजमेर	27825
26	लक्सचर सर्फेक्ट कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड	स्सरा सं. 418-419, गाँव- मांगलियावास, अजमेर	32369
27	गुप्ता पेट	जी-1-158, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पालारा, अजमेर	33920
28	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)	ग्राम दिवारी, किशनगढ़ रोड, नसीराबाद, अजमेर	25363
29	सूरजमल आरा मशीन	कल्याणपुर गैस गोदाम के पास, अम्बे बाजार, अजमेर	25897
30	विश्वकर्मा वूल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-06, वूलेन काम्प्लेक्स ब्यावर, अजमेर	23631
31	रिलायंस पेट्रो मार्केटिंग लिमिटेड	सं. 4251, आसीद, भीलवाड़ा	33359
32	चारभुजा इम्पेक्स	ब्यावर रोड, विजयनगर रोड चौराहा, बदनोर	29739
33	आदर्श सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड	ई-53-54, औद्योगिक क्षेत्र, भीलवाड़ा	15547
34	जय शिव सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	एफ-222-223, फेज-IV, रीको भीलवाड़ा	25922
35	क्वालिटी सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	चित्तोडगढ़ रोड, भीलवाड़ा	21917
36	जोगनिया एक्सप्लोसिव लिमिटेड	44/1 91 91/3189293949696/319, सहाडा, गंगापुर, भीलवाड़ा	32820
37	स्टैरलाइट एग्रो लिमिटेड	चित्तोड़ रोड, मंडपीया चौराहा, भीलवाड़ा	29482
38	ग्लो स्टोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	अराज सं. 1194, 1195/182 गाँव बरन, तहसील बनेडा, भीलवाड़ा	31557
39	मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड	1913/1 और 1913/2 हमीरगढ़, भीलवाड़ा	25038

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
40	पिपलेश्वर महादेव आइस फैक्ट्री (भीलवाड़ा आइस फैक्ट्री)	कला रोड, सेवदा भीलवाड़ा	26225
41	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर डिपो वर्कशॉप	देवीपुरा, सीकर	4891
42	220 केवीजीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	फतेहपुर रोड, सीकर	4961
43	जितेन फूड्स एंड फ्लेवर्स लिमिटेड	बी-52, श्री सादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग्स, सीकर	30153
44	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड एलपीजी बॉटलिंग प्लांट	62, अम्बेडकर नगर, झुंझुनू	24589
45	अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड	गाँव सिरौही, नीमकाथाना, सीकर	28199
46	माइलेज बायो डीजल	एफ-147, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पलसाना, सीकर	33321
47	मंगनी टेक स्पेशलिटी केबल प्राइवेट लिमिटेड	ए-127, श्री सादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग्स, सीकर	25819
48	एकमे (उर्वशी) हैंडपंपस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफ-96, श्री सादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग्स, सीकर	29001
49	लोटस डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	गाँव मांड़ा (मदानी), सादू रोड, सीकर	30610
50	रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड	खसरा सं. 2102-2103, अजीतगढ़, सीकर	33446
51	हिंदुस्तान/भगवती आइस फैक्ट्री	ई-6, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	21116
52	गोण्ड फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-7, दूसरा फेज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	24385
53	गणेश टेक्सटाइल्स	एफ-195, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, पाली	32889
54	भारत महान इंडस्ट्रीज	ई-73-75, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, पाली	7954
55	फूमा अम्बेला प्राइवेट लिमिटेड	ए-2, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फालना, पाली	16973
56	वेंकटेश्वर प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड	खसरा सं. 1033/1, 1054/1, शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र के पास, सुमेरपुर, पाली	34092
57	सुपासर्व एडजैसिव लिमिटेड	डी 25, एच एम नगर औद्योगिक क्षेत्र, फालना, पाली	31109
58	रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड	1145-1146, सांडेराव, पाली	33348
59	इंडियन आयल टोटल प्राइवेट लिमिटेड	गाँव सिंघारी, जालोर रोड, रोहट, पाली	28467
60	शिव आइस फैक्ट्री	17, रीको फेज-I, पाली	28843

परिशिष्ट-4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.1(1); पृष्ठ 12)

उन कारखानों की सूची जिनमें मशीनरी के गतिशील भागों की सुरक्षा घेराबंदी नहीं की गयी

क्र सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	दिलीप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जी-161, 164, 171, 174, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू, जयपुर	22177
2	इंडियन ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स	बी-312, सड़क सं.17, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	13552
3	चेतना आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज	जी-60, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बस्सी, जयपुर	32924
4	लक्ष्मी उद्योग	एच-408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229
5	गोपाल कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री	गायत्री मंदिर के सामने, लंका नंबर, बूंदी	16199
6	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38, नगदी बाजार, बूंदी	33882
7	दैनिक भास्कर कारपोरेशन लिमिटेड	प्लॉट सं. 589/178 राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ग्राम बल तहसील तलाडा, बूंदी	29537
8	श्री गुप्ता कार्टिंग	जी -145, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, माखपुरा विस्तार, अजमेर	26486
9	चारभुजा इम्पेक्स	ब्यावर रोड, विजयनगर रोड चौराहा, बदनोर	29739
10	मंगनी टेक स्पेशलिटी केबल प्राइवेट लिमिटेड	ए-127, श्री स्वाटू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रींगस, सीकर	25819
11	एकमे (उर्वशी) हैंडपंप्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफ-96, श्री स्वाटू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रींगस, सीकर	29001

परिशिष्ट-5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.1(2); पृष्ठ 13)

उन कारखानों की सूची जिनमें गड्ढों और खुले स्थानों को सुरक्षित रूप से नहीं ढका गया

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	आरविकोन इंटरनेशनल	ई-7, 8, 9 रीको औद्योगिक क्षेत्र, हत्तिपुरा, बूंदी	30714
2	क्वालिटि सूरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	चित्तोडगढ़ रोड, भीलवाड़ा	21917
3	माइलेज बायो डीजल	एफ-147, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पलसाना, सीकर	33321
4	हिंदुस्तान/भगवती आइस फैक्ट्री	ई-6, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	21116
5	वेंकटेश्वर प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड	ससरा सं. 1033/1, 1054/1, शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र के पास, सुमेरपुर, पाली	34092

परिशिष्ट-6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.1(3); पृष्ठ 13)

उन कारखानों की सूची जिनमें उठाने वाली मशीनों/दबाव पात्रों की जांच सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं की गयी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	इंडियन ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स	बी-312, सड़क सं. 17, विष्कर्म औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	13552
2	आरविकोन इंटरनेशनल	ई-7,8,9 रीको औद्योगिक क्षेत्र, हत्तिपुरा, बूंदी	30714
3	दैनिक भास्कर कारपोरेशन लिमिटेड	प्लॉट सं. 589/178 राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ग्राम बल तहसील तलाडा, बूंदी	29537
4	श्री गुप्ता कास्टिंग	जी -145, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	26486
5	चारशुजा इम्पेक्स	व्यावर रोड, विजयनगर रोड चौराहा, बदनौर	29739
6	जय शिव सूरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	एफ -222-223, फेज-IV, रीको भीलवाड़ा	25922
7	क्वालिटी सूरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	चित्तोड़गढ़ रोड, भीलवाड़ा	21917
8	मल्लो स्टोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	अराज सं.1194,1195/182 गाँव बरन, तहसील बनेडा, भीलवाड़ा	31557
9	मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड	1913/1 और 1913/2 हमीरगढ़ भीलवाड़ा	25038
10	एकमे (उर्वशी) हैंडपंप्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफ-96, श्री सादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रींगस, सीकर	29001
11	स्टैरलाइट एग्री लिमिटेड	चित्तोड़ रोड, मंडपीया चौराहा, भीलवाड़ा	29482
12	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर डिपो वर्कशॉप	देवीपुरा, सीकर	4891
13	गोगड़ फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-7, दूसरा फेज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	24385

परिशिष्ट-7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.1(4); पृष्ठ 14)

उन कारखानों की सूची जिनमें श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	दिलीप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जी-161, 164, 171, 174, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू, जयपुर	22177
2	प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड	स्सरा नं. 102, 1708/103, 104, 105 एवं 106 आसलपुर, जोबनेर	32804
3	इंडियन ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स	बी-312, सड़क संख्या 17, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	13552
4	चेतना आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज	जी-60, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बस्सी, जयपुर	32924
5	लक्ष्मी उद्योग	एच-408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229
6	श्री महावीर स्टोन क्रेशर	बिसानी हिन्दोली, बूंदी	20562
7	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38, नगदी बाजार, बूंदी	33882
8	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्कशॉप बूंदी	सरकारी अस्पताल के सामने, बूंदी	4958
9	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	पुलिस लाइन के पास, बिबनावा रोड, बूंदी	22362
10	अडानी विल्मर लिमिटेड	जयपुर कोटा उच्चमार्ग, सिलोर रोड, बूंदी	19126
11	श्री गुप्ता कार्टिंग	जी-145, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	26486
12	बालाजी मिल्क आइसक्रीम एंड आइस फैक्ट्री	जी-56, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	30377
13	चेमिटेक्स लैबोरेट्रीज	एफ-11, रीको औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर	15100
14	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	तारानगर रोड, रामगंज, अजमेर	863
15	लक्सचर सर्फैक्ट कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड	स्सरा सं.-418-419, गौव- मांगलियावास, अजमेर	32369
16	गुप्ता पेट	जी-1-158, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पालरा, अजमेर	33920

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
17	सूरजमल आरा मशीन	कल्याणपुर गैस गोदाम के पास, अम्बे बाजार, अजमेर	25897
18	चारभुजा इम्पेक्स	ब्यावर रोड, विजयनगर रोड चौराहा, बदनोर	29739
19	आदर्श सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड	ई-53-54, औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा	15547
20	जय शिव सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	एफ-222-223, फेज-IV, रीको भीलवाड़ा	25922
21	क्वालिटि सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	चितोडगढ़ रोड, भीलवाड़ा	21917
22	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर डिपो वर्कशॉप	देवीपुरा, सीकर	4891
23	एकमे (उर्वशी) हैंडपंप्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफ-96, श्री साटू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रींगस, सीकर	29001
24	गणेश टेक्सटाइल्स	एफ-195, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, पाली	32889

परिशिष्ट-8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.1(5); पृष्ठ 14)

उन कारखानों की सूची जिनमें अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	फ्रेंड्स अग्रिकेम प्राइवेट लिमिटेड	खसरा सं. 43, मंगलरिवल के पास, गोंव चपरस, बूंदी	29342
2	गोपाल कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्री	गायत्री मंदिर के सामने, लंका नंबर बूंदी	16199
3	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38, नगदी बाजार, बूंदी	33882
4	श्री गुप्ता कास्टिंग	जी-145, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	26486
5	बालाजी मिल्क आइस क्रीम एंड आइस फैक्ट्री	जी-56, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	30377
6	सूरजमल आरा मशीन	कल्याणपुर गैस गोदाम के पास, अम्बे बाजार, अजमेर	25897
7	हिंदुस्तान/भगवती आइस फैक्ट्री	ई-6, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	21116
8	शिव आइस फैक्ट्री	17, रीको फेज-I, पाली	28843

परिशिष्ट-9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.1(5); पृष्ठ 14)

उन कारखानों की सूची जिनमें अग्निशामक यंत्रों की अवधि समयपार हो चुकी थी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	केबी क्रिएशन (इकाई – II)	196, रीको मानसरोवर जयपुर	31643
2	लक्ष्मी उद्योग	एच-408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229
3	जय शिव सूर्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	एफ-222-223, फेज़-IV, रीको भीलवाड़ा	25922
4	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर डिपो वर्कशॉप	देवीपुरा, सीकर	4891
5	मंगनी टेक स्पेशलिटी केबल प्राइवेट लिमिटेड	ए-127, श्री सादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रींगस, सीकर	25819
6	गोगड़ फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-7, दूसरा फेज़, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	24385

परिशिष्ट-10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.1(6); पृष्ठ 15)

उन कारखानों की सूची जिन्होंने कारखाना परिसर में सुरक्षा सावधानी बोर्ड प्रदर्शित नहीं किये

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	इंडियन ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स	बी-312, रोड नंबर 17, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	13552
2	लक्ष्मी उद्योग	एच- 408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229
3	गोपाल कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्री	गायत्री मंदिर के सामने, लंका नंबर बूंदी	16199
4	श्री महावीर स्टोन क्रेशर	बिसानी हिन्दोली, बूंदी	20562
5	सोमानी स्टोन क्रेशर	गाँव सथूर, जिला बूंदी	25888
6	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38, नगदी बाजार, बूंदी	33882
7	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	पुलिस लाइन के पास, बिबनावा रोड, बूंदी	22362
8	दैनिक भास्कर कारपोरेशन लिमिटेड	प्लॉट सं. 589/178 राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ग्राम बल तहसील तलाडा, बूंदी	29537
9	श्री गुप्ता कास्टिंग	जी-145, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासपुरा विस्तार, अजमेर	26486
10	चेमिटेक्स लैबोरेट्रीज	एफ-11, रीको औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर	15100
11	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	तारानगर रोड, रामगंज, अजमेर	863
12	गुप्ता पेट	जी-1-158, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पालारा, अजमेर	33920
13	सूरजमल आरा मशीन	कल्याणपुर गैस गोदाम के पास, अम्बे बाजार, अजमेर	25897
14	विश्वकर्मा वूल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-06, वूलेन काम्लेक्स ब्यावर, अजमेर	23631
15	चारभुजा इम्येक्स	ब्यावर रोड, विजयनगर रोड चौराहा, बदनोर	29739
16	आदर्श सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड	ई-53-54, औद्योगिक क्षेत्र मीलवाड़ा	15547

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
17	जय शिव सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	एफ-222-223, फेज-IV, रीको भीलवाड़ा	25922
18	क्वालिटी सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	चित्तोड़गढ़ रोड, भीलवाड़ा	21917
19	स्टैरलाइट एग्रो लिमिटेड	चित्तोड़ रोड, मंडपीया चौराहा, भीलवाड़ा	29482
20	मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड	1913/1 और 1913/2 हमीरगढ़, भीलवाड़ा	25038
21	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर डिपो वर्कशॉप	देवीपुरा, सीकर	4891
22	माइलेज बायो डीजल	एफ-147, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पलसाना, सीकर	33321
23	एकमे (उर्वशी) हैंडपंप्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफ-96, श्री सादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रींगस, सीकर	29001
24	गोगड़ फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-7, दूसरा फेज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	24385
25	गणेश टेक्सटाइल्स	एफ-195, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, पाली	32889
26	भारत महान इंडस्ट्रीज	ई-73-75, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, पाली	7954
27	फूमा अम्बेला प्राइवेट लिमिटेड	ए-2, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फालना, पाली	16973
28	वैकेश्वर प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड	ससरा सं. 1033/1, 1054/1, शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र के पास, सुसरपुर, पाली	34092
29	शिव आइस फैक्ट्री	17, रीको फेज-I, पाली	28843

परिशिष्ट-11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.1(7); पृष्ठ 15)

उन कारखानों की सूची जिनमें कार्यस्थल के प्रत्येक स्थान तक सुरक्षित पहुंच के उचित साधनों की कमी थी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	दिलीप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जी-161, 164, 171, 174 रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू, जयपुर	22177
2	लक्ष्मी उद्योग	एच-408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229
3	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38, नगदी बाजार, बूंदी	33882
4	श्री गुप्ता कास्टिंग	जी-145, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, माशुपुरा विस्तार, अजमेर	26486

परिशिष्ट-12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.2(1); पृष्ठ 17)

उन कारखानों की सूची जिनमें कार्यस्थल की सफाई की स्थिति खराब थी/सुधार की आवश्यकता थी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	दिलीप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जी-161,164,171, 174 रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू, जयपुर	22177
2	चेतना आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज	जी-60, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बस्सी, जयपुर	32924
3	राम इमेक्स	एफ-202 से 204, मेजर काम्लेक्स, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानसरोवर, जयपुर	33807
4	लक्ष्मी उद्योग	एच-408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229
5	गोपाल कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्री	गायत्री मंदिर के सामने, लंका नंबर बूंदी	16199
6	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38, नगदी बाजार, बूंदी	33882
7	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्कशॉप, बूंदी	सरकारी अस्पताल के सामने, बूंदी	4958
8	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	पुलिस लाइन के पास, बिबनावा रोड, बूंदी	22362
9	श्री गुप्ता कास्टिंग	जी-145, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	26486
10	बालाजी मिलक आइस क्रीम एंड आइस फैक्ट्री	जी-56, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	30377
11	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	तारानगर रोड, रामगंज, अजमेर	863
12	लक्सचर सर्फेक्ट कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड	ससरा सं.-418-419, गाँव-मांगलियावास, अजमेर	32369
13	सूरजमल आरा मशीन	कल्याणपुर गैस गोदाम के पास, अम्बे बाजार, अजमेर	25897
14	विश्वकर्मा वूल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-06, वूलेन काम्लेक्स ब्यावर, अजमेर	23631
15	चारभुजा इमेक्स	ब्यावर रोड, विजयनगर रोड चौराहा, बदनोर	29739
16	आदर्श सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड	ई-53-54, औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा	15547

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
17	जय शिव सूरटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	एफ-222-223, फेज़-IV, रीको भीलवाड़ा	25922
18	क्वालिटी सूरटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	चित्तोड़गढ़ रोड, भीलवाड़ा	21917
19	स्टैरलाइट एग्रो लिमिटेड	चित्तोड़ रोड मंडपीया चौराहा, भीलवाड़ा	29482
20	मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड	1913/1 और 1913/2 हमीरगढ़, भीलवाड़ा	25038
21	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर डिपो वर्कशॉप	देवीपुरा, सीकर	4891
22	माइलेज बायो डीजल	एफ-147, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पलसाना, सीकर	33321
23	एकमे (उर्वशी) हैंडपंप्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफ-96, श्री स्वाटू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रिंगस, सीकर	29001
24	हिंदुस्तान/भगवती आइस फैक्ट्री	ई-6, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	21116
25	गणेश टेक्सटाइल्स	एफ-195, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, पाली	32889

परिशिष्ट-13

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.2(2); पृष्ठ 17)

उन कारखानों की सूची जिनमें धूल और धुएं के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए थे

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	दिलीप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जी-161,164,171,174, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू, जयपुर	22177
2	गोपाल कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्री	गायत्री मंदिर के सामने, लंका नंबर बूंदी	16199
3	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच- 38 नगदी बाजार बूंदी	33882
4	आरविकोन इंटरनेशनल	ई -7,8,9 रीको औद्योगिक क्षेत्र, हत्तिपुरा, बूंदी	30714
5	श्री गुप्ता कास्टिंग	जी -145, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	26486
6	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	तारानगर रोड, रामगंज, अजमेर	863
7	विश्वकर्मा वूल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-06, वूलेन काम्लेक्स ब्यावर, अजमेर	23631
8	मंगलम फॉरफैट लिमिटेड	1913/1 और 1913/2 हमीरगढ़ भीलवाड़ा	25038
9	रिलायंस पेट्रो मार्केटिंग लिमिटेड	सं. 4251, आसींद भीलवाड़ा	33359
10	रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड	खसरा सं. 2102-2103 अजीतगढ़, सीकर	33446
11	रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड	1145-1146, सांडेराव, पाली	33348

परिशिष्ट-14

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.2(4); पृष्ठ 18)

उन कारखानों की सूची जिनमें श्रमिकों की स्वास्थ्य पंजिका का संधारण नहीं किया गया था

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	चेतना आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज	जी-60, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बस्सी, जयपुर	32924
2	लक्ष्मी उद्योग	एच-408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229
3	श्री महावीर स्टोन क्रेशर	बिसानी हिन्दोली, बूंदी	20562
4	सोमानी स्टोन क्रेशर	गाँव सथूर, जिला बूंदी	25888
5	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38, नगदी बाजार, बूंदी	33882
6	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	पुलिस लाइन के पास, बिबनावा रोड, बूंदी	22362
7	बालाजी मिल्क आइस क्रीम एंड आइस फैक्ट्री	जी-56, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	30377
8	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	तारानगर रोड, रामगंज, अजमेर	863
9	मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड	1913/1 और 1913/2 हमीरगढ़, भीलवाड़ा	25038
10	माइलेज बायो डीजल	एफ-147, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पलसाना, सीकर	33321
11	एकमे (उर्वशी) हैंडपंप्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफ-96, श्री साटू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रीगस, सीकर	29001
12	हिंदुस्तान/भगवती आइस फैक्ट्री	ई-6, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	21116
13	रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड	1145-1146, सांडेराव, पाली	33348

परिशिष्ट-15

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.2(4); पृष्ठ 18)

विभाग द्वारा अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान किये गये निरीक्षणों तथा श्रमिकों की चिकित्सा जांच कराने के निर्देशों का विवरण

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या	निरीक्षण की दिनांक	टिप्पणी, यदि मशीनरी के गतिशील भागों की घेराबंदी से सम्बंधित निर्देश दिए गये थे
1	चेतना आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज	जी-60, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बस्सी, जयपुर	32924	10.04.2021 और 30.11.2021	उपरोक्त निर्देश नहीं दिए गये थे
2	लक्ष्मी उद्योग	एच-408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229	06.02.2020 और 19.01.2022	06.02.2020 को स्वास्थ्य पंजिका के संधारण के निर्देश दिए गये थे।
3	श्री महावीर स्टोन क्रेशर	बिसानी हिन्दोली, बूंदी	20562	15.03.2019	उपरोक्त निर्देश नहीं दिए गये थे
4	सोमानी स्टोन क्रेशर	गाँव सथूर, जिला बूंदी	25888	निरीक्षण नहीं किया गया	
5	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38, नगदी बाजार, बूंदी	33882	निरीक्षण नहीं किया गया	
6	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	पुलिस लाइन के पास, बिबनावा रोड, बूंदी	22362	निरीक्षण नहीं किया गया	
7	बालाजी मिल्क आइस क्रीम एंड आइस फैक्ट्री	जी-56, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासपुरा विस्तार, अजमेर	30377	15.06.2017	उपरोक्त निर्देश नहीं दिए गये थे
8	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	तारानगर रोड, रामगंज, अजमेर	863	निरीक्षण नहीं किया गया	
9	मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड	1913/1 और 1913/2 हमीरगढ़, भीलवाड़ा	25038	निरीक्षण नहीं किया गया	
10	माइलेज बायो डीजल	एफ-147, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पलसाना, सीकर	33321	निरीक्षण नहीं किया गया	
11	एकमे (उर्वशी) हैंडपंप्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफ-96, श्री सादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रींगस, सीकर	29001	निरीक्षण नहीं किया गया	
12	हिंदुस्तान/भगवती आइस फैक्ट्री	ई-6, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	21116	23.04.2018	उपरोक्त निर्देश नहीं दिए गये थे
13	रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड	1145-1146, सांडेराव, पाली	33348	निरीक्षण नहीं किया गया	

परिशिष्ट-16

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.5(ii); पृष्ठ 24)

कारखानों की सूची जिन्होंने फार्म संख्या 23 में वार्षिक विवरणी प्रेषित नहीं की

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	के एस मोटर्स जयपुर	एफ-130, रीको मालवीय नगर, जयपुर	30601
2	इंडियन ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स	बी-312, रोड नंबर 17, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	13552
3	चेतना आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज	जी-60, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बस्सी, जयपुर	32924
4	लक्ष्मी उद्योग	एच-408, सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	29229
5	श्री गायत्री मेटल इंडस्ट्रीज	एच-38 नगदी बाजार, बूंदी	33882
6	दैनिक भास्कर कारपोरेशन लिमिटेड	प्लाट सं. 589/178, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ग्राम बल तहसील तलाडा, बूंदी	29537
7	बालाजी मिल्क आइसक्रीम एंड आइस फैक्ट्री	जी-56, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, मासुपुरा विस्तार, अजमेर	30377
8	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	तारानगर रोड, रामगंज, अजमेर	863
9	लक्सवर सर्फेक्ट कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड	ससरा सं.- 418-419, गाँव- मांगलियावास, अजमेर	32369
10	गुप्ता पेट	जी-1-158, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पालारा, अजमेर	33920
11	सूरजमल आरा मशीन	कल्याणपुर गैस गोदाम के पास, अम्बे बाजार, अजमेर	25897
12	विश्वकर्मा वूल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-06, वूलन काम्लेक्स ब्यावर, अजमेर	23631
13	चारभुजा इम्पेक्स	ब्यावर रोड, विजयनगर रोड चौराहा, बदनोर	29739
14	क्वालिटी सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	चित्तोडगढ़ रोड, भीलवाड़ा	21917
15	पिपलेश्वर महादेव आइस फैक्ट्री (भीलवाड़ा आइस फैक्ट्री)	कला रोड, सेवदा भीलवाड़ा	26225

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
16	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर डिपो वर्कशॉप	देवीपुरा, सीकर	4891
17	220 केवीजीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	फतेहपुर रोड, सीकर	4961
18	मंगनी टेक स्पेशलिटी केबल प्राइवेट लिमिटेड	ए-127, श्री सादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रिंगस, सीकर	25819
19	एकमे (उर्वशी) हैंडपंप्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफ-96, श्री सादू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रिंगस, सीकर	29001
20	हिंदुस्तान/भगवती आइस फैक्ट्री	ई-6, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	21116
21	गोगड़ फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	ई-7, दूसरा फेज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	24385
22	गणेश टेक्सटाइल्स	एफ-195, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, पाली	32889
23	वेक्रेटश्वर प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड	खसरा सं. 1033/1, 1054/1, शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र के पास, सुमेरपुर, पाली	34092
24	शिव आइस फैक्ट्री	17, रीको फेज -I, पाली	28843

परिशिष्ट-17

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.5(ii); पृष्ठ 24)

कारखानों की सूची जिन्होंने फार्म संख्या 29 में दुर्घटना पंजिका का संधारण नहीं किया

क्र. सं.	कारखाने का नाम	कारखाने का पता	पंजीकरण संख्या
1	गोपाल कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री	गायत्री मंदिर के सामने, लंका नंबर बूंदी	16199
2	सोमानी स्टोन क्रेशर	गाँव सथूर, जिला बूंदी	25888
3	आरविकोन इंटरनेशनल	ई -7, 8, 9 रीको औद्योगिक क्षेत्र, हत्तिपुरा, बूंदी	30714
4	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	पुलिस लाइन के पास, बिबनावा रोड, बूंदी	22362
5	बालाजी मिल्क आइस क्रीम एंड आइस फैक्ट्री	जी-56, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पर्वतपुरा, माखपुरा विस्तार, अजमेर	30377
6	सूरजमल आरा मशीन	कल्याणपुर गैस गोदाम के पास, अम्बे बाजार, अजमेर	25897
7	चारभुजा इमेक्स	ब्यावर रोड, विजयनगर रोड चौराहा, बदनोर	29739
8	ग्लो स्टोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	अराज संस्था 1194, 1195/182 गाँव बरन, तहसील बनेडा, भीलवाड़ा	31557
9	मंगलम फॉस्फेट लिमिटेड	1913/1 और 1913/2 हमीरगढ़. भीलवाड़ा	25038
10	माइलेज बायो डीजल	एफ-147, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पलसाना, सीकर	33321
11	मंगनी टेक स्पेशलिटी केबल प्राइवेट लिमिटेड	ए-127, श्री स्वाटू श्यामजी औद्योगिक क्षेत्र, रींगस, सीकर	25819
12	हिंदुस्तान/भगवती आइस फैक्ट्री	ई-6, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पाली	21116
13	गणेश टेक्सटाइल्स	एफ-195, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, पाली	32889
14	शिव आइस फैक्ट्री	17, रीको फेज-I, पाली	28843

परिशिष्ट-18

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 35)

लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों की सूची

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के नाम
अ	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
1	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
3	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड
4	राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
5	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड
6	राजस्थान वित्त निगम
7	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
8	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
9	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
11	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
12	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
13	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
14	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
15	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
16	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
17	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
18	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के नाम
अ	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
19	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	छबड़ा पावर लिमिटेड
21	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड
22	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड
23	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड
24	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड
25	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
27	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
28	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
29	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
30	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड
31	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
ब	स्वायत्त निकाय
1	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
2	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
3	राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण
4	राजस्थान राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

परिशिष्ट-19

(संदर्भ अनुच्छेद 1.5; पृष्ठ 36)

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
अ	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
1	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	26	17	18	61	56	70	79	205	47.52	265.15	621.34	934.01
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	27	29	26	82	45	106	125	276	96.84	180.85	357.66	635.35
3	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्नानिज लिमिटेड	12	5	6	23	23	24	38	85	69.58	45.72	101.42	216.72
4	राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	3	2	3	8	9	15	41	65	0.55	34.63	769.52	804.70
5	बाड़मेर लिग्नाइट स्नान कम्पनी लिमिटेड	0	0	3	3	0	0	15	15	0.00	0.00	66.56	66.56
6	राजस्थान वित्त निगम	32	19	19	70	58	53	67	178	108.62	42.15	38.03	188.80
7	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	6	2	2	10	21	15	10	46	5.91	0.27	0.00	6.18
8	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1	2	3	6	1	2	19	22	0	0	1.78	1.78
9	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	28	24	46	98	99	275	366	740	225.90	490.40	359.30	1075.60

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
10	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	4	11	25	40	4	29	89	122	731.02	574.14	29816.57	31121.73
11	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1	6	21	28	1	7	66	74	13.00	8.89	234.79	256.68
12	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	5	15	40	60	9	48	205	262	5.55	146.88	2061.62	2214.05
13	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	3	18	20	41	3	37	89	129	0.54	617.53	6346.23	6964.30
14	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	3	15	33	51	4	40	140	184	1.16	439.76	8839.34	9280.26
15	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	0	2	3	5	0	5	31	36	0	3.30	44.53	47.83
16	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	0	1	3	4	0	1	13	14	0.00	0.00	6.50	6.50
17	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	0	0	3	3	0	0	7	7	0.00	0.00	6.01	6.01
18	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	0	1	3	4	0	4	21	25	0.00	1.21	8.13	9.34
19	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	1	1	0	0	3	3	0.00	0.00	0.43	0.43
20	छबड़ा पावर लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड	1	2	0	3	1	2	0	3	0.00	0.98	0.00	0.98
22	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड	0	2	0	2	0	6	0	6	0.00	26.96	0.00	26.96

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
23	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
24	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
25	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1	3	6	3	3	15	21	30.34	12.55	142.00	184.89
26	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	2	2	0	0	32	32	0	0	418.47	418.47
27	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	2	2	0	0	15	15	0	0	338.67	338.67
28	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	2	2	0	0	12	12	0	0	234.07	234.07
29	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	3	3	0	0	29	29	0	0	944.46	944.46
30	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड	1	0	0	1	1	0	0	1	0.04	0	0	0.04
31	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेंज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड	9	2	3	14	70	39	44	153	1102.04	1028.21	871.85	3002.10
	योग अ	164	176	293	633	408	781	1571	2760	2438.61	3919.58	52629.28	58987.47
ब	स्वायत्त निकाय												
1	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	0	0	3	3	0	0	7	7	0.00	0.00	73.48	73.48
2	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	4	3	2	9	12	8	11	31	28.80	3.70	8.48	40.98
3	राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
4	राजस्थान राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	1	0	0	1	39	0	0	39	59.20	0	0	59.20
	योग ब	5	3	5	13	51	8	18	77	88.00	3.70	81.96	173.66
	कुल योग (अ+ब)	169	179	298	646	459	789	1589	2837	2526.61	3923.28	52711.24	59161.13

परिशिष्ट-20

(संदर्भ अनुच्छेद 1.7; पृष्ठ 37)

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के तहत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों को सौंपे गए कार्यों की समीक्षा पर वार्षिक विवरणी

क्र.सं.	धारा के तहत लेखापरीक्षित संस्थान का नाम एवं पता	धारा के तहत सरकार द्वारा लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक खाते प्रस्तुत किए गये	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गये	विधानमंडल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	वर्ष जिसके लेखे देय हैं	लेखा प्रस्तुत करने में विलंब की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक
1	धारा 20(1) के तहत राजस्थान स्नादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	धारा 20(1) के तहत 2017-18 से आगे	2021-22 (19.12.2022)	2020-21	2019-20 (10.02.2022)	-	-
2	धारा 19(2) के तहत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	धारा 19(2) के तहत	2021-22 (21.07.2022)	2021-22 (एसएआर 15.09.2022 को जारी किया गया)	2021-22 (18.01.2023)	-	-
3	धारा 19(2) के तहत राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण	धारा 19(2) के तहत 2017-18 से 2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2021-22	2021-22 (6 माह)
4	धारा 19(2) के तहत राजस्थान राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	धारा 19(2) के तहत (एकमात्र लेखापरीक्षा)	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22	2013-14 (8.50 वर्ष) 2014-15 (7.50 वर्ष) 2015-16 (6.50 वर्ष) 2016-17 (5.50 वर्ष) 2017-18 (4.50 वर्ष) 2018-19 (3.50 वर्ष) 2019-20 (2.50 वर्ष) 2020-21 (1.50 वर्ष) 2021-22 (6 माह)

परिशिष्ट -21

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.4; पृष्ठ 40)

31 मार्च 2022 को राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालयों, संयंत्र कार्यालयों एवं खेतों का स्थान दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कार्यालयों एवं खेतों का स्थान	क्र. सं.	संयंत्र कार्यालय
	क्षेत्रीय कार्यालय		संयंत्र कार्यालय
1.	उदयपुर	1.	उदयपुर
		2.	भीलवाड़ा
		3.	चित्तौड़गढ़
		4.	बांसवाड़ा
2.	दुर्गापुरा (जयपुर)	5.	ढिंडोल, दुर्गापुरा
		6.	तबीजी
		7.	दूनी
		8.	लक्ष्मणगढ़, सीकर
3.	मंडोर (जोधपुर)	9.	मंडोर
		10.	सुमेरपुर
		11.	मोहन गढ़
		12.	नागौर
4.	कोटा	13.	कोटा
		14.	बांरा
		15.	झालावाड़

क्र. सं.	कार्यालयों एवं खेतों का स्थान	क्र. सं.	संयंत्र कार्यालय
5.	भरतपुर	16.	भरतपुर
		17.	हिंडोन
		18.	अलवर
6.	श्रीगंगानगर	19.	श्रीगंगानगर
		20.	हनुमानगढ़
		21.	श्री करणपुर
		22.	सूरतगढ़
	संयंत्र कार्यालय		खेत
1.	श्रीगंगानगर	1.	जैतसर
		2.	पदमपुर
		3.	बरोर
2.	कोटा	4.	कवई
3.	उदयपुर	5.	कल्याणपुर
4.	मंडोर	6.	संथु
5.	दुर्गापुरा	7.	फरसिया

परिशिष्ट -22

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.9 एवं 2.1.10; पृष्ठ 42 एवं 44)

वर्ष 2017-22 के दौरान प्रजनक बीजों और आधार बीजों के आवंटन, खरीद एवं वितरण का वर्षवार विवरण दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा किंटल में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
अ. प्रजनक बीजों की खरीद एवं आवंटन						
खरीफ मौसम						
आवंटन	1798.79	847.72	1509.29	1774.51	1884.92	7815.23
खरीद	1279.38	697.86	1107.06	980.45	981.87	5046.62
रबी मौसम						
आवंटन	2810.30	2870.27	2341.31	2179.70	2397.14	12598.72
खरीद	3054.90	2541.67	2271.04	1970.19	1724.20	11562.00
योग						
आवंटन	4609.09	3717.99	3850.60	3954.21	4282.06	20413.95
खरीद	4334.28	3239.53	3378.10	2950.64	2706.07	16608.62
ब. प्रजनक बीजों की उपलब्धता एवं वितरण						
खरीफ मौसम						
उपलब्धता ¹	1368.41	824.38	1232.08	1100.41	1081.63	5606.91
वितरण	1223.98	650.23	1017.06	898.57	866.50	4656.34

¹ प्रारंभिक शेष + वर्ष के दौरान खरीद + वर्ष के दौरान स्वयं का बीज उत्पादन।

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
रबी मौसम						
उपलब्धता	3246.71	2872.03	2380.70	2045.53	1844.36	12389.33
वितरण	2828.53	2554.49	2255.03	1839.19	1239.38	10716.62
कुल						
उपलब्धता	4615.12	3696.41	3612.78	3145.94	2925.99	17996.24
वितरण	4052.51	3204.72	3272.09	2737.76	2105.88	15372.96
स. आधार बीजों की उपलब्धता एवं वितरण						
खरीफ मौसम						
उपलब्धता ²	16038.78	26319.90	20356.99	21684.46	18052.07	102452.20
वितरण	9193.88	19120.14	13015.71	16490.37	15027.88	72847.98
रबी मौसम						
उपलब्धता	78998.12	84768.00	57587.36	51076.14	37690.30	310119.92
वितरण	39526.42	43263.07	32311.62	33433.23	23739.38	172273.72
योग						
उपलब्धता	95036.90	111087.90	77944.35	72760.60	55742.37	412572.12
वितरण	48720.30	62383.21	45327.33	49923.60	38767.26	245121.70

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

² प्रारंभिक शेष + वर्ष के दौरान खरीद + वर्ष के दौरान स्वयं का बीज उत्पादन।

परिशिष्ट -23

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.11; पृष्ठ 44)

वर्ष 2017-22 के दौरान वितरण किए गये प्रजनक बीजों एवं आधार बीजों से उपज की वर्षवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा किंटल में)

फसल मौसम	वर्ष	कम्पनी द्वारा वितरित बीज	आरएसएसओसीए आकलन की गई अनुमानित उपज	बीज उत्पादकों द्वारा जमा की गई वास्तविक उपज	अपेक्षित उपज से वास्तविक उपज की प्रतिशतता
अ. प्रजनक बीजों से आधारभूत बीजों की उपज					
खरीफ	2017-18	1224	31608.70	14751.20	46.67
	2018-19	650	27322.74	17589.92	64.38
	2019-20	1017	26579.32	13677.81	51.46
	2020-21	899	22276.94	11304.03	50.74
	2021-22	867	18396.72	7727.22	42.00
रबी	2017-18	2829	98400.63	72668.15	73.85
	2018-19	2554	81296.80	58846.95	72.39
	2019-20	2255	82088.82	61305.91	74.68
	2020-21	1839	63379.05	40547.81	63.98
	2021-22	1239	40188.80	25149.03	62.58
योग		15373	491538.52	323568.03	65.83

फसल मौसम	वर्ष	कम्पनी द्वारा वित्तरित बीज	आरएसएसओसीए आंकलन की गई अनुमानित उपज	बीज उत्पादकों द्वारा जमा की गई वास्तविक उपज	अपेक्षित उपज से वास्तविक उपज की प्रतिशतता
ब. आधारभूत बीजों से प्रमाणित बीजों की उपज					
खरीफ	2017-18	9194	177277.58	120391.44	67.91
	2018-19	19120	263125.28	175473.35	66.69
	2019-20	13016	166518.70	79684.99	47.85
	2020-21	16490	282192.50	122793.58	43.51
	2021-22	15028	159419.04	58638.12	36.78
रबी	2017-18	39526	895995.45	658580.89	73.50
	2018-19	43263	645172.28	443846.92	68.80
	2019-20	32312	642473.14	460196.10	71.63
	2020-21	33433	745572.47	428834.72	57.52
	2021-22	23739	379199.17	224619.79	59.24
योग		245121	4356945.61	2773059.90	63.65

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

परिशिष्ट-24

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.19; पृष्ठ 54)

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के समक्ष बीजों के वितरण में कमी का मौसम-वार फसल-वार विवरण

मौसम	फसल	कुल उपलब्धता		कुल जारी किए गए		राज्य सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध	वितरण लक्ष्य (खिंटल में)	वास्तविक वितरण (खिंटल में)	कमी	वित्तीय सहायता की दर (₹ प्रति खिंटल)	कृषकों को लाभ से वंचित किया गया (₹ में)
		आधार बीज	प्रमाणित बीज	आधार बीज	प्रमाणित बीज						
1	2	3	4	5	6	7=(3+4)-(5+6)	8	9	10=8-9	11	12=10*11
सरीफ 2017	मूंग	6350.26	33046.18	3988.14	24114.35	11293.95	5286	4396	890	4800	4272000
	मोठ	2166.02	11006.45	1714.16	4742.73	6715.58	1596	1041	555	3638	2019090
रबी 2018	चना	14352.80	182583.50	12133.50	174610.40	10192.40	25000	11973	13027	4800	48923520
	गेहूँ	75236.80	495759	46713.60	388384.80	135897.40	60000	30344	29656	1500	44484000
सरीफ 2018	मूंग	5614.64	34270.97	2599.40	28432.68	8853.53	10235	3277	6958	4800	33398400
	मोठ	830.52	8267.38	391.96	4289.84	4416.10	1235	481	754	3964	2988856
रबी 2019	ग्वार	2327.49	11582.44	1812.73	11387.11	710.09	645	231	414	3172	1313208
	उड़द	943.54	5185.10	583.88	3981.70	1563.06	1789	457	1332	4800	6393600
रबी 2019	गेहूँ	80096.90	556748.80	60967.80	529600.40	46277.48	55512	40226	15286	1600	24457600
	जौ	7903.05	76436.80	5879.40	75867.20	2593.25	2584	1282	1302	1500	1953000
सरीफ 2019	मूंग	7442.54	26334.71	3677.93	20899.31	9200.01	5000	754	4246	4800	20380800
	मोठ	438.36	6990.24	72.96	5571.64	1784.00	1000	154	846	4243	3589578
रबी 2019	ग्वार	2504.97	8342.66	1430.89	5322.33	4094.41	800	644	156	4173	650988

मौसम	फसल	कुल उपलब्धता		कुल जारी किए गए		राज्य सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध	वितरण लक्ष्य (क्विंटल में)	वास्तविक वितरण (क्विंटल में)	कमी	वित्तीय सहायता की दर (₹ प्रति क्विंटल)	कृषकों को लाभ से वंचित किया गया (₹ में)
		आधार बीज	प्रमाणित बीज	आधार बीज	प्रमाणित बीज						
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4) - (5+6)	8	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 * 11
	उड़द	730.32	4684.51	250.68	2042.42	3121.73	500	42	458	4800	2198400
	सोयाबीन	13380.80	69678.00	12709.90	66486.80	3862.10	900	288	612	3496	2139552
रबी 2020	चना	20558.45	146215.20	18490.70	146157.30	2125.67	5247	4399	848	4200	3561600
	गेंहूँ	52016.70	320751.00	47830	317728.80	7208.93	43000	13174	29826	1600	11534288
स्सरीफ 2020	मूंग	7395.91	29721.86	5498.35	27342.06	4277.36	5000	2738	2262	4800	10857600
	ग्वार	2205.35	8818.75	1111.86	4001.03	5911.21	1500	1131	369	4560	1682640
रबी 2021	चना	22061.23	129302.00	20201.53	129200.00	1961.70	5000	3449	1551	4200	6514200
	गेंहूँ	40740.55	258005.30	30031.35	118486.30	150228.18	30000	27601	2399	1600	3838400
स्सरीफ 2021	मूंग	5483.86	34967.98	4509.11	28786.99	7155.74	7201	4983	2218	4800	10646400
रबी 2022	चना	15786.80	124071.30	11624.80	105978.90	22254.42	5000	4129	871	4800	4180800
योग									116836		251978520

परिशिष्ट -25

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 56)

अ. समीक्षा के लिए चयनित कार्यालयों का डिस्कॉम-वार विवरण

(आंकड़े: संख्या में)

क्र. सं.	विवरण	डिस्कॉम			
		जयपुर	अजमेर	जोधपुर	योग
1	डिस्कॉम के अंतर्गत वृत्त कार्यालय	13	12	11	36
2	लेखापरीक्षा के लिए चयनित वृत्त कार्यालय	1 (जयपुर जिला)	1 (भीलवाड़ा)	1 (जोधपुर जिला)	3
3	डिस्कॉम में सतर्कता कार्यालय	60	63	40	163
4	मुख्यालय स्थित केन्द्रीय सतर्कता/विशेष सतर्कता कार्यालय (चयनित 100%)	1	4	2	7
5	डिस्कॉम के वृत्त कार्यालयों में स्थित सतर्कता कार्यालय	59	59	38	156
6	चयनित वृत्त कार्यालय में स्थित सतर्कता कार्यालय (चयनित 100%)	9	5	3	17
7	चयनित वृत्त कार्यालय के अंतर्गत उप-स्वण्ड कार्यालय	33	20	18	71
8	चयनित वृत्त कार्यालय में से चयनित उप-स्वण्ड कार्यालय	2	2	2	6
9	समीक्षा के लिए चयनित कुल कार्यालय	12	11	7	30

ब. 2020-21 के दौरान चयनित कार्यालयों द्वारा दर्ज सतर्कता जाँच प्रतिवेदनों (वीसीआर) का डिस्कॉम-वार विवरण

(आंकड़े: संख्या में)

क्र. सं.	विवरण	डिस्कॉम			
		जयपुर	अजमेर	जोधपुर	योग
1	मुख्यालय स्थित केंद्रीय सतर्कता/विशेष सतर्कता कार्यालयों से संबंधित वीसीआर (2020-21)	141	2764	876	3781
2	चयनित वृत्त कार्यालय में स्थित सतर्कता कार्यालयों से संबंधित वीसीआर (2020-21)	2727	4439	674	7840
3	चयनित वृत्त कार्यालय के अंतर्गत चयनित उप-स्वण्ड कार्यालयों से संबंधित वीसीआर (2020-21)	695	403	369	1467

क्र. सं.	विवरण	डिस्कॉम			
		जयपुर	अजमेर	जोधपुर	योग
4	2020-21 के दौरान चयनित कार्यालयों द्वारा दर्ज की गई कुल वीसीआर	3563	7606	1919	13088
5	क्रम संख्या 4 में से वह वीसीआर जिनके अपेक्षित विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।	390	309	394	1093
6	वीसीआर जिसके लिए अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किए गए थे एवं उनकी समीक्षा की गई (4-5)	3173	7297	1525	11995
7	क्रम संख्या 6 में से वह वीसीआर जिनमें कोई निर्धारण यूनिट शामिल नहीं थी	27	338	202	567
8	क्रम संख्या 6 में से, निर्धारण यूनिटों एवं ईंधन अधिभार के निर्धारण से संबंधित वीसीआर (6-7)	3146	6959	1323	11428

संक्षिप्त शब्दावली

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
एबी	स्वायत्त निकाय
एवीवीएनएल	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
कोपू	राजकीय उपक्रम समिति
डिस्कॉम्स	विद्युत वितरण कम्पनियां
डीपीसी	कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
एफआईआर	प्रथम सूचना रिपोर्ट
जीओआई	भारत सरकार
जीओआर	राजस्थान सरकार
आईआर	निरीक्षण प्रतिवेदन
जेडीवीवीएनएल	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जेवीवीएनएल	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
केवीएसएस	क्रय विक्रय सहकारी समिति
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमआरपी	अधिकतम खुदरा मूल्य
एमटी	मैट्रिक टन
एमयू	मिलियन इकाई
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आरईआरसी	राजस्थान विद्युत नियामक आयोग
रीको	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
आरआरईसीएल	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
आरआरवीपीएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आरएसएससीएल	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
आरएसएसओसीए	राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी
आरटीपीपी नियम	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम
एसएपी	राज्य कृषि नीति
एसएआर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
सौभाग्य	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
एसपीएसयू	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एसपीवी	सौर फोटो वोल्टिक आधारित स्वचालित तंत्र
एसआरपी	बीज आवृत्ति योजना
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन दर
एसटीयू	राज्य विद्युत प्रसारण उपक्रम
एसवीपी	बीज ग्राम योजना
वीसीआर	सतर्कता जांच प्रतिवेदन

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

<http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi>

